# मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

(ओएनजीसी की सहयोगी कंपनी )

आज परिष्करण कर रहे हैं। कल अजूबा कर दिखाएँगे।

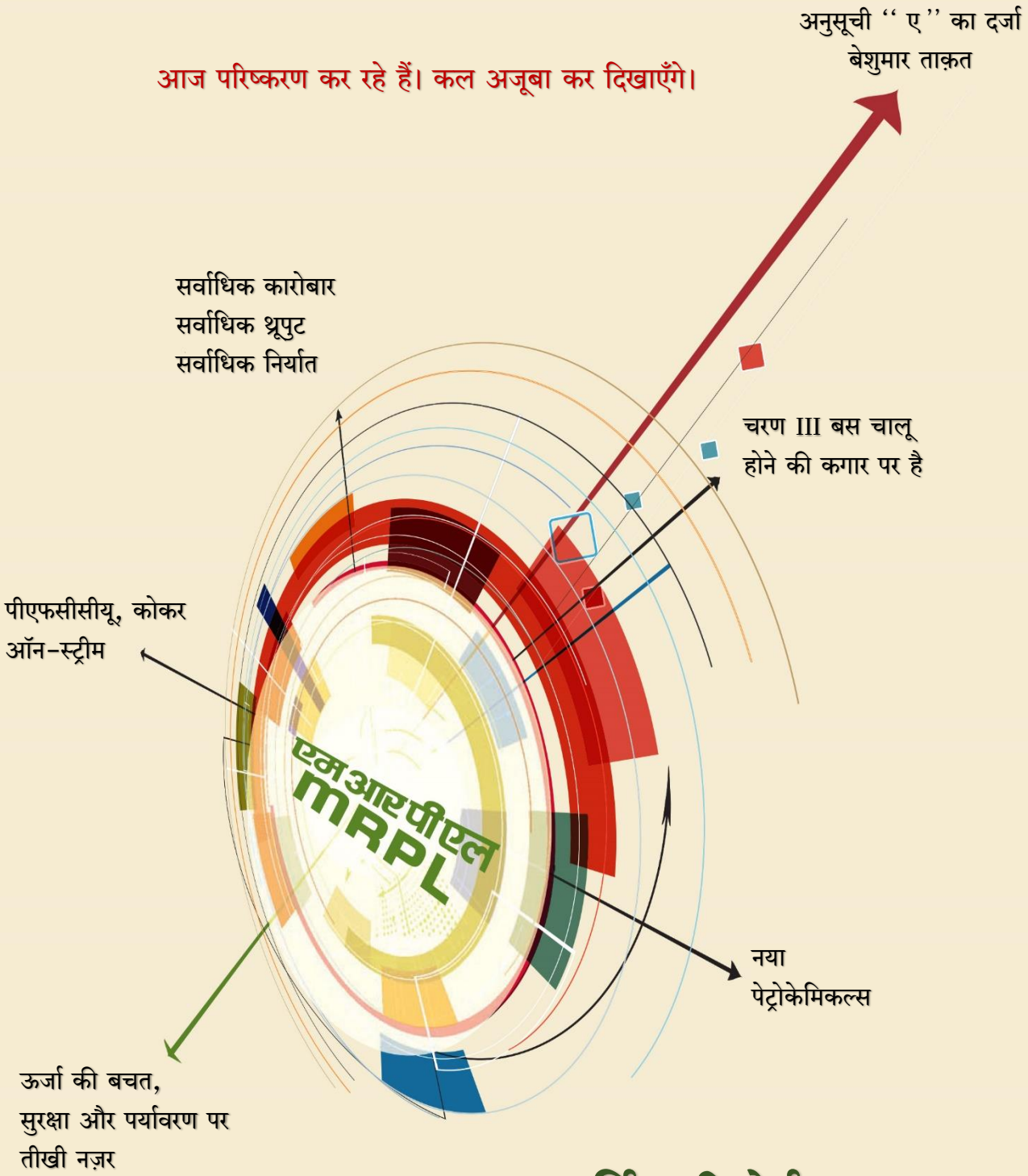


# वार्षिक रिपोर्ट 2013-14

# एमआरपीएल

## बेहतरीन प्रदर्शन करने की ताक़त के साथ

**मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल), ' अनुसूची क, मिनी रत्न कैट–1' ओएनजीसी समूह की कंपनी है** जिसने दक्षिण कन्नड जिले की हरी भरी वादियों को चकाचौंध कर दिया है।

करीब 9.5 की जटिलता के साथ 15 एमएमटीपीए की क्षमतावाली रिफाइनरी होने के नाते एमआरपीएल, दक्षिण कन्नड जिले में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति का केंद्र बिंदु है और भारतीय हाइड्रोकार्बन उद्योग में एक रमणीय नज़ारा है जिसके चलते एमआरपीएल को दो बार '' वर्ष की रिफाइनरी '' का (2010,2012 पेट्रोफेड पुरस्कार)का ख़िताब दिया गया।

- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी
- विश्व दर्जे की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला
- विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भरता (3 सीपीपी)
- अत्याधुनिक ऑटो टैंक गेजिंग तंत्र
- यूरो I, II, II और अब यूरो IV श्रेणी का पेट्रोल एवं डीज़ल बनाने वाली सर्वप्रथम रिफाइरी
- 21 देशों में निर्यात
- अपने अनुकूल ढालने की सहूलियत के साथ विभिन्न उत्पादों का उत्पादन
- बेंचमार्क के अनुरूप पर्यावरण प्रबंधन तंत्र
- नए पेट्रोकेमिकल्स में विविधीकरण
- आईएसओ 14001, आईएसओ 9001 और आईएसओ 50001 प्रमाणित
- क्राइसिल और आईसीआरए से AAA रेटिंग
- नव मंगलूर बंदरगाह में समर्पित जेटियाँ
- तटवर्ती बूस्टर पंपिंग केंद्र के साथ एसपीएम
- प्रतिबद्ध पेशेवर टीम

श्री डी.के. सर्राफ़ की अध्यक्षता में मंडल की बैठक का एक नज़ारा

# मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

(ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड की सहयोगी कंपनी)

CIN : L85110KA1988GOI008959

## 05/08/2014 को निदेशक मंडल के सदस्य

| | | |
|---|---|---|
| श्री डी.के. सर्राफ़ | अध्यक्ष | (01/03/2014 से) |
| श्री विष्णु अग्रवाल | प्रभारी प्रबंध निदेशक | (01/08/2014 से) |
| श्री विष्णु अग्रवाल | निदेशक (वित्त) | (01/04/2011 से) |
| श्री वी.जी. जोशी | निदेशक (रिफाइनरी) | (04/04/2013 से) |
| श्री पी. कल्याणसुंदरम् | निदेशक | (15/04/2013 से) |
| श्री बी.के. नामदेव | निदेशक | (01/07/2013 से) |
| श्री सी.एल. शाह | स्वतंत्र निदेशक | (22/10/2013 से) |
| श्रीमती नीला गंगाधरन् | स्वतंत्र निदेशक | (22/10/2013 से) |
| प्रो. जयवंत एम. मोदक | स्वतंत्र निदेशक | (22/10/2013 से) |
| प्रो. उषा किरण रै | स्वतंत्र निदेशक | (22/10/2013 से) |
| कैप्टन जॉन प्रसाद मेनेज़स | स्वतंत्र निदेशक | (22/10/2013 से) |
| श्री ए.के. बैनर्जी | विशेष अतिथि | (05/08/2013 से |
| श्री सुधीर वासुदेव | अध्यक्ष | (28/02/2014 तक) |
| श्री पी.पी. उपाध्या | प्रबंध निदेशक | (31/07/2014 तक) |
| श्री के. मुरली | निदेशक | (30/06/2013 तक) |
| श्री बी. रवींद्रनाथ | स्वतंत्र निदेशक | (06/01/2014 तक) |
| डॉ. डी. चंद्रशेखरम् | स्वतंत्र निदेशक | (11/03/2014 तक) |
| श्री के.एस. जेम्सटिन | विशेष अतिथि | (31/07/2014 तक) |

**कंपनी सचिव**
श्री दिनेश मिश्रा
श्री बी. सुकुमार (14/02/2013 से 22/10/2013 तक)

**पंजीकृत कार्यालय:**
मुडपाडव, कुत्तेतूर पी.ओ. मार्ग काटिपल्ला
मंगलूर-575 030
कर्नाटक
टेलीफोनः सं. 0824-2270400 वेबसाइट: www.mrpl.co.in

**विषय-वस्तु** **पृष्ठ सं.**


निदेशकों की रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

सी एण्ड एजी की टिप्पणियाँ

संधारणीय विकास निष्पादन संबंधी रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

तुलन-पत्र

लाभ-हानि लेखा

नकदी प्रवाह विवरण

टिप्पणियाँ

निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट

साचिविक लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

वार्षिक महासभा की सूचना

ई-मतदान संबंधी अनुदेश

पाँच वर्ष के निष्पादन की एक झलक


**सॉलिसिटर और अधिवक्ता**
मेसर्स मुल्ला एण्ड मुल्ला एण्ड क्रेग ब्लंट एण्ड कैरो, सॉलिसिटर्स
मेसर्स आलया लीगल, अधिवक्ता

**संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक**
मेसर्स गोपाल ऐय्यर एण्ड सुब्रमणियन्,
सनदी लेखाकार
मेसर्स ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स,
सनदी लेखाकार

**साचिविक लेखापरीक्षक**
मेसर्स उल्लास कुमार मेलिनमोगरु एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

**लागत लेखा परीक्षक**
मेसर्स मुसीब एण्ड एसोसिएट्स
लागत लेखाकार

**बैंकर**
भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बडौदा
पंजाब नैशनल बैंक, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, कार्पोरेशन बैंक, सिटी बैंक एन.ए.

**निवेशकर्ता संबंध कक्ष**

**मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेलिकल्स लिमिटेड**

- मुडपाडव, कुत्तेतूर पी.ओ. मार्ग काटिपल्ला
  मंगलूर - 575030, कर्नाटक
  टेलीफोनः सं. 0824-2270400 फैक्स सं.: 0824-2273300
  वेबसाइटः www.mrpl.co.in
- एलजीएफ, मर्केंटाइल हाउस
  15, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली - 110001
  टेलीफोन : 011-23463100 फैक्स : 011-23463201
  ई-मेलः investor@mrplindia.com
- **रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट**
- मेसर्स लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा.लि)
  सी-13, पन्नलाला सिल्क मिल्स कम्पाउंड,
  एल बी एस मार्ग, भंडूप (पश्चिम), मुंबई - 400 078
  टेलीफोनः 022-25963838 / 25946970 फैक्स सं.: 022-25946969
  ई-मेल: mrplirc@linkintime.co.in वेबसाइटः www.linkintime.co.in

# निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर (एमआरपीएल)के निदेशक मंडल की तरफ से और खुद अपनी तरफ से आपकी कंपनी का निष्पादन दर्शानेवाली 26वीं वार्षिक रिर्पोट, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर 31.03.2014 को समाप्त वर्ष की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पेश करने में मैं बड़ा फ़क्र महसूस करता हूँ।

यह गर्व की बात है कि आपकी कंपनी का दर्जा अनुसूची ' ख ' से बढ़कर अब अनुसूची ' क ' का केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का प्रतिष्ठान (सीपीएसई) हो गया है। आपकी कंपनी, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने के इरादे से नई दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। हमने, तमाम शेयरधारकों के लगातार समर्थन के साए तले मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए अवसरों का फायदा उठाया और नाकामयाबी को झेलते हुए दृढसंकल्प के साथ कदम बढाया।

## 1.0 निष्पादन की एक झलक

- पिछले वर्ष 2012–13 के दौरान 14.41 एमएमटी के मुकाबले वर्ष 2013–14 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 14.59 एमएमटी क्रूड प्रोसेस किया गया।
- पिछले वर्ष 2012–13 के ₹68,834 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2013–14 के दौरान अब तक का सर्वाधिक ₹75,226 करोड़ का कुल कारोबार किया गया।
- पिछले वर्ष 2012–13 के ₹33,340 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2013–14 के दौरान अब तक का सर्वाधिक ₹35,392 करोड़ का कुल निर्यात किया गया।
- कर उपरांत लाभ (पीएटी), पिछले वर्ष 2012–13 में उठाई गई ₹757 करोड़ की हानि की तुलना में वर्ष 2013–14 के दौरान ₹601 करोड़ रहा।

## 1.1 वित्तीय निष्पादन का सारांश

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय निष्पादन का सारांश नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में )

| | 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| **कुल कारोबार** | 75226 | **68834** |
| मूल्यह्रास ब्याज और कर पूर्व लाभ | 1437 | 456 |
| ब्याज और वित्त प्रभार | 321 | 329 |
| ब्याज उपरांत परंतु मूल्यह्रास और कर पूर्व कुल लाभ | 1116 | 127 |
| मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | 706 | 604 |
| **कर पूर्व लाभ/(हानि)** | 410 | **(477)** |
| कराधान के लिए प्रावधान (आस्थिगत कर देयता) | (191) | 280 |
| **कर उपरांत लाभ/(हानि)** | 601 | **(757)** |
| पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष | 4238 | 4999 |
| विनियोजन के लिए उपलब्ध अधिशेष | 4839 | 4242 |
| पूंजीगत आरक्षित शोधन निधि में अंतरण | – | 4 |
| **तुलन पत्र में आगे लाया गया शेष** | 4839 | **4238** |

## 1.2 लाभांश

पिछले वित्तीय वर्ष से आगे लाई गई हानि और कंपनी की बृहत् पूंजी विस्तार योजनाओं की पूर्ति करने के लिए निधि की ज़रूरतों को देखते हुए आपके निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए कोई लाभांश घोषित करने की सिफ़ारिश नहीं की। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम, चरण-III रिफाइनरी परियोजना पूरी तरह से चालू होते ही तरक्की करेंगे और शेयरधारक का मूल्य बढ़ाएंगे जिसके चलते कंपनी के परिचालन लाभ में उल्लेखनीय सुधार होगा।

## 1.3 परिचालनगत निष्पादन

आपकी कंपनी ने, पिछले वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान 14.41 एमएमटी के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 14.59 एमएमटी क्रूड प्रोसेस किया। चालू करते समय निवल उपयोग को देखते हुए ईंधन और हानि का प्रमाण 7.15% रहा यानी यूनिटों के स्थिरीकरण के दौरान ईंधन खपत के कारण इसमें 1% की बढ़त हुई।

रिफाइनरी ने, वर्ष 2012–13 के दौरान 61.01 के ऊर्जा सूचक के मुकाबले वर्ष 2013–14 के दौरान 60.88 के ऊर्जा सूचक(एमबीटीयू/बीबीएल/एनआरजीएफ) के साथ सर्वाधिक क्रूड का प्रसंस्करण किया।

## 1.4 निर्यात

आपकी कंपनी ने, वर्ष 2013–14 के दौरान मोटर स्पिरिट (एमएस), नैफ्ता, मिश्रित जाइलिन (एमएक्स), हाई स्पीड डीजल (एचएसडी), एअर टर्बाईन ईंधन (एटीएफ)और ईंधन तेल (एफओ) जैसे उत्पादों का निर्यात करते हुए अब तक का सर्वाधिक ₹35,392 करोड़ का कुल कारोबार हासिल किया।

आपकी कंपनी स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन, मॉरिशियस को पेट्रोलियम उत्पादों जैसे मोगैस, एटीएफ, गैस तेल और ईंधन तेल की आपूर्ति करती रही।

वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में, आपकी कंपनी ने 21 देशों में जैसे; बहामास, चीन, मिस्र, हाँगकाँग, जापान, जोरडन, कीन्या, कोरिया, मलेसिया, मौरिशियस, नेदरलैंड, ओमन, साऊदी अरेबिया, सिंगपूर, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, तैवान, टर्की, यूएई, यूके और येमन में पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करते हुए अपना स्थान बना लिया है और तरक्की के अधिक अवसरों की खोजबीन करने का सिलसिला जारी रखा है।

## 1.5 सुरक्षा संबंधी निष्पादन

आपकी कंपनी ने काम किए गए 8.59 दसलक्ष श्रम घंटे होते हुए 22/07/2014 को 912 दुर्घटना मुक्त दिवस हासिल किए। वर्ष के दौरान चरण-III रिफाइनरी उन्नयन और विस्तार परियोजना की विभिन्न यूनिटें एवं संग्रहण टैंक, सुरक्षित ढंग से चालू किए गए।

आपकी कंपनी, अग्नि और सुरक्षित पद्धतियां अपनाने के लिए निरंतर रूप से प्रशिक्षण देने के प्रति प्रतिबद्ध है। वर्ष के दौरान, 1085 कर्मचारियों और 5788 ठेका कामगारों को आग और औद्योगिक सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षित किया गया। संयंत्र वाले और संयंत्र रहित क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की आपात स्थितियों पर विचार करते हुए नियमित रूप से नकली प्रदर्शन किए गए।

## 1.6 पर्यावरण प्रबंधन और निष्पादन

आपकी कंपनी की मान्यता है '' अनुपालन के परे काम करना ''– अर्थात् कानून में अपेक्षित न्यूनतम मानदंड से बेहतर प्रदर्शन करना। पर्यावरण प्रबंधन तंत्र में आपकी कंपनी की रिफाइनरी को ISO 14001: 2004 का प्रमाणीकरण हासिल हुआ है। पर्यावरण प्रबंधन और निष्पादन के छोर पर प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार रहीं:

- चरण–III में उन्नत अपशिष्ट जलोपचारक संयंत्र (डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी)है जिसमें तेल बहिस्राव उपचार यूनिट, सीक्वेंशियल बैच रीएक्टर (एसबीआर)और मेंब्रेन बायो रीएक्टर (एमबीआर)शामिल है। यह यूनिट, वर्ष के दौरान चालू की गई।

- रिफाइनरी में गंधक पैस्टिलेशन यूनिट, गंधक रिकवरी यूनिट (एसआरयू)में धूल का उत्सर्जन कम करने की दृष्टि से चालू की गई।
- रिफाइनरी में दोबारा उपयोग करने की खातिर उपचारित जल की मात्रा बढ़ाने के लिए 30/10/2013 को एक उन्नत किस्म का रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्र (आरओ)चालू किया गया।
- डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी का निष्पादन सुधारने की दृष्टि से भुक्त शेष कॉस्टिक का उपचार करने के लिए रिफाइनरी में आर्द्र वायु ऑक्सीकरण (डब्ल्यूएओ) यूनिट स्थापित किया गया है।
- वर्ष के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी-III में वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)रिकवरी तंत्र चालू किया गया। रिफाइनरी में 74,000 स्थानों पर वीओसी उत्सर्जन पर नजर रखने का काम एक प्रतिष्ठित एजेंसी के सुपुर्द किया गया है और उत्सर्जन कम करने की दिशा में निवारक उपाय कारगर तरीके से किए जा रहे हैं।
- प्रोसेस यूनिट में एक संघनित रिकवरी यूनिट चालू की गई जिससे ताजा पानी की खपत कम हुई है।
- डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी के एक अंग के तौर पर रिफाइनरी में क्लोस्ड बायोरेमेडिएशन यूनिट चालू की गई।
- आस-पास के गांवों और स्कूलों में कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी)के सहयोग से वक्त-वक्त पर पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाते हैं।
- कर्नाटक वन विभाग, कर्नाटक सरकार से रिफाइनरी के 120 एकड़ के क्षेत्र में हरित पट्टी विकसित करने का अनुरोध किया गया है। वन विभाग ने, आपकी कंपनी के रिफाइनरी क्षेत्र में पौधे और पेड़ लगाना शुरू किया है।
- रिफाइनरी में क्रूड टैंकों की सफाई करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाई गई है।
- मेसर्स कॉलेज ऑफ फिशरीस द्वारा पाक्षिक आधार पर समुद्री जल की गुणवत्ता का अनुप्रवर्तन किया जा रहा है जिससे यह संकेत मिला कि उपचारित बहिस्राव के विसर्जन से समुद्री पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड रहा है।
- रिफाइनरी के इर्द-गिर्द, दस भूमि जल निगरानी केंद्र स्थापित किए गए हैं और केएसपीसीबी के साथ भूमि जल की गुणवत्ता पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है। वर्ष के दौरान कूलिंग टावर में पुनःचक्रित औसत बहिस्राव का प्रमाण करीब 70-75% रहा।
- संशोधित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी मानक के अनुसार रिफाइनरी के अंदर और बाहर 9 स्थानों पर (चरण-III परियोजना स्थल पर दो स्थानों सहित)परिवेशी वायु की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जा रही है।

आपकी कंपनी ने नीचे उल्लिखित परियोजनाएँ भी हाथ में ली है जो स्थापना के विभिन्न चरणों में हैं:

आपकी कंपनी ने नीचे उल्लिखित परियोजनाएँ भी हाथ में ली है जो चालू होने के विभिन्न चरणों में हैं:

- चरण-III के तहत रिफाइनरी की परियोजना में हल्के हाइड्रोकार्बन संग्रहण टैंकों के लिए वाष्प रिकवरी तंत्र।
- संग्रहण टैंकों में स्वचालित रिम्म सील संरक्षण स्थापना।
- एलपीजी स्फीयर्स और मौल्डेड बुलेट्स पीएसवी बहिस्राव का संस्फुरण हेडर के साथ कनेक्शन।

## 1.7 विपणन

### 1.7.1 विपणन और कारोबार विकास

आपकी कंपनी, कर्नाटक राज्य और उसके आस-पास के राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों के प्रत्यक्ष बिक्री खंड में अपना बाजार अंश लगातार बढाती रही है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान विपणन में कुल प्रत्यक्ष कारोबार ₹2589 करोड़ रहा।

उत्तर कर्नाटक और गोवा में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन मिलने के बाद, कुछ प्रमुख ग्राहक, गैस के बदले द्रव ईंधन अपनाने लगे हैं जिससे द्रव ईंधन बाजार में कमी महसूस हो रही है। लेकिन आपकी कंपनी, अप्रैल, 2014 के दौरान चरण-III परियोजना में चालू की गई डीलेड कोकर यूनिट (डीसीयू) से उत्पादित पेट्रकोक की बिक्री के लिए अच्छा बाजार ढूँढ पाई है।

आपकी कंपनी, चरण- III रिफाइनरी परियोजना में चालू की गईं विभिन्न यूनिटों के जरिए पेट्रकोक, पॉलीप्रॉपीलीन (पीपी)आदि जैसे विभिन्न मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए अपना प्रत्यक्ष विपणन जाल विकसित करती रही है।

### 1.7.2 खुदरा प्रचालन

एचएसडी के लिए दोहरा कीमत निर्धारण पेश करने के बाद आपकी कंपनी ने एचएसडी की थोक बिक्री में कदम रखा जिससे थोक उपभोक्ता खंड में बिक्री में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मिश्रित ज़ाइलीन की देशी बिक्री में पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है। खुदरा खंड में धीरे-धीरे एचएसडी के विनियंत्रण को देखते हुए, आपकी कंपनी, चुनिंदा बाजारों में गिने-चुने खुदरा केंद्र स्थापित करने के अवसरों का मूल्यांकन कर रही है।

### 1.7.3 नए उत्पादों को बेचने की योजना

आपकी कंपनी, 440 केटीपीए की क्षमता वाला पॉलीप्रॉपीलीन संयंत्र स्थापित करने जा रही है जिससे अनुप्रवाह प्रोसेसिंग उद्योग को कच्चा माल आसानी से मिलेगा। देशी बाजार में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पॉलीप्रॉपीलीन (पीपी) की बिक्री के लिए चैनल साझेदारों को पहचाना गया है। इसके अलावा, आपकी कंपनी, विपणन जाल के लिए अपना आपूर्ति चेन संभालने के लिए कर्नाटक में पॉलीप्रॉपीलीन (पीपी) के लिए संग्रहण संरचना भी विकसित कर रही है।

### 1.7.4 संयुक्त उद्यम

आपकी कंपनी का, भारतीय हवाई अड्डों पर देशी और अंतर्राष्ट्रीय एअरलाइनों, दोनों को एविएशन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ)उपलब्ध कराने वाले शेल्ल एमआरपीएल एविएशन प्यूएल सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड (एसएमएएफएसएल)के नाम से लोकप्रिय शेल्ल बी.वी.नेदरलैंड के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी)अच्छा चल रहा है।

एसएमएएफएसएल का कुल कारोबार, पिछले वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान ₹486 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹651 करोड़ रहा और कर पूर्व लाभ, पिछले वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान ₹13.14 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹18.40 करोड़ रहा। कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष 2012-13 के 8% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 10% का लाभांश घोषित किया।

## 2. पुरस्कार और मान्यता:

- सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग ने 04.07.2013 से एमआरपीएल की श्रेणी अनुसूची ' बी ' से अनुसूची ' ए ' तक बढ़ाई जिससे आपकी कंपनी ''नवरत्न'' दर्जा हासिल करने के लिए पात्र हुई है।
- स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण संबंधी मानदंड पूरा करते हुए उत्पादन और प्रचालन दक्षता में चोटी का निष्पादन दर्शाने के लिए प्रतिष्ठित पेट्रोफेड का ' वर्ष की रिफाइनरी ' का पुरस्कार हासिल किया।
- स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण संबंधी मानदंड पूरा करते हुए उत्पादन और प्रचालन दक्षता में चोटी का निष्पादन दर्शाने के लिए 2011-12 के लिए प्रतिष्ठित पेट्रोफेड का ' वर्ष की रिफाइनरी' का पुरस्कार हासिल किया।
- फेडरनेशन ऑफ कर्नाटका चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री से विनिर्माता/ निर्यातकर्ता (बडी श्रेणी)-स्वर्ण में '' निर्यात में उत्कृष्टता पुरस्कार 2013 '' प्राप्त किया।
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक), मंगलूर ने वर्ष 2012-2013 के लिए हिन्दी कार्यान्वयन के क्षेत्र में असाधारण निष्पादन के लिए 28/05/2013 को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया।
- 6.0 की जटिलता वाली रिफाइनरी श्रेणी के अधीन वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए ऊर्जा निष्पादन के लिए जवाहर लाल नेहरू शताब्दी पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

- 1000 MM Kcal/घंटे से अधिक हीट ड्यूटी वाले फर्नेस/बॉइलर दक्षता के लिए ओजीसीएफ–2012 पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार हासिल किया।
- कर्नाटका सरकार से मध्यम/बड़ी श्रेणी–स्वर्ण में क्रमशः 2012–13 और 2011–12 के लिए ' राज्य में निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार ' हासिल किया गया।
- 43वें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह के अवसर पर कारखाना और बॉइलर विभाग से '' उत्कृष्ट ईंधन कुशल बॉइलर प्रचालन '' के लिए पुरस्कार हासिल किया।

## 3. साख संबंधी प्रोफाइल

3.1 आईसीआरए ने दोबारा पुष्टि की है कि उसने आपकी कंपनी को "Ir AAA" का (जिसका उच्चारण होता है IR ट्रिपल A)दर्जा दिया है। यह दर्जा यह संकेत देता है कि आईसीआरए ने साख की गुणवत्ता के सिलसिले में सर्वाधिक दर्जा दिया है और दर्जा प्राप्त संस्थान को ऋण देने में सब से कम जोखिम है।

3.2 आईसीआरए ने एमआरपीएल की ₹3000 करोड़ की निधि आधारित सीमाओं के लिए "[ICRA] AAA" का दर्जा दिया है (जिसका उच्चारण है ICRA ट्रिपल A)। यह दर्जा " स्थिरता '' दर्शाता है।

3.3 आईसीआरए ने इस बात की पुष्टि की है कि आपकी कंपनी की ₹4,000 करोड़ की निधि आधारित सीमाओं के लिए "[ICRA] A1+" (जिसका उच्चारण होता है ICRA A वन् प्लस्स) का दर्जा दिया गया है।

3.4 आईसीसआरए ने आपकी कंपनी द्वारा जारी ₹1,500 करोड़ के वाणिज्यिक पत्र कार्यक्रम के लिए "[ICRA] A1+" ((जिसका उच्चारण है ICRA A वन्न प्लस्स) का दर्जा देने की दोबारा पुष्टि की है। इस दर्जे से संकेत मिलता है कि वित्तीय बाध्यताओं का वक्त पर भुगतान करने की बात एकदम सुरक्षित है अर्थात् ऋण देने में जोखिम एकदम कम है।

3.5 क्राइसिल ने "[CCR AAA] " (जिसका उच्चारण होता है CCR ट्रिपल A)दर्जा देने की दोबारा पुष्टि की है। यह दर्जा इस ओर इशारा करता है कि ऋण चुकाने में आपकी कंपनी की स्थिति एकदम मजबूत है।

## 4. वित्तीय लेखाकरण:

वित्तीय विवरण, आम तौर पर स्वीकृत लेखा संबंधी सिद्धांतों (जीएएपी), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आपकी कंपनी की गतिविधियों के लिए लेखाकरण पर समस्त लेखाकरण मानक संबंधी मार्गदर्शन टिप्पणी और अनुसूची में दिए गए प्रारूप तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्य संबंधित प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं। एमसीए परिपत्र सं.1/19/2013–सीएल–वी दिनांक 04/04/2014 में स्पष्ट किया गया है कि 1 अप्रैल, 2014 से पहले शुरू हुए वित्तीय वर्षों के संबंध में संलग्न किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के साथ वार्षिक लेखे/वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और मंडल की रिपोर्ट, कंपनी अधिनियम, 1956 के संबंधित प्रावधानों/अनुसूचियों/नियमों के अधीन होगी।

## 5. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आपकी कंपनी में सुव्यवस्थित आंतरिक नियंत्रण तंत्र है जो उसके आकार और प्रचालन स्वरूप के अनुरूप है। आंतरिक नियंत्रण तंत्र ऐसे बनाए गए हैं जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग में विश्वसनीयता पर उचित आश्वासन दिया जा सके, लेन–देन का उचित प्राधिकरण सुनिश्चित किया जा सके, कंपनी की आस्तियों की हिफ़ाज़त की जा सके और दुरुपयोग / हानि को रोका जा सके तथा कानूनी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

आंतरिक नियंत्रण तंत्र में, ठीक तरह से परिभाषित अधिकारियों के प्रत्यायोजन और व्यापक प्रबंध सूचना तंत्र के साथ परिचालन और वित्तीय निष्पादन की समीक्षा की जाती है, ठीक तरह से रची गई बजटिंग प्रक्रिया है जिसके तहत खर्च पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है, आधुनिकतम ईआरपी तंत्र और आंतरित लेखा परीक्षा है।

आंतरिक लेखा परीक्षा टीम को एक पेशेवर लेखा परीक्षा प्रबंधक संभालते हैं जिनकी संगठन के विभिन्न विभागों के वित्तीय और तकनीकी कर्मचारी मदद करते हैं। आंतरिक लेखा परीक्षा, कंपनी के प्रबंधन और सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ परामर्श करने के बाद अंत में लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन मिलने पर वर्ष के प्रारंभ में तैयार की गई योजना के अनुसार की जाती है। लेखा परीक्षा योजना के तहत सभी महत्वपूर्ण जोखिम क्षेत्रों को समाने, मौजूद प्रक्रियाओं, नियंत्रणों एवं अनुपालन की प्रभावशालिता की समीक्षा और मूल्यांकन करने तथा नीतियों एवं क्रियाविधियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं। कंपनी के आंतरित लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा को लेकर की गईं समस्त महत्वपूर्ण टिप्पणियों की प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। लेकिन, प्रबंधन की प्रतिक्रियाओं/जवाबों के साथ लेखा परीक्षा के बारे में समस्त टिप्पणियाँ और अनुवर्ती कार्रवाइयाँ, लेखा परीक्षा समिति के समक्ष समीक्षार्थ आवधिक रूप से पेश की जाती हैं।

## 6. परियोजनाएं

### क) क) चालू परियोजनाएँ

### i. चरण III रिफाइनरी उन्नयन और विस्तार परियोजना

चरण III रिफाइनरी उन्नयन और विस्तार परियोजना की गौण प्रोसेस यूनिटों को चालू करने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है जिससे अधिक आसुत का उत्पादन होगा और कम मूल्य के काले तेल से प्रॉपीलीन, गैसोलीन जैसे अधिक मूल्यवान उत्पादों का उत्पादन किया जा सकेगा।

क्रूड आसवन यूनिट (सीडीयू), हाइड्रोजन उत्पादन यूनिट (एचजीयू) और डीज़ल जलोपचारक यूनिट (डीएचडीटी), पिछले वित्तीय वर्ष में चालू की गईं। अप्रैल और मई 2014 में डीलेड कोकर यूनिट (डीसीयू), गंधक रिकवरी यूनिट (एसआरयू) और कोकर गैस तेल जलोपचारक यूनिट (सीएचटीयू) का एक ट्रेन चालू करने के बाद रिफाइनरी ने प्रमुख मील पत्थर कायम किए। चरण–III में अंतिम प्रोसेस यूनिट, पेट्रो (पीएफसीसीयू) यूनिट, चालू करने के अंतिम चरण में है जिसे शीघ्र ही चालू किया जाएगा।

मेसर्स बीएचईएल द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी)पूरा करने में विलंब होने के कारण ही इसे चालू करने में विलंब हुआ। अधिकतर प्रमुख उपकरण चालू किए जा चुके हैं और उम्मीद की जाती है कि सीपीपी, चरण– की तमाम यूनिटें चलाने के लिए अपेक्षित प्रमाण में भाप और विद्युत की आपूर्ति कर पाएगा।

चरण– रिफाइनरी उन्नयन और विस्तार परियोजना पर आपके कंपनी द्वारा 15/07/2014 तक कुल मिलाकर करीब ₹11500 करोड़ का व्यय किया गया था।

### ii. पॉलीप्रॉपीलीन परियोजना (पीपी):

आपकी कंपनी द्वारा लाइसेंसकर्ता मेसर्स नावोलीन टेक्नॉलजी, जर्मनी के साथ चरण–III परियोजना के एकीकरण के साथ ₹1804 करोड़ के अनुमानित पूँजीगत परिव्यय पर स्थापित की जा रही पॉलीप्रॉपीलीन (पीपी) यूनिट में 15/07/2014 को 95.6% की समग्र प्रगति हासिल की गई थी।

पीडीएफ द्वारा साइट खाली न करने के कारण यूनिट का स्थान बदलना पड़ा जिससे साइट कार्य में और पर्यावरण संबंधी मंजूरी पाने में विलंब हुआ। उम्मीद की जाती है कि यांत्रिक रूप से यह परियोजना पूरा होने के बाद जल्द ही चालू होगी। इस परियोजना पर 15/07/2014 तक कुल मिलाकर ₹960 करोड़ व्यय किया गया था।

### iii. सिंगल पाइंट मूरिंग (एसपीएम)परियोजना

आपकी कंपनी ने, बहुत बडे क्रूड जहाजों (वीएलसीसी)को संभालने के लिए समुद्र के अंदर 16 किलोमीटर की दूरी पर 30 मीटर की गइराई में बंदरगाह की सीमाओं के अंदर तटवर्ती बूस्टर पंपिंग केंद्र के साथ ₹1044 करोड़ की अनुमानित लागत पर एसपीएम परियोजना स्थापित की है। 87('000MT) टीएमटी के कार्गो के साथ पहले क्रूड जहाज

रत्न पूजा को अनलोड करने के साथ एसपीएम को 29/08/2013 को सफलता से चालू किया गया।

इस सुविधा की बदौलत, कंपनी, यूएज़ मैक्स / वीएलसीसी जहाजों में क्रूड प्राप्त कर सकेगी जिससे बदले में माल भाड़े में बचत होने के साथ-साथ पश्चिम अफ्रीकी देशों और लातिन अमेरिकी देशों से क्रूड हासिल करना भी संभव होगा। इस सुविधा से नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट (एनएमटीपी) में मौजूदा बर्थ सुविधा में भीड़ भी कम होगी जिससे विलंब शुल्क कम होगा।

iv. **रिफाइनरी निष्पादन सुधार कार्यक्रम**

आपकी कंपनी ने, उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी)के तत्वावधान में मेसर्स शेल्ल ग्लोबल सोल्यूशन्स इंटरनैशनल बी.वी. के जरिए रिफाइनरी निष्पादन सुधार कार्यक्रम (आरपीआईपी)हाथ में लिया है।

आरपीआईपी का मक़सद है, प्रचालन, ऊर्जा और उपयोगिताओं की खपत का इष्टतमीकरण करने, हाइड्रोकार्बन हानि को कम करने और रख-रखाव एवं निरीक्षण पद्धतियों में सुधार करने सहित लाभ की मात्रा पर असर डालने वाले क्षेत्रों में बेहतरीन प्रचालन पद्धतियाँ अपनाते हुए सुधार करने के अवसर पहचानना।

मूल्यांकन के बाद विकसित पीएफआई (कार्यान्वयन के प्रस्ताव), कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

ख) **भावी परियोजनाएँ**

आपकी कंपनी ने कर्नाटक सरकार के साथ, लीनियर अल्काइल बेंज़ीन (एलएबी) संयंत्र लगाने (अपमार्जक बनाने के लिए ज़रूरी कच्चा माल)और मंगलूर में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और अपेक्षित संरचना की उपलब्धता के अधीन ₹8,500 करोड़ के अनुमानित निवेश पर 3 से 6 वर्षों में अपनी परिष्करण क्षमता 18/21 एमएमटीपीए तक बढाने के लिए, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए।

7. **ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी का समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय :**

ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी के समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय के संबंध में कंपनी (निदेशकों की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण) नियम, 1988 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1)(ई)का अनुसरण करते हुए प्रकट करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी 'अनुबंध-I' में दी गई है जो इस रिपोर्ट का ही एक अंग है।

8. **कर्मचारियों के विवरण**

एक सरकारी कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) और कर्मचारी विवरण (संशोधन) नियम, 2011 के तहत प्रकटन करने से छूट दी गई है।

9. **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

आपकी कंपनी की आरटीआई पुस्तिका, उसके वेबसाइट www.mrpl.co.in पर उपलब्ध है जिसमें तमाम अपेक्षित जानकारी प्रकट की गई है।

वर्ष के दौरान, 114 आवेदन पत्र मिले जिनमें से 111 आवेदन पत्र, 31.03.2014 से पहले और बचे रहे 3 आवेदन पत्र बाद में निपटाए गए।

10. **मानव संसाधन**

- वर्ष 2013-14 के दौरान आपकी कंपनी का अपने सहयोगियों के साथ संबंध हार्दिक एवं सौजन्यपूर्ण रहा और इसके सबूत के तौर पर, इस दौरान किसी औद्योगिक उपद्रव के कारण एक भी श्रम घंटा गंवाया नहीं गया।वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने 114 कर्मचारियों की भर्ती की। इनमें से 8 महिला कर्मचारी, 44 अनुसूचित जाति (एससी) / अनसूचित जनजाति के (एसटी) कर्मचारी हैं।
- 31.03.2014 को कर्मचारियों की कुल संख्या, 127 महिला कर्मचारियों, अ.जा/अ.ज.जा. के 191 कर्मचारियों और शारीरिक दृष्टि से विकलांग कर्मचारियों सहित 1715 रही। 704 कर्मचारी, प्रबंधन संवर्ग के हैं जब कि 1011 कर्मचारी, गैर-प्रबंधन संवर्ग के अधीन आते हैं।
- वर्ष 2013-14 के दौरान आपकी कंपनी ने प्रशिक्षण, विकास और शिक्षा के लिए कुल मिलाकर 4809 श्रम-दिवस लगाए जो प्रति कर्मचारी औसतन 3 श्रम-दिवस बनता है। इसमें समग्र कर्मचारियों के लिए कार्यात्मक, विकासात्मक और विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए ।

11. **राजभाषा**

आपकी कंपनी, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राजभाषा नीति का अक्षरशः पालन कर रही है। कर्मचारियों में हिन्दी का प्रचार बढ़ाने की खातिर, मंगलूर, मुंबई, दिल्ली और बेंगलूर कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाएँ नियमित रूप से चलाई गईं। कर्मचारियों के लाभार्थ हिन्दी आशुलिपी के अलावा प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञा जैसी कक्षाएं नियमित रूप से चलाई जाती रही हैं। कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में पत्राचार का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, आपकी कंपनी में प्रयुक्त तमाम कंप्यूटरों पर यूनिकोड सुविधा को सक्रिय करने के लिए विशेष प्रयास किए गए। हिन्दी का प्रयोग करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, नकद पुरस्कार और वैयक्तिक वेतन जैसी प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई।

12. **सतर्कता प्रकार्य:**

आपकी कंपनी ने सतर्कता कार्य के लिए रचनात्मक तंत्र विकसित किया है और इसका मक़सद है सभी हिस्सेदारों के समक्ष सतर्कता की उपयोगिता को स्थापित करना। इस प्रक्रिया के दौरान अधिक पारदर्शिता लाने के लिए बहु आयामी नियंत्रण और संतुलन रखा जाता है। वर्ष के दौरान सतर्कता जागरूकता और निवारक सकर्तता गतिविधियां लगातार चलाई गईं। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी)के दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है। संवेदनशील पद संभालने वाले अधिकारियों का नियमित रूप से आवर्तन किया जाता है।

कर्मचारियों के लिए मुखबिर नीति बनाई गई है जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि ईमानदार मुखबिर को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान किया जाता है। सीवीसी के अनुदेशों का पालन करते हुए आपकी कंपनी ने शिकायत संभालने वाली नीति लागू की है जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों को दर्ज किया जाता है और उनकी सतर्कता की निगाहों से जांच-पड़ताल की जाती है। आगे, सीवीसी के अनुदेशों के अनुरूप आपकी कंपनी ने ई-भुगतान और ई-टेंडर के बारे में बहुत ही उच्च अनुपालन स्तर हासिल किया।

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का फ़ायदा उठाने पर अधिक बल दिया जा रहा है जिसमें सतर्कता ने एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। कंपनी के वेबसाइट में, डाउनलोड करने लायक टेंडर संबंधी दस्तावेज प्रदर्शित किए जाते हैं, नामांकन आधार पर दिए गए कार्य के बारे में सूचना प्रकट की जाती है, ठेके देने के बाद जरूरी सूचना प्रकट की जाती है।

पूर्ण कालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)काम कर रहे हैं और संतर्कता संबंधी शिकायतों के बारे में इनसे cvo@mrplindia.com पर संपर्क किया जा सकता है।

13. **सुरक्षा उपाय**

आपकी कंपनी की रिफाइनरी की सुरक्षा को लेकर समय-समय पर आसूचना ब्यूरो (आईबी), गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट तेल क्षेत्र के लिए संरचना संरक्षण योजना (ओएसआईपीपी)और सुरक्षा लेखा परीक्षा संबंधी सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जाता है। आपकी कंपनी की रिफाइनरी की सुरक्षा की देखभाल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)द्वारा की जाती है और नए सिरे से चालू की गई चरण-III परियोजना को सीआईएसएफ के दायरे में लाने की दिशा में सर्वेक्षण किया जा रहा है समग्र रिफाइनरी

के लिए एकीकृत सुरक्षा निगरानी तंत्र स्थापित करने की परियोजना पर विचार किया जा रहा है।

सुरक्षा के लिए आपकी कंपनी की कार्यसूची में प्रथम स्थान दिया गया है और कार्य स्थान पर सुरक्षा की दृष्टि से तैयार रहने के लिए वक्त-वक्त पर नकली प्रदर्शन किए जाते हैं। सभी हिस्सेदारों में सुरक्षा के मुद्दे पर जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से, सुरक्षा जागरूकता सप्ताह आयोजित किए जाते हैं।

## 14. निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) की तरफ पहल

समाज कल्याण और सामुदायिक विकास की तरफ पहल के तौर पर आपकी कंपनी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, स्वास्थ्य की देखभाल और प्रचालन क्षेत्रों के इर्द-गिर्द बुनियादी सुविधाओं के समग्र विकास पर खासा ध्यान देती है। आपकी कंपनी का सीएसआई उद्देश्य, डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुरूप है जिसे " संरक्षण " के नाम के अधीन बढावा दिया जा रहा है। इसमें " हमारे कारोबार क्षेत्र के इर्द-गिर्द समाज, संस्कृति और पर्यावरण की धरोहर और संपत्ति का संरक्षण, परिरक्षण और प्रचार करने तथा संधारणीय विकास करने के प्रति भावना और प्रतिबद्धता " झलकती है। शिक्षा के लिए लगातार समर्थन देने के लिए मध्याह्न भोजन की सुविधा, कंप्यूटर कक्ष स्थापित करने, आंगनवाडी भवन बनाने, युवाओं की खातिर कुशलता विकास प्रशिक्षण, बुनियादी सुविधाओं का विकास आदि जैसी गतिविधियाँ संरक्षण गतिविधियों का एक अंग हैं।

आपकी कंपनी ने वर्ष 2013-14 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए ₹3.47 करोड़ खर्च किए।

## 15. निदेशक

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में नीचे उल्लिखित परिवर्तन हुए:

15.1 श्री सुधीर वासुदेव की ओएनजीसी की सेवाओं से निवृत्त होने के परिणामस्वरूप श्री डी.के. सर्राफ़ ने, 01/03/2014 से सीएमडी, ओएनजीसी और आपकी कंपनी के अध्यक्ष/निदेशक का पद संभाला।

15.2 सेवानिवृत्ति की उम्र प्राप्त होने के फलस्वरूप, श्री पी पी उपाध्या, प्रबंध निदेशक, 31 जुलाई, 2014 को एमआरपीएल की सेवाओं से निवृत्त हुए। श्री विष्णु अग्रवाल, निदेशक(वित्त)ने 01/08/2014 से प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाला।

15.3 श्री वी जी जोशी को 04/04/2013 से निदेशक (रिफाइनरी)के रूप में नियुक्त किया गया।

15.4 श्री पी. कल्याणसुंदरम्,संयुक्त सचिव, एमओपी एण्ड एनजी को श्री पी.के. सिंह, के स्थान पर 15/04/2013 से सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आवर्तन से सेवानिवृत्त होने वाले श्री पी. कल्याणसुंदरम् ने, पात्र होने के नाते निदेशक के रूप में अपनी पुनःनियुक्ति की पेशकश की।

15.5 एचपीसीएल की सेवाओं से निवृत्त होने के फलस्वरूप श्री के मुरली के स्थान पर श्री बी के नामदेव, निदेशक, रिफाइनरी (एचपीसीएल) को 01/07/2013 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री बी.के. नामदेव ने, जो आवर्तन के आधार पर सेवानिवृत्त होनेवाले हैं और पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश की।

15.6 श्री बी रवींद्रनाथ, 06/01/2014 से स्वतंत्र निदेशक/आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के नामिती निदेशक नहीं रहे।

15.7 ओएनजीसी के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद डॉ. डी. चंद्रशेखरम्, 10/03/2014 से स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

15.8 मंडल पर विशेष अतिरिक्त रहे श्री के.एस. जेम्सटिन, निदेशक (मा.सं.) के रूप में ओएनजीसी की सेवाओं से 31/07/2014 को निवृत्त हुए और मंडल पर विशेष अतिथि नहीं रहे। श्री ए.के. बैनर्जी, निदेशक (वित्त), ओएनजीसी को 05/08/2014 से एमआरपीएल के बोर्ड पर विशेष अतिथि के रूप में नामित किया गया है।

15.9 बोर्ड, कंपनी के बोर्ड पर अपने कार्यकाल के दौरान निदेशकों/विशेष अतिथि के रूप में श्री सुधीर वासुदेव, श्री पी पी उपाध्या, श्री पी.के. सिंह, श्री के. मुरली, श्री बी. रवीद्रनाथ, डॉ. डी. चंद्रशेखरम् और श्री के.एस. जेम्स्टीन द्वारा प्रदान की गईं सेवाओं और उनके योगदान की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है।

## 16. निदेशकों की ज़िम्मेदारी का बयान

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) के अधीन निदेशकों की जिम्मेदारी से संबंधित बयान के बारे में अपेक्षाओं का अनुसरण करते हुए यह पुष्टि की जाती है कि :

क. वार्षिक लेखे तैयार करते समय, लागू लेखा मानक अपनाने के साथ-साथ महत्वपूर्ण विचलन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

ख. उन्होंने ऐसी लेखा नीतियाँ अपनाईं और उनको लगातार लागू किया तथा मुनासिब और विवेकपूर्ण ढ़ंग से फ़ैसले और आकलन किए जिससे कि वित्तीय वर्ष के 2013-14 के अंत में कंपनी के कामकाज का और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ-हानि का सही एवं निष्पक्ष चित्र पेश किया जा सके।

ग. निदेशकों ने कंपनी की आस्तियों की हिफ़ाजत करने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 और 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखा संबंधी पर्याप्त रेकॉर्ड रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती।

घ. निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक लेखे चालू समुत्थान आधार पर तैयार किए हैं।

## 17. मीयादी जमाराशि

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक से कोई मीयादी जमाराशि स्वीकार नहीं की।

## 18. निगमित अभिशासन

18.1 आपकी कंपनी ने, निदेशक मंडल की संरचना की बात को छोड़कर कंपनी शासन की अपेक्षाओं के संबंध में लिस्टिंग संबंधी क़रारनामे के खंड 49 के तमाम अनिवार्यक प्रावधानों का और डीपीई, भारत सरकार द्वारा जारी सीपीएसई के कंपनी अभिशासन संबंधी अनिवार्यक दिशानिर्देशों का पालन किया है।

18.2 वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी शासन के बारे में एक अलग खंड दिया गया है जो इस रिपोर्ट का ही एक भाग है।

18.3 लिस्टिंग संबंधी करारनामे के खंड 55 का अनुसरण करते हुए, वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक कारोबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट (एबीआरआर) तैयार की गई है जिसे कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in पर अपलोड किया गया है।

18.4 शेयर बाजारों के साथ किए गए लिस्टिंग संबंधी क़रारनामे के खंड 49 का अनुसरण करते हुए, आपकी कंपनी ने कंपनी के लेखा परीक्षकों से निगमित अभिशासन के अनुपालन के बारे में प्रमाणपत्र प्राप्त किया है जिसे इसके साथ संलग्न किया गया है और जो इस रिपोर्ट का ही एक भाग है। अच्छे कंपनी अभिशासन के उपयोग के तौर पर, आपकी कंपनी ने वर्ष 2013-2014 के लिए वार्षिक साचिविक अनुपालन संबंधी लेखा परीक्षा करने के लिए मेसर्स उल्लास कुमार मेलिनमोगरु एण्ड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव, मंगलूर को मुकर्रर किया है। उल्लास कुमार मेलिनमोगरु एण्ड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव, मंगलूर ने वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक साचिविक अनुपालन संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है जो इस रिपोर्ट का एक अंग है।

## 19. प्रबंधन विवेचन और विश्लेषण

शेयर बाजारों के साथ लिस्टिंग संबंधी करारनामे के खंड 49 (IV)(एफ) के अनुसार, वर्ष के लिए प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न की गई है जो इस रिपोर्ट का ही एक अंग है।

## 20. लेखा परीक्षक:

20.1 भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक (सी एण्ड एजी) ने मेसर्स गोपाल ऐय्यर एण्ड सुब्रमणियन, कोयंबत्तूर और मेसर्स ए राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स, मंगलूर को वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है।

20.2 अनुबंध III में दी गई सी एण्ड एजी की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का अंग है।

20.3 कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए कंपनी द्वारा रखे गए लागत लेखों की लेखा परीक्षा, कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन के साथ नियुक्त हुए मेसर्स मुसीब एण्ड एसोसिएट्स द्वारा की जाती रही है।

## 21. आभार

- आपकी कंपनी, कारोबार करते समय हमेशा, पर्यावरण के संरक्षण, संधारणीय विकास, सुरक्षित कार्य स्थान और अपने हिस्सेदारों और व्यापक रूप से समुद्राय का जीवन समृद्ध बनाने के प्रति एकदम प्रतिबद्ध रही है।
- आपके निदेशक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी), वित्त मंत्रालय (एमओएफ), कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए), सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग (डीपीई), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ), विदेश मंत्रालय(एमईए), जहाजरानी मंत्रालय (एमओएस), गृह मंत्रालय (एमएचए), भारी उद्योग और सार्वजनिक प्रतिष्ठान मंत्रालय (एमओएचआई एण्ड पीई) और अन्य उद्योगों एवं केंद्र एवं राज्य सरकारों, विशेषकर कर्नाटक राज्य सरकार के विभागों के सहयोग, मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं।
- आपके निदेशक, अपनी मूल कंपनी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी)लिमिटेड से मिलते रहे सतत समर्थन एवं मार्गदर्शन के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं।
- आपके निदेशक, कंपनी के तमाम शेयरधारकों और सदस्यों के, कंपनी के प्रबंधन पर उनके भरोसे, विश्वास और विश्वसनीयता के शुक्रगुज़ार हैं।
- आपके निदेशक, कंपनी को लगातार तरक्की और उत्कर्ष की राह पर लेने जाने के तमाम कर्मचारियों के, एकजुट हो कर और एक टीम की भांति संगठित रूप से किए गए सतत और समर्पित प्रयासों क़ी भूरि-भूरि प्रंशसा करते हैं।

मंडल के लिए और उनकी ओर से

**(श्री डी.के. सर्राफ़)**
**अध्यक्ष**

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 05/08/2014

---

## निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध-I

### ऊर्जा का संरक्षण

आपकी कंपनी ने परिचालन का इष्टतम उपयोग करते हुए, लगातार निगरानी रखते हुए, संरक्षण संबंधी कई योजनाओं को अमल में लाते हुए ऊर्जा संरक्षण पर पहले की भांति बल देना जारी रखा।

क) वर्ष के दौरान ऊर्जा संरक्षण के प्रति किए गए ख़ास उपाय।
   i) सीडीयू/वीडीयू 3 में हॉट वेल्ल पंप ऑटो स्टार्ट/रोकने की व्यवस्था
   ii) सीडीयू/वीडीयू 3 में इष्टतम प्रचालन विधि।
   iii) सीडीयू/वीडीयू 1 में हीटर और हीटर विनिमायक की सफ़ाई।
   iv) एचसीयू 2 में पुनःचक्रण विपट्टक के हीटर ड्यूटी का इष्टतमीकरण।
   v) रिसाव का सर्वेक्षण करने के बाद संपीडित वायु और नाइट्रोजन नेटवर्क में रिसाव रोकना।

ख) ऊर्जा/संसाधनों की खपत कम करने के लिहाज से यदि कोई निवेश और प्रस्ताव, लागू किए जा रहे हों/विचाराधीन हों तो उनके ब्यौरे।
   i) सीडीयू/वीडीयू 1 में विपट्टन भाप कम करना।
   ii) एचसीयू1 में एपीएच का प्रतिस्थापन।
   iii) संपीडित वायु और नाइट्रोजन नेटवर्क में रिसाव रोकना।
   iv) एचसीयू2 में एपीएच का प्रतिस्थापन।
   v) सीसीआर1 चार्ज पंप की तरफ वीएसडी ड्राइव।

ग) ऊपर (क) में उल्लिखित उपाय करने से ऊर्जा खपत को लगभग 5000 एमटी/वर्ष तक घटाना संभव हुआ जो लगभग ₹74 लाख के निवेश के साथ लगभग ₹195 दशलक्ष/वर्ष की निवल बचत के समान है।

घ) कंपनी ने, वर्ष के दौरान ऊर्जा प्रबंधन तंत्र, ISO 50001 का कार्यान्वयन भी किया।

ङ) रिफाइनरी में ईंधन और हानि, 2012-13 के 7.0% के मुकाबले वर्ष 2013-14 में 7.88% रही। ईंधन और हानि के प्रमाण में वृद्धि, चरण-III परियोजनाओं के तहत यूनिटों को चालू करने के कारण हुई।

च) रिफाइनरी ने, वर्ष 2013-14 के दौरान 60.88 के ऊर्जा सूचक (एमबीटीयू/बीबीएल/एनआरजीएफ)के साथ सर्वाधिक क्रूड का प्रसंस्करण किया।

**पिछले चार वर्ष के दौरान एमआरपीएल का ऊर्जा निष्पादन इस प्रकार है**

| वर्ष | क्रूड थ्रूपुट, एमएमटीपीए (निवल क्रूड) आधार) | जटिलता, एनआरजीएफ (सीएचटी पद्धति) | ऊर्जा सूचक, एमबीएन (एमबीटीयू/ बीबीएल/ एनआरजीएफ) |
|---|---|---|---|
| 2013-14 | 14.547 | 5.354 | 60.88 |
| 2012-13 | 14.403 | 4.895 | 61.01 |
| 2011-12 | 12.818 | 5.487 | 57.92 |
| 2010-11 | 12.639 | 5.585 | 58.13 |

| क) बिजली और ईंधन की खपत | चालू वर्ष 2013-14 | पिछले वर्ष 2012-13 |
|---|---|---|
| 1. इलेक्ट्रिसिटी | | |
| क) खरीदी गई | | |
| यूनिट (दशलक्ष KWH) | 47.96 | 44.00 |
| कुल राशि (₹ दशलक्ष) | 303.00 | 262.86 |
| दर/यूनिट (रु/घथक)* | 6.32 | 5.97 |

*इसमें शामिल है ₹38.67 दशलक्ष का मांग प्रभार (2012-13 के लिए ₹30.59 दशलक्ष)
मांग प्रभार को छोड़कर प्रति KWH यूनिट लागत है ₹5.51 (2012-13 के लिए ₹5.28)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ख) | स्वयं उत्पादन | | |
| i) | डीज़ल जनरेटर (सरपाडी में) के जरिए | | |
| | यूनिट (दशलक्ष KWH) | 0.18 | 0.28 |
| | प्रति लीटर डीज़ल का यूनिट (KWH/लीटर) | 3.23 | 3.22 |
| | लागत/यूनिट (रु/KWH) | 15.77 | 14.09 |
| ii) | भाप टर्बाइन जनरेटर के जरिए | | |
| | यूनिट (दशलक्ष KWH) | 746.51 | 688.78 |
| | प्रति लीटर ईंधन तेल के लिए यूनिट (KWH/लीटर) | 3.02 | 2.91<br>12.78 |
| | लागत/यूनिट(रु/KWH) | 12.60 | |
| iii) | गैस टर्बाईन जनरेटर | | |
| | यूनिट (दशलक्ष KWH) | 49.38 | – |
| | प्रति लीटर एलजीओ यूनिट (KWH/लीटर) | 2.11 | – |
| | लागत/यूनिट (रु/KWH) | 23.16 | – |
| 2. | ईंधन तेल | | |
| | परिमाण (एमटी) (तेल + गैस) | 984501.0 | 887937.00 |
| | कुल राशि (₹ दशलक्ष में) | 39038.64 | 35929.08 |
| | औसत दर (₹/एमटी) | 39653.20 | 40463.55 |
| 3. | अन्य/आंतरिक उत्पादन | | |
| | डीज़ल (सरपाडी में) | | |
| | परिमाण (केएल) | 56.74 | 86.68 |
| | कुल लागत (₹ दशलक्ष) | 2.89 | 3.94 |
| | दर (रु/केएल) | 50873 | 45416 |
| 4. | प्रति यूनिट उत्पादन के लिए खपत | | |
| | प्रसंस्कृत कुल क्रूड (टीपीए) | | |
| | खपाया गया कुल ईंधन (टीपीए) | 14546787 | 14402524 |
| | (ईंधन और हानि शामिल है) | 1040206 | 963900 |
| | कुल इलेक्ट्रिसिटी (दशलक्ष KWH) (बाह्य आपूर्ति को घटाने के बाद) | 843.85 | 732.78 |
| | ईंधन की खपत, प्रोसेस किए गए क्रूड का एमटी/एमटी(%) | 7.15 | 6.69 |
| | इलेक्ट्रिसिटी की खपत, प्रसंस्कृत क्रूड का KWH/MT | 58.01 | 50.88 |

## फार्म – ख

### क) क) अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी)

1. **विशिष्ट क्षेत्र, जिनमें कंपनी ने 2013–2014 के दौरान आर एण्ड डी कार्य किया**

क) **क्रूड का परीक्षण**

नीचे उल्लिखित क्रूड के लिए टीबीपी उपकरण के सहारे क्रूड का परीक्षा किया गया: अबू सफेह, दलिया, किसांजे और ज़फ़ीरो

ख) **योज्य का मूल्यांकन**

डीज़ल की स्नेहकता बढ़ाने के लिए योज्य का मूल्यांकन किया गया।

ग) **क्रूड सम्मिश्रण की संगतता**

क्रूड सम्मिश्रण की संगतता के परीक्षण किए गए और क्रूड तेल मिश्रणों की संगतता का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक ग्राफिकल मॉडेल विकसित किया गया।

2. **उक्त आर एण्ड डी के परिणामस्वरूप मिले लाभ:**

क) विभिन्न क्रूड का परीक्षण करने से अधिकतम सीमा तक उत्पाद का उत्पादन करने और उत्पाद की गुणवत्ता बढाने की दृष्टि से यूनिट के प्रचालन स्थिति इष्टतम स्तर तक ले जाने में मदद मिली।

ख) योज्य का मूल्यांकन करने से प्रचालन यूनिटों को डोसेज स्तर इष्टतम स्तर तक बढाने और डीजके का निष्पादन सुधारने में योजक के रूप में बायो–डीजल का उपयोग करने की संभावनाओं की खोजबीन करने में मदद मिली है।

ग) क्रूड तेल के सम्मिश्रण की संगतता का पूर्वानुमान लगाने से प्रचालन यूनिटों और प्रोसेस इंजीनियरिंग को कूड सम्मिश्रण का इष्टतमीकरण करना संभव हुआ है।

3. **भावी कार्य योजना:**

क) बहिस्राव जल नमूने में अमोनिकल नाइट्रोजन कम करने की प्रक्रिया विकसित करना।

ख) एफसीसी उत्प्रेरक का अध्ययन।

4. **आर एण्ड डी पर व्यय**

- **पूंजी:** ₹50.30 लाख
- **राजस्व:** ₹38.30 लाख
- **कुल:** ₹88.60 लाख

### ख) प्रौद्योगिकी का समावेश, अनुकूलन और नवप्रवर्तन

i) आपकी कंपनी ने समावेश, अनुकूलन और नवप्रवर्तन के प्रति प्रयास किए।

क) चरण 3 की प्रोसेस यूनिटों, एचजीयू3, डीएचडीटी के लिए प्रौद्योगिकी का समावेश किया गया है।

ख) फर्नेस ड्यूटी में परिवर्तन किए बगैर यूनिट की क्षमता को 3.69 से 4.8 एमएमटीपीए तक बढाने के लिए सीडीयू–1 यूनिट का, प्री–फ्लैश कॉलम के साथ पुनर्योजन किया गया। पुनिर्योजित यूनिट,दोबारा अक्तूबर 2011 में चालू की गई।

ग) चरण–III में आनेवाली पीएफसीसी यूनिट को फीड करने की दृष्टि से वन्स थ्रू मोड ऑपरेशन सक्षम करने के लिए एचसीयू1 और एचसीयू2 यूनिटों का पुनर्निर्माण किया गया है जिनको दोबारा क्रमशः अक्तूबर 2011 और अप्रैल 2012 में चालू किया गया।

घ) गैस तेल जलीय–अवसल्फ्यूरीकरण यूनिट की क्षमता का पुनर्निर्माण कार्य पूरा किया जिससे अप्रैल 2009 के दौरान सयंत्र की क्षमता 30% तक बढाई गई।

ii) उक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त किए गए फायदे उदाः उत्पाद में सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन आदि। रिफाइनरी के थ्रूपुट को 14.547 एमएमटीपीए पर बरकरार रखा गया जब कि शुद्ध ईंधन के विनिर्देशों का पालन किया गया जिसके लिए अधिक जटिल परिचालन की ज़रूरत पड़ी । जीओएचडीएस/डीएचडीटी यूनिट की क्षमता के पुनर्निर्माण कार्य से यूरो – III और यूरो -IV श्रेणी के डीज़ल का उत्पादन करने की रिफाइनरी की क्षमता में सुधार हुआ है।

iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पिछले 5 वर्षों के दौरान आयातित) नीचे उल्लिखित जानकारी पेश की जाती है।

क) आयातित प्रौद्योगिकी 2013 में जीओएचडीएस यूनिट की क्षमता का पुनर्निर्माण कार्य, एचसीयू–1 और एचसीयू–2 को वंस–थ्रू मोड में पुनर्योजित करना, एचजीयू3 और डीएचडीटी।

ख) आयात वर्ष
2008–09, 2010–11, 2013–14

ग) क्या प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेश किया गया है? जी हां.

घ) अगर पूरी तरह से समावेश न किया गया हो तो यह काम किन क्षेत्रों में नहीं हुआ है और उसकी वजह क्या हैं तथा इस दिशा में भावी कार्य योजनाओं का जिक्र करें।
लागू नहीं।

ग) विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

(₹ करोड़ में)

| | वित्तीय वर्ष 2013–14 | वित्तीय वर्ष 2012–13 |
|---|---|---|
| विदेशी मुद्रा अर्जन – (निर्यात का एफओबी मूल्य) | 33952 | 32180 |
| विदेशी मुद्रा व्यय | 65678 | 56137 |

अनुबंध – II

## प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, 2013–14

### 1 आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक अर्थव्यवस्था, हर एक विकासशील देशों की तकदीर लिखने में सबसे निर्णायक भूमिका निभाती रही है। बदलती रही आर्थिक और व्यावसायिक स्थिति, उपभोक्ता की नई–नई वरीयताएँ, प्रौद्योगिकी के छोर पर रफ्तार से सामने आती रहीं और अपनाई जाती रहीं नई–नई विधाएँ और वैश्वीकरण से बाजार अधिक प्रतिस्पर्धात्मक हो रहा है, निगमों को काम करने के अपने तौर–तरीके बदलने पर मजबूर होना पड रहा है। इस माहौल में अब कंपनियाँ, अपने मूल कारोबार के उद्देश्यों जैसे राजस्व वृद्धि, लाभप्रदता और आस्ति की दक्षता पर अधिक बदल देती हुई नजर आ रही हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में, 2013 के द्वितीय भाग में उभरते हुए देशों से अधिक मांग के चलते वित्तीय वर्ष 2013–14 में मामूली सुधार का सिलसिला शुरु होते नजर आने लगा। हालांकि चालू वर्ष में इस रुख में और तेजी आने की संभावना है, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ–साथ दुनियाभर में वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप लागू की गईं यूएस फेडरल रिज़र्व की स्थिति में सहजता लाने की परिमाणात्मक (क्यूई)नीतियों में से कुछ नीतियों का दरकिनार करने के संभावित परिणामों के चलते, मंदी छाई रही।

भारत जैसे उभरते हुए बाजारों को बहुविध चुनौतियों, पूंजीगत बहिर्वाह, विनिमय दर पर तीव्र दबाव और चालू खाते में उतार–चढाव का सामना करना पडा। सतत मुद्रास्फीति, वित्तीय असंतुलन, बाह्य क्षेत्र की अतिसंवेदनशील प्रवृत्ति और कम निवेश जैसे मिले–जुले कारकों से देशी मांग में सुस्त वृद्धि नजर आई। भौगोलिक–राजनीतिक जोखिम, देशी छोर पर मानसून की परेशानी और उम्मीद से बढ़कर थोक मुद्रास्फीति ने रुपए को यूएस डॉलर के मुकाबले निचले स्तर तक ढकेल दिया। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)का मकसद है, विदेशी मुद्रा बाजार में अतिशय अस्थिरता पर अंकुश लगाना। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)द्वारा वित्तीय और मौद्रिक पहल की बदौलत, वित्तीय बाजार की स्थिति में स्थिरता लाना तो संभव हुआ है लेकिन देश में समष्टि–आर्थिक माहौल अभी भी चुनौतिपूर्ण बना हुआ है।

अमेरिका और यूरोप में आर्थिक सुधार का तेल की मांग पर सकारात्मक प्रभाव पडा जिसमें 2013 में 1.3 दशलक्ष बैरल प्रति दिन की बढ़ोतरी हुई। लिबिया, दक्षिण सुदान, पश्चिम अफ्रीका, सिरिया, मिस्र और इराक में आपूर्ति की समस्याओं के कारण क्रूड तेल की कीमतों में व्यापक रूप से उतार–चढाव नजर आया। कुछ हद तक युकरेन में घटनाक्रमों के कारण भौगोलिक–राजनितिक अनिश्चितता ने भी सर उठा लिया है। उच्चतर यूएस शेल तेल उत्पादन से इस तरह की बाधाओं से निपटने में मदद मिली जब कि ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतें, 2013 में औसतन $108.7 प्रति बैरल से थोड़ी सी कम रहीं।

पिछले दो वर्षों में भारत के लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाला मुद्दा रहा, डॉलर के मुकाबले रुपए की दुर्बलता, क्रूड कीमतें बढने से रुपए पर दबाव कम हो सकता है। इराक और युकरेन में भौगोलिक–राजनितिक तनाव को देखते हुए वैश्विक बाजार में जोखिम से बचने के तरीके बढने के साथ रुपए का, नकारात्मक दृष्टिकोण से व्यापार किया जा सकता है। आगे, आयातकर्ताओं से डॉलर की मांग और सेंट्रल बैंक से हस्तक्षेप के चलते मुद्रा को दबाव में रखा जा सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से स्थिति में 2013–14 की पहली तिमाही में, सोच–समझकर सकारात्मक व्यावसायिक रुझान, उपभोक्ता के अधिक विश्वास, वृद्धि में मामूली बहाली होने की उम्मीदों और स्फीतिकारक अपेक्षाओं में कमी के चलते सुधार हुआ।

स्थूल रूप से रिजर्व बैंक के जनवरी 2014 में इंगित किए गए प्रक्षेपणों के अनुरूप 2014–15 में मामूली सुधार आने की संभावना है। लेकिन पिछली तिमाहियों में किए गए डेटा में संशोधन और फलस्वरूप मूल प्रभाव में परिवर्तन को देखते हुए आगे वृद्धि के पैमाने में अनिश्चितता बने रहने की संभावना है। तिस पर भी सुधार की रफ्तार मामूली रहने की संभावना है। केंद्र में स्थिर सरकार होने के साथ सुधार के लिए समर्थन के तौर पर निवेश की गतिविधियाँ और कारोबार एवं उपभोक्ता का विश्वास बढ़ने की संभावना है।

स्रोतः

1. समष्टि आर्थिक स्थिति का सामान्य निर्धारण, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, आर्थिक दृष्टिकोण, खंड 2014/1.
2. समष्टि अर्थव्यवस्था और मौद्रिक विकास 2014–15 – भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट।

### 2. औद्योगिक परिदृश्य

कमजोर मांग के कारण, 2013 के दौरान अधिकतर प्राथमिक पण्य पदार्थों की दुनियाभर में कीमतें नियंत्रण में रहीं। आधार रेखा के परिदृश्य में, पण्य पदार्थों की कीमतों में 2014 के दौरान बढ़त होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। विकसित और उभरते हुए देशों की अर्थव्यवस्था में धीरे–धीरे सुधार होने और आपूर्ति में सुधार होने की उम्मीद के चलते मांग पर दबाव रहने की उम्मीद नहीं की जा रही है। ब्रेंट क्रूड तेल की हाजिर कीमतें, 2013–14 की चौथी तिमाही में औसतन अमेरिकी $108/बैरल (बीबीएल)के करीब बनी रहीं। अमेरिका ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए)के अनुसार, ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत, 2014 और 2015 में क्रमशः औसतन अमेरिकी $105/बैरल और अमेरिकी $101 पर बने रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है, इस तरह से हल्की सी झुकाव की प्रवृत्ति नजर आती है।

पिछले कुछ वर्षों से देश की परिष्करण क्षमता में काफी इजाफा हुआ है। 2011 से लेकर अब तक परिष्करण क्षमता में, 15% से अधिक बढौतरी हुई है। उम्मीद की जाती है कि देश की परिष्करण क्षमता, बारहवीं योजना अवधि अर्थात्. 2017 के अंत तक 307 एमएमटीपीए तक पहुंचेगी। रिफाइनरी का उत्पादन (क्रूड थ्रूपुट), 2012–13 के 219 एमएमटी के मुकाबले 2013–14 में 222 एमएमटी रहा।

वर्ष 2013–14 के दौरान परिष्करण मुनाफा कम रहा। देशी यूएस हल्के क्रूड उत्पादन में बढत से, यूएस से अतिशय गैसोलीन के निर्यात की पश्चिम अफ्रीकी और लातिन अमेरिकी बाजार में यूरोप के साथ प्रतिस्पर्धा के चलते आयातित गैसोलीन की मांग में एकदम गिरावट आई है। आने वाले वर्ष में

रिफाइनर्स के लिए इस दृश्य में सुधार होने की कोई संभावना नहीं है। ' हल्के-मधुर ' और ' भारी खट्टा क्रूड तेल ' के बीच कीमत में अंतर एक ही स्तर पर रहा क्योंकि वह विनिर्माण स्तर पर रहा जिसके कारण खट्टा क्रूड का प्रोसेसिंग करने के लिए कोई प्रतिफल नहीं मिला।

### 2012-13 और 2013-14 के दौरान प्रमुख उत्पाद क्रैक्स की तुलना

| उत्पाद क्रैक | विव 13-14 /बीबीएल) | विव 12-13 ( /बीबीएल) |
|---|---|---|
| **नैफ्ता** | -6.63 | -8.17 |
| **एमएस** | 9.92 | 12.12 |
| **एचएसडी** | 14.83 | 15.11 |
| **एटीएफ** | 14.22 | 16.18 |
| **ई.ते.** | -11.69 | -8.8 |

### भारत में क्रूड का आयात:

पिछले कुछ वर्षों से, क्रूड तेल का आयात, अधिक परिष्करण क्षमता के कारण बढ़ता रहा है और भारत, अपनी क्रूड की जरूरतों में से 80% का आयात करता है। क्रूड तेल के देशी उत्पादन और नए खोज कार्य में कोई सुधार नजर न आने के कारण ऐसी ऊर्धमुखी प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद है।

भारत ने 2012-13 में 185 एमएमटी के मुकाबले वर्ष 2013-14 के दौरान 190 एमएमटी क्रूड का आयात किया। हालांकि वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान क्रूड की कीमतें औसतन (ब्रेंट $ 107.5/बीबीएल), पिछले वित्तीय वर्ष 2012-13 में नजर आईं कीमतों से कम रहीं(ब्रेंट $ 110/बीबीएल)। क्रूड तेल की कीमतों में अस्थिरता और विनिमय में घट-बढ का क्रूड और उत्पाद के मूल्यांकन पर गहरा असर पडा है।

### 2011-12 के दौरान भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत और उनका उत्पादन स्परूप

('000 MT)

| उत्पाद | खपत | | उत्पादन | |
|---|---|---|---|---|
| | **2013-14** | **2012-13** | **2013-14** | **2012-13** |
| एलपीजी | 16336 | 15603 | 10115 | 9830 |
| एमएस | 17128 | 15741 | 30267 | 30120 |
| नैफ्ता | 11454 | 12283 | 18420 | 18851 |
| एटीएफ | 5505 | 5271 | 11237 | 10189 |
| एसकेओ | 7165 | 7501 | 7412 | 8057 |
| एचएसडी | 68369 | 69164 | 93749 | 91090 |
| एफ.ओ व | 6193 | 7656 | 13423 | 15840 |
| पेट्र कोक | 11651 | 10135 | 11261 | 7813 |
| कुल | 143801 | 143354 | 195884 | 191790 |

स्रोतः पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण कक्ष, एमओपी एण्ड एनजी, भारत सरकार (पीपीएसी)

वित्तीय वर्ष 2013-14 में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वित्तीय वर्ष 2012-13 की तुलना में 0.3% तक इजाफा हुआ और उत्पादन में वित्तीय वर्ष 2012-13 के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2.13% तक उन्नति हुई है।

### भारत और एमआरपीएल द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात

('000 MT)

| उत्पाद | भारत * | एमआरपीएल |
|---|---|---|
| **एमएस** | 15447 | 186 |
| **नैफ्ता** | 8366 | 1362 |
| **एटीएफ** | 5777 | 1640 |
| **डीजल** | 26557 | 1024 |
| **ईंधन तेल** | 6159 | 2216 |
| **कुल** | **62306** | **6428** |

*स्रोत (पीपीएसी)

भारत द्वारा निर्यात किए गए कुल प्रट्रोलियम उत्पादों में आपकी कंपनी का योगदान 10.31% है।

खपत से अधिक उत्पादन होने के कारण, भारत ने पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करना जारी रखा। भारत के रिफाइनर्स, उत्पाद की गुणवत्ता का अंतर्राष्ट्रीय मानक तक उन्नयन करने और कम मूल्य के उत्पादों का अधिक मूल्य के उत्पादों में तब्दील करने पर निवेश कर रहे हैं।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के 14.40 एमएमटी के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 14.55 एमएमटी का अब तक का सर्वाधिक रिफाइनरी थ्रूपुट हासिल किया।

### वर्ष 2013-14 के दौरान एमआरपीएल का उत्पादन

| उत्पाद | ('000 MT) |
|---|---|
| एलपीजी | 268 |
| एमएस | 1086 |
| मिश्रित ज़ाइलीन | 196 |
| नैफ्ता | 1349 |
| एसकेओ | 261 |
| एचएसडी | 5501 |
| एटीएफ | 1787 |
| वीजीओ | 406 |
| ई.ते. | 2281 |
| अस्फाल्ट | 169 |
| एलएसएचएस | 28 |
| सीआरएमबी | 11 |
| गंधक | 54 |
| **कुल** | **13397** |

## 3. अवसर और खतरे

आपकी कंपनी की चरण-III सह-उन्नयन परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है। आपकी कंपनी, आईएनआर 3,000 करोड़ से आईएनआर 3,600 करोड़ तक के अनुमानित पूंजीगत व्यय (केपेक्स) के साथ एक निम्न लागत वाले विस्तार के जरिए अपनी क्रूड प्रोसेसिंग क्षमता मार्च 2018 तक 15 एमएमटीपीए से 18 एमएमटीपीए तक बढ़ाना चाहती है। आपकी कंपनी ने अप्रैल 2014 में शुरू हुई 3.0 एमएमटीपीए की डीलेड कोकर यूनिट (डीसीयू)सफलता से चालू की और 2.2 एमएमटीपीए की पेट्रोकेमिकल फ्लूइडाइज्ड कैटलिटिक क्रैकर यूनिट (पीएफसीसीयू)चालू करने के लिए लगभग तैयार है। आगे, फीड स्टॉक के रूप में पीएफसीसी यूनिट से पॉलिमर ग्रेड के प्रॉपीलीन के साथ अनुप्रवाह पॉलीप्रॉपीलीन यूनिट चालू करने पर आपकी कंपनी की प्रतिष्ठ बढ़ जाएगी। इन नई यूनिटों से अधिकतर मुनाफा मिलेगा जिसते आपकी कंपनी द्वारा प्रोसेस किए गए क्रूड का प्रति बैरल मुनाफा बढ़ने की उम्मीद है।

तेल रिफाइनरी का कारोबार यूएस डॉलर (यूएसडी)में ही किया जाता है। कच्चा तेल और उत्पाद, दोनों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय भाव पर टिकी रहती हैं, इसलिए रुपया डॉलर के विनिमय दर में घट-बढ़ को अपने आप खंडित किया जाता है और इससे सामान्य क्रम में विनिमय दर में अस्थिरता के प्रति स्वाभाविक तरीके से रक्षा मिलती है। लेकिन एकाएक और ज़रूरत से ज्यादा उतार-चढ़ाव होने से असर होता है। इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रूड कीमत में घट-बढ का बिक्री कीमत पर उस वक्त तक प्रभाव पड़ता है जब तक

उत्पादों की कीमतों में, कच्चा तेल की कीमतों में नजर आए घट-बढ के अनुरूप परिवर्तन हो।

आपकी कंपनी, आयात के साथ-साथ निर्यात भी करती है जिससे विनिमय में घट-बढ से स्वाभावित प्रतिरक्षा मिलती है। एक्सपोज़र को यथा शक्य यूएसडी के अनुरूप रखने के प्रयास किए जाते हैं। क्रूड और उत्पाद की कीमतों में अस्थिरता का परिष्करण के मुनाफे पर असर पडता है। आपकी कंपनी, कच्चे तेल की अपनी जरूरतों में से करीब 80% जरूरतों की पूर्ति आयात के जरिए करती है और इस समय कुल उत्पादन में से लगभग 47% का निर्यात कर रही है जिसमें बिक्री प्राप्तियों को यूएसडी में वसूल किया जाता है और यहां तक कि देशी बिक्री के मामले में भी जहां बिक्री कीमतें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद की कीमतों से उत्पन्न व्यापार/आयात समता कीमतों पर आधारित होती हैं, स्वाभाविक ढंग से काफी हद तक बचाव की व्यवस्था की जाती है। आपकी कंपनी, एचएसडी, एटीएफ और एमएक्स जैसे अपने प्रमुख उत्पादों की औसत मासिक कीमतों के आधार पर टेंडर के तहत निर्यात करती है जिससे आंतर महीने की कीमतों में घट-बढ का जोखिम कम होता है। लेकिन क्रूड और उत्पाद की कीमतों में अचानक घट-बढ होने पर उसका कंपनी के मुनाफे पर काफी असर होगा।

## 4. जोखिम और चिंताएं:

आपकी कंपनी एक ऐसे व्यावसायिक माहौल में काम कर रही है जिसमें बाजारों का वैश्वीकरण बढ़ रहा है, प्रतिस्पर्धा तीखी होती जा रही है और प्रौद्योगिकी अधिक जटिल होती दिखाई देने लगी है जिनमें अपने ही खतरे होते हैं और उस नाते कारोबार को प्रभावित करने वाली परेशानियां झेलनी पडती हैं।

### क्रूड आपूर्ति का जोखिम:

निर्बाध रूप से उत्पाद करने के लिए रिफाइनरियों को वक्त पर क्रूड तेल की आपूर्ति का जोखिम उठाना पडता है जिससे कि क्रूड की कमी से बचा जा सके क्योंकि वक्त पर आपूर्ति न होने पर थ्रूपुट में कमी आएगी। अगर आपूर्तिकर्ता देश की भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति पर कोई दबाव हो, उपयुक्त जहाज न मिले और पेट्रोलियम नियातकर्ता देशों (ओपीईसी)के संगठन द्वारा क्रूड की आपूर्ति घटाई जाए तो क्रूड की आपूर्ति में जोखिम उठाने की नौबत आ सकती है।

आपकी कंपनी, अतिरिक्त देशों और क्रूड की श्रेणियों को जोडते हुए क्रूड हासिल करने के स्रोतों का विविधीकरण करने की दिशा में लगातार प्रयास करती रही है। आपकी कंपनी का प्रारंभ में, सिर्फ एनआईओसी (नैशनल इरानियन ऑइल कंपनी ऑफ इरान)के साथ मुद्दती ठेका था लेकिन इस समय हमने क्रूड की खरीदारी के सिलसिले में साउदी अरैमेको (नैशनल कंपनी ऑफ किंगडम ऑफ सउदी अरेबिया), एडीएनओसी (नैशनल ऑइल कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी) और कुवैत पेट्रोलियम कार्पोरेशन (केपीसी)जैसे विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के साथ मुद्दती ठेका किया है। आपकी कंपनी ने, बॉबे हाई, रेवा आदि जैसे अपने विभिन्न तेल क्षेत्रों से एकदम नजदीक से क्रूड की खरीदारी के लिए ओएनजीसी समूह के साथ आपूर्ति संबंधी करारनामे पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अगर कोई कमी महसूस हो तो उसकी भरपाई करने के लिए आपकी कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हाजिर टेंडर के जरिए क्रूड खरीदने पर भी आमादा हो सकती है।

### कीमत का जोखिम

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड तेल की कीमतों और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों में घट-बढ के कारण ऐसा जोखिम उठाना पडता है। चूंकि तेल की, वैश्विक स्तर पर एक पण्य वस्तु से अधिक की हैसियत से अधिक मांग इसलिए संभव है कि कीमतों पर अधिक घट-बढ होने पर उसका आर्थिक स्थिति पर काफी गहरा असर पडता है। तेल की कीमतों को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं, आपूर्ति और माँग एवं बाजार का रुझान। तेल के व्यापार में, तेल की माँग का इशारा, दुनिया के प्रमुख देशों की तेल की खपत के स्वरूप की तरफ होता है और माँग का मतलब, ओपीईसी (पेट्रोलियम देशों का संगठन)से क्रूड तेल के आउटपुट से है। बाजार का रुझान, भौगोलिक-राजनीतिक स्थिति पर निर्भर होता है जैसे कि हम इस समय खाड़ी, अफ्रीका और युकरेन में तनाव से भरा माहौल देख रहे हैं।

तेल का कारोबार, लाभप्रदता के लिए क्रूड तेल की कीमतों और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों के बीच मुनाफे पर निर्भर होता है। आपकी कंपनी ने, हाजिर/प्रायोगिक क्रूड तेल का अनुपात इष्टतम स्तर पर बनाए रखते हुए क्रूड तेल की खरीदारी के लिए सोच-समझकर व्यावसायिक रणनीति अपनाई है जिससे कि प्रक्षेपित बाजार के परिदृश्य में क्रूड का लागत प्रभावी ढंग से क्रय किया जा सके।

कीमतों से जुड़े खतरे कम करने की खातिर, आपकी कंपनी, प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर क्रूड तेल हासिल करने के लिए दीर्घावधि ठेके तय करती है और खुले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का सहारा लेती है। कीमत से जुड़े जोखिम की रूपरेखा में हुए परिवर्तन को पहचानने के लिए प्रबंधन, महीनों पहले आवर्ती योजना बनाता है और वक्त पर उचित कार्रवाई करता है। खर्च कम करने के लिए अन्य उपायों के तौर पर सस्ते सख्त क्रूड का और उत्पाद स्लेट में सुधार करने के लिए ब्लेंडिंग का उपयोग किया जाता है।

### विदेशी मुद्रा से जुडा जोखिम

कंपनी के सामान्य प्रचालन के अंग के तौर पर विदेशी मुद्रा में आयात/निर्यात करने के प्रति कंपनी के एक्पोजर के कारण विदेशी विनिमय में घट-बढ के प्रभाव के कारण इस तरह का जोखिम उठाना पड़ता है।

विदेशी मुद्रा में घट-बढ को दिशानिर्देशों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित " जोखिम प्रबंधन नीति " में परिभाषित परिसीमाओं के अनुसार संभाला जाता है। इस मामले पर गौर करने के लिए आपकी कंपनी ने जोखिम प्रबंधन समिति का गठन पहले ही कर दिया है। विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन समिति, विदेशी मुद्रा में घट-बढ की वक्त-वक्त पर समीक्षा करती है।

आपकी कंपनी, उत्पादों का निर्यात करने के लिए टेंडर भी बुलाती हैं जिससे भी निर्यात के मूल्य की वसूली होने तक विदेशी मुद्रा में जोखिम कम हो जाता है।

### रिफाइनरी के मुनाफे में निहित जोखिम

प्रचालन दक्षता और अपेक्षित मात्रा, गुणवत्ता और कीमत वाले क्रूड तेल तक पहुंच का कंपनी के निष्पादन पर उल्लेखनीय प्रभाव पडता है। हालांकि परिष्कृत उत्पाद की फीड स्टॉक कीमतों में सामान्यतः परिवर्तन होता है लेकिन इसमें एक अंतराल बना रहता है जिसका अल्पावधि कार्यकारी पूंजीगत अपेक्षाओं और लाभप्रदता पर असर पडता है।

ईंधन तेल और नैफ्ता का निर्यात करने के कारण कुल रिफाइरी मुनाफे (जीआरएम)पर दबाव बना रहता है। देशी माँग की पूर्ति करने के बाद बचे रहे ईंधन तेल और नैफ्ता का निर्यात किया जाता है। लेकिन डीलेड कोकर यूनिट (डीसीयू) चालू होने के कारण, ईंधन तेल का निर्यात कम किया जाएगा क्योंकि अधिक मूल्य वसूल करने लायक उत्पादों का उत्पादन करने की दृष्टि से इसका प्रोसेसिंग डीसीयू में किया जाएगा। ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (ओएमपीएल)चालू होने पर नैफ्ता का निर्यात भी कम किया जाएगा क्योंकि ओएमपीएल को नैफ्ता, निर्यात से मिलने वाले मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाएगा।

आपकी कंपनी को लगता है कि लगातार विलंब के कारण, मेसर्स बीएचईएल द्वारा बनाए जा रहे चरण-III यूनिट के कैप्टिव पावर प्लांट से भाप और बिजली जैसे उपयोगी साधनों की आपूर्ति के बारे में जोखिम उठाने की नौबत आ सकती है। आपकी कंपनी, रिफाइनरी की चरण-III की भाप से चालू की गईं कुछ यूनिटें, रिफाइनरी की चरण-I और चरण-II की सुविधाओं से भाप और विद्युत सुविधाएं मिलने के कारण चला पाई जिसका कंपनी के कुल परिचालन मुनाफे पर नकारात्मक प्रभाव पडा। आगे, आपकी कंपनी का मुनाफा दिलाने वाली पेट्रो फ्लूइडाइज्ड कैटेलिटिक क्रैकिंग यूनिट (पीएफसीसीयू)और डीलेड कोकर यूनिट (डीसीयू),चरण-III के बीएचईएल के कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी)से सतत भाप और बिजली उपलब्ध होने पर ही चालू की जा सकेगी।

चरण- III के विद्युत संयंत्र को शीघ्रता से चालू करने की दृष्टि से आपकी कंपनी ने यह मामला, बीएचईएल के अध्यक्ष के साथ पहले से ही उठाया है क्योंकि इसमें विलंब के कारण कंपनी को बेइंतहा नुकसान हो रहा है।

प्रौद्योगिकीय तरक्की के जरिए उत्पाद की दक्षता बढ़ाना, गंभीरता को कम करने वाला एक और कारक है। कारोबार प्रक्रिया का इष्टतमीकरण करने के लिए आंतरिक बैठकें की जाती हैं जिनमें प्रवृत्ति का विश्लेषण कर मुनाफा बढाने की खातिर आने वाले महीनों में अपनाए जानेवाले तौर-तरीकों पर चर्चा की जाती है।

**समुद्री बीमा रक्षा में जोखिम**

इरान से क्रूड का आयात करने के लिए इस समय समुद्री बीमा की व्यवस्था नैशनल इरानियन ऑइल कंपनी (एनआईओसी)के जरिए की गई है। अगर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, पाबंदी को पूरी तरह से लागू करे और इरान से क्रूड पाना मुश्किल हो तो आपकी कंपनी को, क्रूड के साधनों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार करना पड़ेगा।

**प्रतिष्ठा धूमिल होने का खतरा**

वाणिज्यिक और प्रतिष्ठा की दृष्टि से नुकसान पहुंचने पर जो स्वास्थ्य, सुरक्षा अथवा पर्यावरण संबंधी घटना अथवा स्थानीय समुदाय, आतंकवाद अथवा रिफाइनरी के भौगोलिक-राजनीतिक स्थान के कारण हो सकता है, इस तरह का जोखिम उठाना पड़ता है। अपने प्रचालन के स्वरूप को देखते हुए कंपनी को इस तरह का जोखिम उठाना पड़ता है।

कंपनी ने स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी नीति (एचएसई) और अन्य एचएसई प्रबंधन तंत्र (एचएसईएमएस)लागू किए हैं। इस बारे में कर्मचारियों को सूचित किया जाता है और नियमित रूप से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। संयंत्रों/रिफाइनरियों में उत्सर्जन पर निगरानी रखने के लिए आवश्यक साधन लगाए गए हैं और सभी स्थानों पर चिकित्सकीय विशेषज्ञता और समर्थन उपलब्ध है। एचएसई संबंधी नीति/एचएसईएमएस का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से नियमित समीक्षा की जाती है और विनियामक अपेक्षाओं की पूर्ति की जाती है। कंपनी, स्थानीय समुदायों के साथ संबंध बनाए रखने की दृष्टि से उनको मुर्कर करती है और उनके साथ मिलजुलकर काम करती है और यह सुनिश्चित करती है कि उनकी परेशानियों पर गौर किया जाता है और वक्त पर कार्रवाई की जाती है।

**अन्य आकस्मिक प्राकृतिक जोखिम**

आपकी कंपनी को, जल की कमी, खराब मानसून के कारण जलाशयों की खराब स्थिति और अन्य प्राकृतिक विपदाओं जैसे नकारात्मक कारक भी सता रहे हैं जिसका रिफाइनरी के प्रचालन पर प्रभाव पड सकता है।

आपकी कंपनी ने जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू करने के लिए कार्यान्वयन संबंधी क्रियाविधि और निगरानी तंत्र के अलावा सुपरिभिषित नीति संबंधी ढांचा बनाया है। जोखिम प्रबंधक, नियमित रूप से जोखिमों को पहचानने के साथ-साथ नए जोखिमों को पहचानकर उनको मिटाने के उपायों की खोज कर रहे हैं और इस बारे में जोखिम समन्वयकर्ता को रिपोर्ट करते रहे हैं। लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड के समक्ष प्रतिष्ठान में जोखिम प्रबंधन का विहंगावलोकी दस्तावेज, तिमाही आधार पर पेश किया जाता है।

## 5. कूटनीतिक कारोबार की तरफ पहल और भावी दृष्टिकोण:

आपकी कंपनी ने कर्नाटक सरकार के साथ, लीनियर अल्काइल बेंज़ीन संयंत्र (एलएबी) लगाने (अपमार्जक बनाने के लिए ज़रूरी कच्चा माल)और मंगलूर में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और अपेक्षित संरचना की उपलब्धता के अधीन ₹8,500 करोड़ के अनुमानित निवेश पर अपनी परिष्करण क्षमता को 18/21 एमएमटीपीए तक बढ़ाने के लिए, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए।

आप जानते हैं कि आपकी कंपनी ने बृहत पूंजी निवेश के साथ एक मेगा विस्तार और उन्नयन परियोजना लागू की है। इससे मिलने वाली सुविधाओं के सहारे, आपकी कंपनी को न केवल विभिन्न श्रेणी के क्रूड (अवसर क्रूड)को प्रोसेस करने बल्कि उनको सस्ते दाम पर पाने का मौका भी मिलेगा। नई यूनिटों के बलबूते पर रिफाइनरी में आसुत उत्पादन, करीब 80% तक बढेगा और पॉलीप्रॉपीलीन जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन भी होगा। इस तरह से उत्पादित प्रॉपीलीन का पॉलीप्रॉपीलीन यूनिट में पॉलीप्रॉपीलीन में परिवर्तन किया जाएगा। दक्षिण भारत में पॉलीप्रॉपीलीन का उत्पादन करने वाली अकेली कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी, दक्षिण बाजार में अपने उत्पाद बेच सकेगी। एक और उत्पाद है, पेट्टकोक, जिसमें 8.63% की दर से बढ़ोतरी हो रही है, मांग के आधार पर संचालित बाजार में सीएजीआर, एक आसान तरीका ढूंढ पाएगा। समग्र एमएस और एचएसडी की गुणवत्ता, यूरो मानकों के अनुरूप बनाई जाएगी जिससे न केवल देश की माँग की पूर्ति होगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी कीमत भी मिलेगी।

## 6. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली:

आपकी कंपनी ने सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण तंत्र अपनाया है जिससे लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल को प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण माहौल का आश्वासन दिया जा सकेगा।

आपकी कंपनी, अपने आंतरिक नियंत्र तंत्र में लगातार सुधार कर उन्नयन करती रही है जिससे कि प्रबंधन की प्रभावशालिता और दक्षता, परिचालन और वित्तीय स्थिति पर भरोसेमंद रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जा सके और उच्च स्तरीय कानूनी अनुपालन और जोखिम प्रबंधन हासिल किया जा सके। आपकी कंपनी ने, अपने आकार और प्रचालन के स्वरूप के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र लागू किया है। ये तंत्र, भरोसेमंद वित्तीय और प्रचालन संबंधी जानकारी, रेकॉर्ड और प्रदान करने,लागू कानूनों का अनुपालन करने, आस्तियों को अनधिकृत उपयोग अथवा हानि से बचाने, उचित प्राधिकरण के साथ लेन-देन करने और कंपनी की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में उचित आश्वासन दिलाने के इरादे से बनाए गए हैं।

आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की देखरेख, लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है जो निदेशक मंडल को संगठन के जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और अभिशासन संबंधी प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशालिता पर स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ और उचित आश्वासन दिलाने के उद्देश्य से आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशलिता पर लगातार निगरानी रखती है। आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, व्यावसायिक प्रक्रियाओं, तंत्रों और नियंत्रणों में सुधार करने के अवसरों का आकलन करता है; संगठन का मूल्य बढाने के लिए जरूरी सिफारिशें करता है और लेखा परीक्षा समिति और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा समीक्षा करने के बाद निवारक कार्रवाई लागू करने और व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सुधार करने के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

## 7. निष्पादन:

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, भौतिक और वित्तीय मापदंड, दोनों के लिहाज से आपकी कंपनी का निष्पादन, नई ऊँचाइयों को छूते हुए गत निष्पादन के मानक पार कर गया और भविष्य के लिए नए कीर्तिमान स्थापित किए गए।

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के 14.41 एमएमटी (1.25% तक बढत)के मुकाबले वर्ष के दौरान 14.59 एमएमटी का अब तक का सर्वाधिक क्रूड का प्रोसेसिंग किया और पिछले वर्ष के ₹68,834 करोड़ की तुलना में (9.29% तक इजाफा) ₹75,226 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक कुल कारोबार हासिल किया और पिछले वर्ष के ₹33,340 करोड़ (6.15% तक वृद्धि)के मुकाबले कुल ₹35,392 करोड़ का निर्यात कारोबार हासिल किया।

## 8. मानव संसाधन :

वर्ष 2013-14 के दौरान आपकी कंपनी का अपने सहयोगियों के साथ संबंध हार्दिक एवं सौजन्यपूर्ण रहा और इसके सबूत के तौर पर, इस दौरान किसी औद्योगिक उपद्रव के कारण एक भी श्रम घंटा गंवाया नहीं गया। 31.03.2014 को कर्मचारियों की कुल संख्या, 127 महिला कर्मचारियों, अ.जा/अ.ज.जा. के 191 कर्मचारियों और शारीरिक दृष्टि से विकलांग कर्मचारियों सहित 1715 रही। 704 कर्मचारी, प्रबंधन संवर्ग के हैं जब कि 1011 कर्मचारी, गैर-प्रबंधन संवर्ग के अधीन आते हैं।

## 9. सचेतक बयान :

प्रबंधन की चर्चा में तथा विश्लेषण एवं निदेशकों की रिपोर्ट में कंपनी के लक्ष्यों, प्रक्षेपणों और आकलन का वर्णन करते हुए दिए गए बयान प्रगतिशील बयान हैं और लागू नियमों और विनियमों के अर्थ के अंदर प्रगतिशील हैं । वास्तविक परिणाम, अभिव्यक्त अथवा अंतर्निहित परिणामों से, आर्थिक दशा, सरकारी नीतियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर अलग हो सकते हैं । पाठकों को आगाह किया जाता है कि वे प्रगतिशील बयानों पर ज्यादा निर्भर न हों।

**अनुबंध-III**

## भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4)के तहत, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर के 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लेखों पर टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के **मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर** के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2)के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, उनके पेशेवर निकाय, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा और आश्वासन संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 227 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं । यह मान लिया गया है कि उन्होंने दिनांक 24.05.2013 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिए ऐसा किया है।

मैं ने, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की तरफ से, **मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर** के 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 619(3)(बी)के तहत अनुपूरक लेखा परीक्षा की है । सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य करने के कागजात देखे बगैर अनुपूरक लेखा परीक्षा की गई है और यह, सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी के कर्मचारियों और कुछ लेखा मानकों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है। मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसी कोई उल्लेखनीय बात नहीं आई है जिस पर टिप्पणी करना पडे अथवा जो कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 619(4)के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का समर्थन करे।

मंडल के लिए और उनकी ओर से
**भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक**

**(जी सुधर्मिणी)**
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड,चेन्नै

स्थानः चेन्नै
दिनांकः 10.07.2014

## संधारणीय विकास में निष्पादन संबंधी रिपोर्ट

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, संधारणीय विकास करने के लिए संभावित हाइड्रोकार्बन मूल्य दिलानेवाले इष्टतमीकरण साधनों की तलाश में है। इस लिहाज से, पेट्रकोक, रिफाइनरी बहिर्गैस और आंतरिक ईंधन तेल जैसे कम मूल्य वाले हाइड्रोकार्बन से मूल्य हासिल करने पर खासा बल दिया जाएगा।

चरण-III विस्तार परियोजना के अंग के तौर पर डीलेड कोकर यूनिट सफलता से चालू करने के बाद, एमआरपीएल, अल्प अपशिष्ट स्ट्रीम से कम मूल्य के ठोस हाइड्रोकार्बन, पेट्र कोक का उत्पादन कर रहा है। एमआरपीएल, उपयोगिता बॉइलरों को प्रज्वलित करने की दृष्टि से इस पेट्रकोक का उपयोग करने के लिए संधारणीय विकल्पों की खोजबीन कर रहा है जिससे कि संबद्ध प्रदूषक - गंधक अणु हासिल करने के साथ विद्युत उत्पादन के लिए भाप का उत्पादन किया जा सके। इससे न केवल सस्ते दाम पर विद्युत उत्पादन होगा बल्कि रिफाइनरी कॉंप्लेक्स से SOx का उत्सर्जन भी कम होगा। साथ ही, इस परियोजना से आंतरिक ईंधन तेल भी मिलेगा जिसे इस समय बॉइलरों को प्रज्वलित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि डीलेड कोकिंग मार्ग से पॉलीप्रॉपीलीन, डीजल आदि जैसे विभिन्न हल्के अणुओं में उन्नयन किया जा सके। संभावित प्रौद्योगिक के आपूर्तिकर्ताओं के समर्थन से परियोजना का आंतरिक व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है।

एमआरपीएल, निम्न मूल्य के पीएफसीसी बहिर्गैस से मूल्यवान एथिलीन हासिल करने के विकल्प और अनुप्रवाह के पेट्रोकेमिकल कॉंप्लेक्स में आपूर्ति करने की तलाश भी कर रहा है। साथ ही, हासिल किए गए एथिलीन का पॉलीप्रॉपीलीन के हेट्रो-पॉलीमर्स का उत्पादन करने के लिए प्रॉपीलीन के साथ सह-मोनोमर के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि हेट्रो-पॉलीमर्स का होमो-पॉलीमर के मुकाबले अधिक बाजार मूल्य है। अनुप्रवाह के पेट्रोकेमिकल कॉंप्लेक्सस और एथिलीन रिकवरी प्रौद्योगिकी के आपूर्तिकर्ताओं से जानकारी हासिल कर लाभप्रदता संबंधी आकलन में संभावित वृद्धि के साथ आंतरिक व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है।

चरण-3 रिफाइनरी कॉंप्लेक्स की कैप्टिव पावर प्लांट की सुविधाएं और कुछ प्रोसेस हीटरसेर, ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस जलाने के लिए बनाए गए हैं। विभिन्न गैस आपूर्तिकर्ता, मंगलूर में प्राकृतिक गैस लाने की बुनियादी सुविधाओं का निर्धारण कर रहे हैं। अर्थशास्त्र के दायरे में, प्राकृतिक गैस का उपयोग करने से न केवल SOx का उत्सर्जन कम होगा बल्कि कम मूल्य के आंतरिक ईंधन तेल का अधिक मूल्य वाले हाइड्रोकार्बन में परिवर्तन करने के मार्ग भी खुल जाएंगे। इसी तरह से, एमआरपीएल, चरण-1 और चरण-2 रिफाइनरी कॉंप्लेक्स में प्राकृतिक गैस/ अन्य रिफाइनरी धाराओं को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने पर विचार करते हुए गैस टर्बाइन लगाने की व्यवहार्यता की खोजबीन कर रहा है।

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

**सेवा में**

**सदस्य**

**मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.**

**वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट**

हमने मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (" दी कंपनी " ) के संलग्न किए गए वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2014 तक के संलग्न तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ–हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण एवं उल्लेखनीय लेखा नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सम्मिलित है।

**वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन की जिम्मेदारी**

प्रबंधन, कंपनी अधिनियम, 1956 (" दी एक्ट ")की धारा 211(3सी)में निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाने वाले ये वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में शामिल हैं, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या गलती के कारण, तथ्यों की गलत बयानी से मुक्त, सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाने वाले वित्तीय विवरण तैयार एवं पेश करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रण बनाना, कार्यान्वित करना और बनाए रखना।

**लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी**

हमारी जिम्मेदारी, लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने तक सीमित है। हम, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा करते हैं। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम, नैतिक अपेक्षाएँ पूरी करें और योजना बनाकर लेखा परीक्षा करें जिससे कि वित्तीय विवरणों के बारे में यह उचित आश्वासन मिल सके कि उनमें महत्वपूर्ण पहलू के बारे में कोई गलत बयान नहीं दिया गया है।

लेखा परीक्षा में शामिल है, वित्तीय विवरणों में रकम और प्रकटन के बारे में सबूत पाने के इरादे से अपनाई जाती रहीं क्रियाविधियां। चुनी गईं क्रियाविधियाँ, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या गलती के कारण, वित्तीय विवरणों में तथ्यों की गलत बयानी के जोखिमों का निर्धारण करने सहित लेखा परीक्षक के फ़ैसले पर निर्भर होंगी। जोखिम संबंधी ऐसे निर्धारण करते समय, लेखा परीक्षक, कंपनी वित्तीय विवरण तैयार कर निष्पक्ष रूप से पेश करने में कंपनी से संबंधित आंतरित नियंत्रण पर विचार करते हैं जिससे कि लेखा परीक्षा संबंधी क्रियाविधियाँ, परिस्थितियों के अनुरूप हों। लेखा परीक्षा में यह भी शामिल हैं जैसे; प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए उल्लेखनीय आकलन का निर्धारण करना तथा समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना।

हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा में, हमारी राय सिद्ध करने के लिए पर्याप्त और उचित आधार हैं।

**राय**

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरणों में, अधिनियम में अपेक्षित तरीके से जानकारी दी गई है जो भारत में आम तौर पर अपनाए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाती है।

क) तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2014 को कंपनी के कामकाज की स्थिति;

ख) लाभ–हानि लेखा के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष का लाभ, और

ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह।

**अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट**

1. अधिनियम की धारा 227 (4ए) के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (' दी ऑर्डर ') की अपेक्षा के अनुसार हम अनुबंध में आदेश के परिच्छेद 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 227(3) की अपेक्षा के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि
   - क) हमने ऐसी तमाम जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए ज़रूरी थे।
   - ख) हमारी राय में, जहां तक इन बहियों का परीक्षण करने से हमें नज़र आता है, कंपनी ने, कानून की अपेक्षा के मुताबिक उचित लेखा बहियाँ रखी हैं।
   - ग) इस रिपोर्ट में शामिल किए गए तुलन–पत्र, लाभ–हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण, रखी गई लेखा बहियों के अनुरूप हैं।
   - घ) हमारी राय में, इस रिपोर्ट में शामिल किए गए, तुलन–पत्र, लाभ–हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण, कंपनी अधिनियम, 1956 की उप–धारा (3सी) में निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप हैं।
   - ङ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उप–धारा (1) के खंड (जी) का प्रावधान, कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 829(ई), दिनांक 21 अक्तूबर, 2003 के अनुसार लागू नहीं होता है।

**कृते गोपाल ऐय्यर एण्ड सुब्रमणियन्**
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं. : 000960S

सीए. एस. कासी विश्वनाथन्
साझेदार
सदस्यता सं.026975

**कृते ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं. : 003324S

सीए. ए. राघवेंद्र राव
साझेदार
सदस्यता सं. 007533

स्थानः नई दिल्ली:
दिनांकः 20 मई, 2014

---

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

**"अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं " के शीर्षक के अधीन हमारी सम दिनांक रिपोर्ट के परिच्छेद 1 में निर्दिष्ट बातें**

(i) क) कंपनी ने अचल आस्तियों के परिमाणात्मक ब्यौरे और स्थान सहित संपूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रेकॉर्ड रखे हैं।

ख) प्रबंधन ने, वर्ष के दौरान तमाम आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया है लेकिन नियमित रूप से सत्यापन करने का एक ऐसा कार्यक्रम रखा गया है जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी आस्तियों के स्वरूप को देखते हुए उचित लगता है। कंपनी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार ऐसा सत्यापन करने पर कोई ख़ास विसंगतियां नज़र नहीं आई।

ग) हमारी राय में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अचल आस्तियों का पर्याप्त हिस्सा नहीं निपटाया है और कंपनी की चालू समुत्थान की अवधारणा इससे प्रभावित नहीं हुई है।

(ii) क) हमें बताया गया है कि प्रबंधन ने, वर्ष के दौरान, भंडार और अतिरिक्त पुर्जों की सूची का शाश्वत स्टॉक निकालने के कार्यक्रम के अनुसार लगातार प्रत्यक्ष सत्यापन किया है। अन्य मदों के स्टॉक का वर्षांत में प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया जिसकी बारंबारता, हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके कारोबार के स्वरूप को देखते हुए उचित लगती है।

ख) हमारी राय में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करने की प्रबंधन द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि कंपनी के आकार और उसके कारोबार स्वरूप को देखते हुए यथोचित लगती है ।

ग) कंपनी ने, स्टॉक का उचित रेकॉर्ड रखा है। प्रत्यक्ष स्टॉक और बही अभिलेखों के बीच प्रबंधन को सत्यापन के दौरान नज़र आई, महत्वपूर्ण न समझी गई विसंगतियों को कंपनी की लेखा बहियों में ठीक तरह से लेखाबद्ध किया गया है ।

(iii) क ) कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में दर्ज की गई कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षकारों को चाहे जमानती हो या गैर–जमानती, कोई भी ऋण नहीं दिया है ।

ख) कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में दर्ज की गई कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षकारों से चाहे जमानती हो या गैर– जमानती, कोई भी ऋण नहीं लिया है। और फलस्वरूप, (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के परिच्छेद 4 के खंड (iii) (च) और (iii) (छ) की रिपोर्ट करने संबंधी अपेक्षाएँ लागू नहीं होती हैं।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आंतरिक नियंत्रण क्रियाविधियां पर्याप्त हैं और स्टॉक और अचल आस्तियां खरीदने और वस्तुओं को बेचने के लिहाज से कंपनी के आकार और उसके कारोबार स्वरूप के अनुरूप हैं। लेखा परीक्षा के दौरान हमने कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में कोई बड़ी कमजोरियां दोहराई जाती हुई नहीं पाई।

(v) क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 का अनुसरण करते हुए रखे जाने वाले रजिस्टर में ऐसी कोई ठेका संबंधी व्यवस्था नहीं है जिसे दर्ज करना पड़े।

ख) तदनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के परिच्छेद 4 के खंड (v) (ख)के अनुसार रिपोर्ट करने संबंधी अपेक्षा लागू नहीं होती है।

(vi) हमें दिए गए विवरणों और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेश और कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 58ए, 58एए के प्रावधान अथवा कोई अन्य संबंधित प्रावधान और उसके अधीन बनाए गए नियम लागू नहीं होते हैं।

(vii) हमारी राय में, कंपनी ने ऐसी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली अपनाई है जो उसके अकार और उसके कारोबार स्वरूप के अनुरूप है।

(viii) कंपनी अधिनियम (कंपनी लेखाकरण रेकॉर्ड) नियम का अनुसरण करते हुए हमने कंपनी द्वारा रखे गए लागत संबंधी रेकॉर्डों की स्थूल रूप से समीक्षा की है, कंपनी के उत्पादों के संबंध में लागत संबंधी रेकॉर्ड रखने के बारे में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (डी) के तहत केंद्र सरकार के आदेश का अनुसरण करते हुए हमने कंपनी द्वारा रखे गए लागत संबंधी रेकॉर्डों की स्थूल रूप से समीक्षा की है और हमारी राय में, प्रथम दृष्टि में, निर्धारित खाते और रेकॉर्ड बनाकर रखे गए हैं ।

(ix) क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार एवं कंपनी के रेकॉर्डों के मुताबिक, कंपनी, वर्ष के दौरान उचित प्राधिकरणों के पास, भविष्य निधि, निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि, आय कर, बिक्री कर, धन कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, और अन्य सांविधिक देयताओं सहित विवाद रहित सांविधिक देयताएं आम तौर पर नियमित रूप से जमा कराती रही है। महत्वपूर्ण किस्म की विवाद रहित कोई भी सांविधिक देयता, देय होने की तारीख से 6 महीने से अधिक बाकी नहीं रही। लेकिन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान, कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण एवं कंपनी के रेकॉर्डों के हमारे सत्यापन के अनुसार, नीचे उल्लिखित विवादित कर राशि के लिए कंपनी के खातों में 31 मार्च 2014 तक उचित प्राधिकरणों के पास जमा नहीं कराया गया है ।

| अधिनियम का नाम | देय राशि का स्वरूप | कुल रकम (रु.दशलक्ष) | रकम, किस अवधि से संबंधित है (वित्तीय वर्ष) | किस मंच पर विवाद लंबित है |
|---|---|---|---|---|
| दी कर्नाटक सेल्स टैक्स एक्ट, 1957/ सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, 1956 | केंद्रीय बिक्री कर – दंड | 4.53 | 2009–10 | कर्नाटक अपील प्राधिकरण |
| | केंद्रीय बिक्री कर – दंड | 18.33 | 2009–10 | कर्नाटक अपील प्राधिकरण |
| | मूल्य वर्धित कर – ब्याज | 0.43 | 2006–07 | अपील प्राधिकरण – जेसीसीटी मंगलूर |
| | मूल्य वर्धित कर – ब्याज | 0.13 | 2009–10 | कर्नाटक अपील प्राधिकरण |
| | मूल्य वर्धित कर – ब्याज | 0.66 | 2010–11 | कर्नाटक अपील प्राधिकरण |
| | मूल्य वर्धित कर – दंड | 3.48 | 2011–12 | अपील प्राधिकरण – जेसीसीटी |
| | मूल्य वर्धित कर – ब्याज | 4.80 | 2011–12 | अपील प्राधिकरण – जेसीसीटी |
| आय कर अधिनियम,1961 | आय कर / ब्याज / दंड | 122.48 | लेव 2006–07 | आय कर अपील अधिकरण – मुंबई |
| | आय कर / ब्याज / दंड | 56.75 | लेव 2010–11 | आय कर आयुक्त (अपील) – मुंबई |
| सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962 | सीमा शुल्क /ब्याज/दंड | 105.42 | 1996–2006 | भारत का सर्वोच्च न्यायालय |
| | | 603.02 | 1997–2008 | सीईएसटीएटी – बेंगलूर |
| | | 3.24 | 1995–2007 | आयुक्त (अपील) – मंगलूर |
| केंद्रीय उत्पाद–शुल्क, अधिनियम 1944 | केंद्रीय उत्पाद–शुल्क / सेवा कर / ब्याज /दंड | 56.33 | 2000–01 से 2013–14 | आयुक्त (अपील) – मंगलूर |
| | | 142.19 | 1996–97 से 2012–13 | सीईएसटीएटी – बेंगलूर |
| | | 0.52 | 2002–03 से 2012–13 | संयुक्त सचिव, एमओएफ |
| | | 26.72 | 1999–2000 से 2012–13 | आयुक्त – मंगलूर |
| **कुल** | | **1149.03** | | |

(x) 31 मार्च 2014 को कंपनी की कोई संचित हानि नहीं रही। कंपनी ने वर्ष के दौरान और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं उठाई है।

(xi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण एवं कंपनी के रेकॉर्डों के हमारी ओर से किए गए सत्यापन के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को देय रकम चुकाने में कोई चूक नहीं की है।

(xii) कंपनी ने, शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।

(xiii) चूंकि कंपनी, चिट फंड / निधि / म्यूचुअल फंड / सोसाइटी नहीं है, इसलिए रिपोर्ट करने संबंधी अपेक्षाएं लागू नहीं होती हैं।

(xiv) कंपनी ने वर्ष के दौरान म्यूचुअल फंड निवेश में व्यवहार किया। लेन-देनों और ठेकों के बारे में उचित रेकॉर्ड रखे गए हैं और वक्त पर प्रविष्टियां पारित की गई हैं। कंपनी ने उक्त निवेश अपने नाम से किए हैं ।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार न्यू मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कंपनी द्वारा दी गई गारंटी, कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं है। इस गारंटी को छोड़कर, कंपनी ने दूसरों द्वारा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

(xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान नए सावधि ऋण लिए हैं और जिस मकसद के लिए ऋणों का आवेदन किया गया था उसी प्रयोजन के लिए इनका उपयोग किया गया सिवाए ₹15,861.05 दशलक्ष, जिनको वर्ष के अंत में लेकर बैंक की जमाराशियों में रखा गया।

(xvii) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों का समग्र परीक्षण करने के बाद हम यह रिपोर्ट करते हैं कि अल्पावधि आधार पर ली गई निधि का दीर्घावधि निवेश के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है।

(xviii) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों का अधिमान्य आबंटन नहीं किया।

(xix) वर्ष के अंत में कंपनी के कोई बकाया डिबेंचर नहीं रहे।

(xx) कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक निर्गम से कोई धनराशि नहीं जुटाई।

(xxi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी में या कंपनी द्वारा धोखाधड़ी होने की कोई घटना नजर नहीं आई न ही रिपोर्ट की गई।

**कृते गोपाल ऐय्यर एण्ड सुब्रमणियन्**
**सनदी लेखाकार**
**फर्म की पंजीकरण सं. :** 000960S
**सीए. एस. कासी विश्वनाथन्**
**साझेदार**
**सदस्यता सं.**026975

**कृते ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स**
**सनदी लेखाकार**
**फर्म की पंजीकरण सं. :** 003324S
**सीए. ए. राघवेंद्र राव**
**साझेदार**
**सदस्यता सं.** 007533

**स्थान: नई दिल्ली:**
**दिनांक: 20 मई, 2014**

# 31 मार्च, 2014 तक का तुलन पत्र

(₹ दशलक्ष में)

| | | टिप्पणी सं. | यथा 31 मार्च 2014 | यथा 31 मार्च 2013 |
|---|---|---|---|---|
| I. | **इक्विटी और देयताएं** | | | |
| 1 | **शेयरधारकों की निधि** | | | |
| | (क) शेयर पूंजी | 2 | 17,526.64 | 17,526.64 |
| | (ख) आरक्षित निधि और अधिशेष | 3 | 53,162.08 | 47,150.26 |
| 2 | **गैर–चालू देयताएं** | | | |
| | (क) दीर्घावधि उधार | 4 | 88,535.67 | 57,807.91 |
| | (ख) आस्थगित कर देयताएँ (निवल) | 5 | 4,702.69 | 7,343.28 |
| | (ग) अन्य दीर्घावधि सावधि देयताएँ | 6 | 19.03 | 0.31 |
| | (घ) दीर्घावधि प्रावधान | 7 | 466.95 | 451.43 |
| 3 | **चालू देयताएँ** | | | |
| | (क) अल्पावधि उधार | 8 | – | 11,990.03 |
| | (ख) व्यापार देयताएं | 9 | **210,311.71** | 109,607.64 |
| | (ग) अन्य चालू देयताएँ | 10 | **19,237.63** | 14,130.92 |
| | (घ) अल्पावधि प्रावधान | 11 | **1,214.35** | 1,003.76 |
| | | कुल | **395,176.75** | **267,012.18** |
| II. | **आस्तियां** | | | |
| | **गैर चालू आस्तियां** | | | |
| 1 | (क) अचल आस्तियां | 12 | | |
| | (i) गोचर आस्तियां | | 59,896.13 | 57,768.52 |
| | (ii) अगोचर आस्तियाँ | | 18.08 | 37.80 |
| | (iii) प्रगति पर पूंजीगत कार्य | | 85,515.47 | 75,544.81 |
| | (ख) गैर–चालू निवेश | 13 | 150.02 | 150.02 |
| | (ग) दीर्घावधि ऋण व अग्रिम | 14 | 2,736.57 | 4,831.52 |
| | (घ) अन्य गैर चालू आस्तियां | 15 | 2,694.84 | 974.35 |
| 2 | **चालू आस्तियां** | | | |
| | (क) स्टॉक | 16 | 84,489.61 | 67,152.61 |
| | (ख) प्राप्य व्यापारी राशियाँ | 17 | 44,811.45 | 39,726.97 |
| | (ग) नकदी और बैंक शेष | 18 | 106,723.29 | 16,058.55 |
| | (घ) अल्पावधि ऋण व अग्रिम | 19 | 7,231.36 | 4,616.57 |
| | (ङ) अन्य चालू निवेश | 20 | 909.93 | 150.46 |
| | | कुल | 395,176.75 | 267,012.18 |
| उल्लेखनीय लेखा नीतियां | | 1 | | |
| अन्य प्रकटन | | 31 | | |

अन्य वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें

**संलग्न हमारी सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार**
**कृते गोपाल ऐय्यर एण्ड सुब्रमणियन**
**सनदी लेखाकार**
फर्म की पंजीकरण सं. : 000960S

**सीए एस. कासी विस्वनाथन्**
साझेदार
सदस्यता सं. 026975

**कृते राघवेंद्र राव एण्ड एसोएट्स**
**सनदी लेखाकार**
फर्म की पंजीकरण सं. : 003324S

**सीए ए. राघवेंद्र राव**
साझेदार
सदस्यता सं. 007533

**दिनेश मिश्रा**
कंपनी सचिव

नई दिल्ली : 20 मई, 2014

**मंडल के लिए और उनकी ओर से**
**डी के सर्राफ़**
**अध्यक्ष**

**पी.पी. उपाध्या**
प्रबंध निदेशक

**विष्णु अग्रवाल**
निदेशक (वित्त)

## 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि लेखा विवरण

(₹ दशलक्ष में)

| | | देखें टिप्पणी सं | समाप्त वर्ष 31.03.2014 | समाप्त वर्ष 31.03.2013 |
|---|---|---|---|---|
| I. | परिचालन से राजस्व | 21 | 752,304.11 | 688,377.15 |
| | घटाएँ: उत्पाद शुल्क | | 34,156.19 | 31,420.45 |
| | परिचालन से निवल राजस्व | | 718,147.92 | 656,956.70 |
| II. | अन्य आय | 22 | 3,201.71 | 1,118.82 |
| III. | **कुल राजस्व** (I + II) | | **721,349.63** | **658,075.52** |
| IV. | व्यय: | | | |
| | खपाई गई सामग्री की लागत | 23 | 708,525.17 | 654,001.82 |
| | स्टॉक में वृद्धि (–)/ (अवनति) | 24 | –6,740.75 | –11,161.53 |
| | कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय | 25 | 2,154.74 | 1,845.60 |
| | वित्त लागत | 26 | 3,214.41 | 3,285.53 |
| | मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | 27 | 7,064.17 | 6,044.10 |
| | अन्य व्यय | 28 | 4,153.78 | 9,273.00 |
| | **कुल व्यय** | | **718,371.52** | **663,288.52** |
| V. | **अपवादात्मक और असाधारण मदों से और कर पूर्व लाभ (III-IV)** | | 2,978.11 | –5,213.00 |
| VI. | अपवादात्मक मद | 29 | –1,118.85 | –444.54 |
| VII. | **असाधारण मद और कर पूर्व लाभ(V - VI)** | | **4,096.96** | **–4,768.46** |
| VIII. | असाधारण मद | | – | – |
| IX. | **कर पूर्व लाभ/(हानि) (VII- VIII)** | | **4,096.96** | **–4,768.46** |
| X | कर संबंधी व्यय: | | | |
| | (1) वर्तमान / मैट कर (देखें टिप्पणी 31.27) | | 755.73 | – |
| | (2) पिछले वर्ष का कर समायोजन | | – | –11.23 |
| | (3) आस्थगित कर (देखें टिप्पणी 31.09) | | –2,640.59 | 2,811.88 |
| XI | **वर्ष का लाभ/(हानि)(IX - X)** | | **6,011.82** | **–7,569.11** |
| XII | प्रति इक्विटी शेअर अर्जन: | 30 | | |
| | (1) मूल | | 3.43 | –4.32 |
| | (2) आंशिक | | 3.43 | – |
| उल्लेखनीय लेखा नीतियां | | 1 | | |
| अन्य प्रकटन | | 31 | | |

अन्य वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें

**संलग्न हमारी सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार**

**कृते गोपाल ऐय्यर एण्ड सुब्रमणियन**
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं. : 000960S

**सीए एस. कासी विस्वनाथन्**
साझेदार
सदस्यता सं. 026975

**कृते राघवेंद्र राव एण्ड एसोएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं. : 003324S

**सीए ए. राघवेंद्र राव**
साझेदार
सदस्यता सं. 007533

**दिनेश मिश्रा**
कंपनी सचिव

**मंडल के लिए और उनकी ओर से**
**डी के सर्राफ़**
**अध्यक्ष**

**पी.पी. उपाध्या**
प्रबंध निदेशक

**विष्णु अग्रवाल**
निदेशक (वित्त)

नई दिल्ली : 20 मई, 2014

## 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ दशलक्ष में)

| | | | समाप्त वर्ष 31.03.2014 | समाप्त वर्ष 31.03.2013 |
|---|---|---|---|---|
| क | **परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :** | | | |
| | कर पूर्व लाभ | | 4,096.96 | -4,768.46 |
| | इनके लिए समायोजन : | | | |
| | - मूल्यह्रास / परिशोधन | | 7,060.15 | 6,044.10 |
| | - अचल आस्तियों की बिक्री से हानि / (लाभ) | | 15.29 | 27.84 |
| | - प्रतिलेखित प्रावधान/देयता | | -51.60 | -156.43 |
| | - संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों/जमाराशियों और बट्टे खाते डालने के लिए प्रावधान | | 164.54 | 92.42 |
| | - विदेशी मुद्रा रूपांतरण संबंधी लेन-देन – निवल | | -4,519.62 | 373.69 |
| | - ब्याज खर्च | | 3,214.41 | 3,285.53 |
| | - ब्याज / लाभांश आय | | -3,085.79 | -905.57 |
| | कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन होने से पहले परिचालन लाभ | | 6,894.34 | 3,993.12 |
| | इनके लिए समायोजन : | | | |
| | - व्यापार और अन्य प्राप्य रकम | | -8,205.91 | -4,376.37 |
| | - स्टॉक | | -17,337.00 | 11,023.15 |
| | - देय व्यापार और उसके लिए प्रावधान | | 109,559.57 | -673.98 |
| | परिचालन से उत्पन्न नकद | | 90,911.00 | 9,965.92 |
| | - प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल धनवापसी) | | -1,381.00 | -1,093.43 |
| | पूर्व अवधि वाली मदों से पहले नकदी प्रवाह | | 89,530.00 | 8,872.49 |
| | - पूर्व अवधि वाली मद (नकद मद) | | 104.54 | -53.87 |
| | **परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह** | **(क)** | **89,634.54** | **8,818.62** |
| ख | **निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | | |
| | अचल आस्तियों की खरीदारी | | -15,018.05 | -23,350.87 |
| | अचल आस्तियों की बिक्री | | 21.48 | 32.11 |
| | प्राप्त ब्याज / लाभांश आय | | 2,318.67 | 1,047.24 |
| | ब्याज आय पर प्रदत्त कर | | -308.37 | -92.45 |
| | निवेश (निवल) | | – | 273.28 |
| | **निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह** | **(ख)** | **-12,986.27** | **-22,090.69** |
| ग | **वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | | |
| | शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्तियां | | – | -45.93 |
| | दीर्घावधि उधार से प्राप्तियां | | 29,017.41 | 18,919.54 |
| | अल्पावधि उधार से प्राप्तियां | | -11,990.03 | -6,616.20 |
| | प्रदत्त ब्याज और वित्त प्रभार | | -2,996.63 | -3,238.59 |
| | प्रदत्त लाभांश और लाभांश कर | | – | -2,036.92 |
| | **वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह :** | **(ग)** | **14,030.75** | **6,981.90** |
| | **नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (गिरावट)** | **(क+ख+ग)** | **90,679.02** | **-6,290.17** |
| | **वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकदी समतुल्य** | | **15,879.92** | **22,170.09** |
| | **वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य** | | **106,558.94** | **15,879.92** |
| | | | **90,679.02** | **-6,290.17** |
| 1 | नकद और नकदी समतुल्य | | | |
| | अग्रदाय सहित नकदी शेषराशि | | 1.53 | 0.73 |
| | अनुसूचित बैंकों ** के पास बैंक शेषराशि | | **106,557.41** | **15,879.19** |
| | | | **106,558.94** | **15,879.92** |

** बैंकों/सरकारी प्राधिकरण के पास धारणाधिकार, गिरवी के अधीन ब्याज वारंट / धनवापसी खातों के चालू खाते / जमा खाते में उपलब्ध ₹164.35 दशलक्ष को छोड़कर (पिछले वर्ष ₹178.63 दशलक्ष)

2 पिछले वर्ष के आंकड़ों को, चालू वर्ष के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप जहां कहीं ज़रूरी हो पुनर्वर्गीकृत/पुनव्यवस्थित किया गया है ।

**संलग्न हमारी सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार**

**कृते गोपाल ऐय्यर एण्ड सुब्रमणियन**
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं. : 000960S

**सीए एस. कासी विस्वनाथन्**
साझेदार
सदस्यता सं. 026975

**कृते राघवेंद्र राव एण्ड एसोएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं. : 003324S

**सीए ए. राघवेंद्र राव**
साझेदार
सदस्यता सं. 007533

**दिनेश मिश्रा**
कंपनी सचिव

नई दिल्ली : 20 मई, 2014

**मंडल के लिए और उनकी ओर से**
**डी के सरीफ़**
**अध्यक्ष**

**पी.पी. उपाध्या**
प्रबंध निदेशक

**विष्णु अग्रवाल**
निदेशक (वित्त)

# टिप्पणियाँ

## टिप्पणी 1

### महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. **लेखा परिपाटी और प्रस्तुतीकरण/लेखाकरण का आधार**
   1.1. वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत, आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी), कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों और कंपनी (लेखा मानक)नियम, 2006 के तहत जारी किए गए लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए जाते हैं।
   1.2. ऐसे तमाम आय और उचित निश्चितता के साथ प्राप्य/देय समझी जाने वाली समस्त आय और खर्च को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।
2. **आकलन का उपयोग**
   वित्तीय विवरण तैयार करते समय, ऐसे आकलन और ऐसी परिकल्पनाएं करनी पड़ेंगी जो वित्तीय विवरणों की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की रकम को और रिपोर्ट अवधि के दौरान राजस्व और खर्च संबंधी दर्शाई गई रकम को प्रभावित करें। वास्तविक परिणामों और आकलन के बीच का अंतर, उस अवधि में जाना जा सकेगा जिसमें परिणाम ज्ञात हों/प्रकट हों।
3. **नकदी प्रवाह विवरण**
   नकदी प्रवाह विवरण, कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के तहत जारी तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा यथापेक्षित लेखा मानक – 3 में निर्धारित परोक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है।
4. **अचल आस्तियां**
   4.1. भूमि को, जहां कहीं लागू हो, परिशोधन को घटाने के बाद ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है।
   4.2. अन्य अचल आस्तियों को, संचित मूल्यह्रास / परिशोधन और हानि को घटाने के बाद ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है।
   4.3. संयंत्र अथवा उपकरणों के साथ प्राप्त और निर्दिष्ट मशीनों की ख़ातिर बाद में खरीदे गए और अनियमित उपयोग वाले अतिरिक्त पुरजों का पूंजीकरण किया जाता है।
   4.4. निर्माण की अवधि के दौरान, प्रत्यक्ष रूप से पहचानने लायक खर्च को पहली बार पूंजीकृत किया जाता है और सभी अन्य आबंटनीय खर्च को आस्तियों के मूल्य के आधार पर यथानुपात पूंजीकृत किया जाता है।
   4.5. इस प्रयोजन के लिए लागत में शामिल हैं, क्रय कीमतें, शुल्क(केंद्रीय निवल कर जमा), कर, प्रासंगिक खर्च, स्थापना/चालू करने संबंधी खर्च, तकनीकी जानकारी शुल्क, पेशेवर शुल्क और जिस तारीख तक आस्ति का उपयोग किया गया हो उस तारीख तक ब्याज आदि और अवक्षय आस्तियों आदि की खरीदारी से संबंधित दीर्घावधि विदेशी मुद्रा संबंधी मदों से उत्पन्न विदेशी मुद्रा दर में अंतर।
5. **हानि**
   जहां कहीं रखाव–लागत, उच्चतर निवल वसूलने योग्य रकम होने के नाते वसूलने योग्य रकम और उपयोग में लाए गए मूल्य से अधिक हो, नकद उत्पन्न करने वाली इकाइयों/आस्तियों को हुई हानि का पता लगाकर उस पर विचार किया जाता है ।
6. **मूल्यह्रास/परिशोधन**
   6.1. अचल आस्तियों पर मूल्यहास(पट्टे पर ली गई आस्तियों सहित) सीधी रेखा पद्धति के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्दिष्ट दरों पर और तरीके से किया जाता है।
   6.2. पट्टेवाली भूमि की लागत का परिशोधन पट्टा अवधि में किया जाता है। ऐसी पट्टेवाली भूमि की लागत का, जहां पट्टा अवधि समाप्त होने पर कंपनी के स्वामित्व का अंतरण आखिरकार निश्चित हो, परिशोधन नहीं किया जाता है।
   6.3. विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव के निमित्त पूंजीकृत रकम पर मूल्यह्रास के लिए आस्तियों की शेष अवधि पर भविष्यलक्षी प्रभाव से प्रावधान किया जाता है।
   6.4. नियमित रूप से इस्तेमाल न किए जाने वाले और निर्दिष्ट मशीनें स्थापित किए जाने के बाद खरीदे गए अतिरिक्त पुरज़ों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान, निर्दिष्ट मशीनों की शेष अवधि पर भविष्यलक्षी प्रभाव से किया जाता है और अतिरिक्त पुरज़े का अवलेखित मूल्य, जब कभी बदला जाए, लाभ–हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।
7. **अमूर्त आस्तियाँ**
   भावी आर्थिक लाभ में परिलक्षित होने वाली अमूर्त आस्तियों पर उठाई गई लागत का अमूर्त आस्तियों के रूप में पूंजीकरण किया जाता है और इन आस्तियों का, अनुमानित उपयोगी अवधि में, समीकरण आधार पर परिशोधन किया जाता है।
8. **निवेश**
   8.1. दीर्घावधि निवेश का लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। खातों में अस्थाई अवनति को छोड़कर किसी दूसरी तरह की अवनति के लिए प्रावधान किया जाता है।
   8.2. चालू निवेश का मूल्यांकन, निम्नतर लागत पर और उचित मूल्य पर किया जाता है।
9. **स्टॉक**
   स्टॉक का मूल्यांकन निम्नतर लागत पर और निवल वसूलने योग्य मूल्य पर किया जाता है। स्टाक की लागत में, स्टॉक को उसके वर्तमान स्थान पर और मौजूदा हालत में लाने के लिए उठाई गई क्रय लागत और अन्य लागत, स्टॉक की लागत में शामिल हैं। लागत का निर्धारण इस तरह किया गया है:
   9.1. कच्चा माल–प्रथम आवक प्रथम जावक मूल्यन विधि (फिफो)के आधार पर।
   9.2. तैयार माल–कच्चा माल, परिवर्तन लागत और उत्पाद शुल्क पर।
   9.3. प्रक्रियागत स्टॉक–कच्चा माल और यथानुपात परिवर्तन लागत पर।
   9.4. भंडार, अतिरिक्त पुरज़े और अन्य व्यापारी माल–भारित औसत लागत आधार पर।
10. **राजस्व की गणना**
    10.1. ग्राहक की अभिरक्षा में अंतरण होने पर बिक्री दर्शाई जाती है और इसमें शामिल हैं मूल्य संवर्धित कर (वैट) को छोड़कर सभी सांविधिक उगाही और निवल बट्टा।
    10.2. लाभांश प्राप्त होने का अधिकार सिद्ध होने पर लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।
    10.3. ब्याज आय को समय अनुपात आधार पर दर्शाया जाता है।
    10.4. स्क्रैप की बिक्री से प्राप्त राजस्व को, ग्राहकों के हवाले करने पर मान्यता दी जाती है।
    10.5. ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से निर्णीत हर्जाने के संबंध में राजस्व को तभी मान्यता दी जाती है जब यह तय हो गया हो कि उसे देना नहीं पडेगा।
    10.6. ग्राहकों से की गई उत्पाद शुल्क की वसूली, कुल कारोबार (कुल) से घटाई जाती है । उत्पाद शुल्क देने लायक वस्तुओं के अंतिम और प्रारंभिक स्टॉक के बीच का उत्पाद शुल्क, अन्य व्यय के अधीन जोडा जाता है।
11. **दावे**
    11.1. पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण कक्ष, भारत सरकार, पर किए गए दावों/के प्रति अभ्यपर्ण को यथा निर्दिष्ट अंतिम समायोजन के अधीन उपलब्ध अनुदेशों/स्पष्टीकरणों के आधार पर उसकी 'सैद्धांतिक स्वीकृति ' पर बुक किया जाता है।

11.2. **बीमा संबंधी दावे**

11.2.1 आस्ति का पूरी तरह से नुकसान होने पर, बीमाकर्ता को सूचित करने के उपरांत, या तो रखाव-लागत को या बीमा मूल्य (काटने लायक अतिरिक्त मूल्य के अधीन) को, जो भी कम हो, बीमा कंपनी से वसूल करने योग्य दावे के रूप में माना जाएगा। अगर बीमा संबंधी दावा आस्ति की रखाव-लागत से कम हो तो अंतर को लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया जाएगा।

11.2.2 अगर नुकसान आंशिक स्वरूप का हो या अन्य किस्म का हो तो, अन्य पक्षकार अथवा अन्य देयताओं को, यदि कोई हो तो, उनकी पूर्ति करने (काटने लायक अतिरिक्त रकम को घटाने के बाद) की दृष्टि से इन आस्तियों को वापस प्रयोग में लाने के लिए किए गए खर्च/भुगतान को बीमा कंपनी से वसूल करने लायक दावे के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है। काटने लायक बीमा पॉलिसी आधिक्य को उस तद्नुरूपी वर्ष में खर्च किया जाएगा जिसमें उसे उठाया गया हो।

11.2.3 जब कभी दावे बीमा कंपनी से अंतिम रूप में प्राप्त हों, बीमा से प्राप्य दावे और प्राप्त दावे के बीच कोई अंतर हो तो उसका समायोजन लाभ-हानि लेखा में किया जाता है।

11.2.4 सभी अन्य दावों और प्रावधानों को प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर बुक किया जाता है।

## 12. विदेशी मुद्रा लेन-देन

12.1. विदेशी मुद्रा लेन-देनों को लेन-देन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर लेखाबद्ध किया जाता है।

12.2. मौद्रिक मदों की विदेशी मुद्रा आस्तियों/देयताओं को रिपोर्ट तारीख को विद्यमान विनिमय दर के आधार पर रूपांतरित किया जाता है।

12.3. रिपोर्ट तारीख को विदेशी मुद्रा लेन-देन का रूपांतरण करने पर पाए गए विनिमय अंतर को आय या व्यय के रूप में मानते हुए लाभ-हानि लेखा में समायोजित किया जाता है जब कि इसके लिए अपवाद है, अवक्षयी पूंजीगत आस्तियों की खरीदारी से संबंधित दीर्घावधि विदेशी मुद्रा संबंधी मौद्रिक मदों को रिपोर्ट करने पर उत्पन्न ऐसा विनिमय अंतर जिसे आस्तियों की लागत में जोडा जाता है/या लागत से घटाया जाता है।

12.4. मौजूदा ठेके के प्रति भावी निर्यात बिक्री के कारण विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तन के जोखिम से बचने के लिए तय किए गए असमाप्त वायदा ठेकों के संबंध में बेचने के लिए अंकित हानि (निवल) को लाभ-हानि लेखा में दर्शाया जाता है।

## 13. कर्मचारियों के लाभ

13.1. कर्मचारियों को मिलने वाले सभी अल्पावधि लाभ को उनकी बट्टा रहित रकम पर, उस लेखा अवधि में जिसमें उसे दिया गया हो, दर्शाया जाता है। भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति निधि सहित परिभाषित अंशदान योजनाओं के तहत कर्मचारियों के लाभ को, योजना के प्रति कंपनी के बट्टा रहित दायित्व के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। इनका भुगतान, क्रमश: भविष्य निधि प्राधिकरणों और भारतीय जीवन बीमा निगम को किया जाता है और इनको वर्ष के दौरान खर्च के अधीन दर्शाया जाता है।

13.2. उपदान, छुट्टी नकदीकरण, दीर्घावधि सेवा चिह्न, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ सहित परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत कर्मचारियों के लाभ को परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के आधार पर, जिसका परिकलन प्रक्षेपित इकाई जमा पद्धति का उपयोग करते हुए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है, लेखाबद्ध किया जाता है। उपदान के संबंध में संबंधित योजना आस्तियों से अधिक वास्तविक देयता को वर्ष के दौरान लेखाबद्ध किया जाता है।

13.3. वास्तविक अभिलाभ और हानि को लाभ-हानि लेखा में आय या खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

13.4. अनर्जित अवकाश के निमित्त अल्पावधि देयता की बट्टा रहित रकम का वर्षांत में निर्धारण कर उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

13.5. वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार उपदान के लिए प्रावधान की निधि, एक अलग न्यास में रखी जाती है।

## 14. पट्टे

14.1. वित्तीय पट्टे के संबंध में पट्टा किराए को, प्रतिफल की स्पष्ट दर लगाते हुए आस्तियों की लागत और ब्याज घटक में पृथक किया जाता है।

14.2. पट्टे पर खरीदी गई आस्तियों का, जहां स्वामित्व के जोखिमों और प्रतिफल का उल्लेखनीय हिस्सा पट्टेदार द्वारा रखा जाता है, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। पट्टा किराए को उपचय आधार पर लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

## 15. उधार संबंधी लागत

उधार संबंधी लागत को, जो अर्हक आस्तियों की खरीदारी, निर्माण अथवा उत्पादन के कारण उत्पन्न होती है, इन आस्तियों की लागत के अंश के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्हक आस्तियां उनको कहा जाता है जो निर्दिष्ट उपयोग के लिए तैयार होने के लिए काफी समय लेती हैं। उधार संबंधी दूसरी सब प्रकार की लागत को लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

## 16. अनुसंधान और विकास संबंधी खर्च

अनुसंधान और विकास संबंधी पूंजीगत खर्च को, संबंधित अचल आस्तियों के तहत पूंजीकृत किया जाता है। उस पर राजस्व खर्च को लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

## 17. आय पर देय कर

17.1. चालू कर का निर्धारण, आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

17.2. आस्थगित कर को, किसी एक अवधि में उत्पन्न होने वाली और बाद में किसी एक अवधि में या उससे अधिक अवधि में प्रतिगामी होने वाली कर योग्य और लेखा बद्ध की जाने वाली आय/खर्च के बीच के समय अंतर के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। आस्थगित कर संबंधी आस्ति को, यथा लागू उसकी वसूली योग्यता के बारे में वास्तविक/यथोचित निश्चितता के आधार पर दर्शाया जाता है।

17.3. आस्थगित कर आस्तियों की आवर्ती रकम की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को की जाती है।

## 18. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

जिन प्रावधानों को नापने के लिए काफी हद तक आकलन का सहारा लिया जाता है, उनको तब दर्शाया जाता है जब गत घटनाओं के कारण वर्तमान बाध्यता उत्पन्न हुई हो और संसाधनों का बाह्य प्रवाह होने की संभावना हो। आकस्मिक देयताओं को, अगर महत्वपूर्ण हो तो टिप्पणियों के जरिए प्रकट किया जाता है। आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणों में न लेखाबद्ध किया जाता है न ही प्रकट किया जाता है।

## टिप्पणी 2 शेयर पूँजी

### 2.1 प्राधिकृत, निर्गमित और अभिदत्त तथा प्रदत्त शेयर पूंजी के ब्यौरे

**2.1.1 शेयर पूँजी**

| | यथा 31 मार्च 2014 | | यथा 31 मार्च 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | ₹ दशलक्ष में | संख्या | ₹ दशलक्ष में |
| **प्राधिकृत** | | | | |
| प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर | 1,900,000,000 | 19,000.00 | 1,900,000,000 | 19,000.00 |
| प्रत्येक ₹10 के गैर संचयी 0.01% की दर पर प्रतिदेय अधिमान शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹10) | 100,000,000 | 1,000 | 100,000,000 | 1,000 |
| **कुल** | **2,000,000,000** | **20,000.00** | **2,000,000,000** | **20,000.00** |

**2.1.2 इक्विटी शेयर पूंजी**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त** | | | | |
| प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर | 1,752,598,777 | 17,525.99 | 1,752,598,777 | 17,525.99 |
| जब्त शेयर | | 0.65 | | 0.65 |
| कुल | 1,752,598,777.00 | 17,526.64 | 1,752,598,777.00 | 17,526.64 |

**2.1.3 अधिमान शेयर पूंजी**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त** | | | | |
| कुछ नहीं (पिछले वर्ष ₹5 के 0.01% गैर संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर) | – | – | – | – |
| कुल | – | – | – | – |
| **2.1.4 कुल निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त(2.1.2+2.1.3)** | **1,752,598,777.00** | **17,526.64** | **1,752,598,777.00** | **17,526.64** |

### 2.2 शेयरों का समाधान

**2.2.1 इक्विटी शेयर**

| | यथा 31 मार्च 2014 | | यथा 31 मार्च 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | (₹ दशलक्ष ) | संख्या | (₹ दशलक्ष ) |
| वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर | 1,752,598,777 | 17,525.99 | 1,752,598,777 | 17,525.99 |
| वर्ष के अंत में बकाया शेयर | 1,752,598,777 | 17,525.99 | 1,752,598,777 | 17,525.99 |

**2.2.2 अधिमानी शेयर**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर | – | – | 9,186,242 | 45.93 |
| वर्ष के दौरान पुनःशोधित शेयर | – | – | 9,186,242 | 45.93 |
| वर्ष के अंत में बकाया शेयर | – | – | – | – |

### 2.3 अधिकार, अधिमान और प्रतिबंध

| विवरण | इक्विटी शेयर | अधिमानी शेयर |
|---|---|---|
| लाभांश वितरण | एजीएम में शेयरधारकों द्वारा यथा अनुमोदित | अंकित मूल्य पर निश्चित 0.01% की दर से |
| पूंजी की वापसी | लागू नहीं | दो समान किस्तों में प्रतिदान (1 जुलाई 2011 और 1 जुलाई 2012) |

### 2.4 नियंत्रक अथवा अंतिम नियंत्रक कंपनी अथवा उसकी सहायक अथवा सहयोगी कंपनियों द्वारा धारित शेयर

नियंत्रक कंपनी, ओएनजीसी के पास 1,255,354,097 इक्विटी शेयर (1,255,354,097 इक्विटी शेयर )हैं।

### 2.5 कुल शेयरों में से 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के ब्यौरे

**इक्विटी शेयर**

| शेयरधारक का नाम | यथा 31 मार्च 2014 | | यथा 31 मार्च 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| | धारित कुल शेयर | धारण का प्रतिशत | धारित कुल शेयर | धारण का प्रतिशत |
| ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड | 1,255,354,097 | 71.63% | 1,255,354,097 | 71.63% |
| हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड | 297,153,518 | 16.96% | 297,153,518 | 16.96% |

### 2.6 शेयर बेचने / विनिवेश करने की खातिर विकल्प और ठेकों/वायदों के तहत जारी करने के लिए कोई शेयर आरक्षित नहीं किए गए हैं

### 2.7 जब्त शेयर

| यथा 31 मार्च 2014 | | यथा 31 मार्च 2013 | |
|---|---|---|---|
| जब्त शेयरों की संख्या | ₹ दशलक्ष में प्रदत्त रकम | जब्त शेयरों की संख्या | ₹ दशलक्ष में प्रदत्त रकम |
| – | 0.65 | – | 0.65 |

## टिप्पणी 3 आरक्षित निधि और अधिशेष

| | | यथा 31 मार्च, 2014 ₹ दशलक्ष में | यथा 31 मार्च, 2013 ₹ दशलक्ष में |
|---|---|---|---|
| 3.1 | **पूंजीगत आरक्षित शोधन निधि (देखें टिप्पणी क)** | | |
| | **पिछले तुलन पत्र के अनुसार** | 91.86 | 45.93 |
| | **लाभ–हानि लेखा से अंतरण** | – | 45.93 |
| | अंतिम शेष | **91.86** | **91.86** |
| 3.2 | **प्रतिभूति प्रीमियम खाता** | | |
| | पिछले तुलन पत्र के अनुसार | **3,490.53** | **3,490.53** |
| 3.3 | **सामान्य आरक्षित निधि** | | |
| | पिछले तुलन पत्र के अनुसार | 1,192.00 | 1,192.00 |
| | जोड़ें : चालू वर्ष में अंतरण | – | – |
| | **अंतिम शेष** | **1,192.00** | **1,192.00** |
| 3.4 | **लाभ–हानि खाता** | | |
| | पिछले तुलन पत्र के अनुसार | 42,375.87 | 49,990.91 |
| | जोड़ें : वर्ष का लाभ/(हानि) | 66,011.82 | (7,569.11) |
| | घटाएँ: पूंजीगत आरक्षित शोधन निधि में अंतरण | – | 45.93 |
| | **अंतिम शेष** | 48,387.69 | 42,375.87 |
| | **कुल** | 53,162.08 | 47,150.26 |

**टिप्पणियां**

क. 2011–12 और 2012–13 के दौरान ₹ 91.86 दशलक्ष की अधिमान शेयर पूंजी के शोधन पर निर्मित पूंजीगत आरक्षित शोधन निधि

## टिप्पणी 4 दीर्घावधि उधार

| | | यथा 31मार्च, 2014 ₹ दशलक्ष में | यथा 31मार्च 2013 ₹ दशलक्ष में |
|---|---|---|---|
| 4.1 | **जमानती** | | |
| | **सावधि ऋण : बैंकों से** | | |
| 4.1.1 | **बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) (देखें टिप्पणी क)** | 38,948.00 | 16,293.00 |
| | (अचल आस्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार और वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की चल आस्तियों पर प्रथम क्रमांकित समरूप प्रभार के रूप में जमानत प्रदान की गई है)। | | |
| | **चुकौती की शर्तें :** | | |
| | 2015–16 के दौरान : ₹ 1,348.20 दशलक्ष | | |
| | 2016–17 के दौरान : ₹ 2,471.70 दशलक्ष | | |
| | 2017–18 के दौरान : ₹ 9,287.60 दशलक्ष | | |
| | 2018–19 के दौरान : ₹ 24,492.30 दशलक्ष | | |
| | 2019–20 के दौरान : ₹ 8,98.80 दशलक्ष | | |
| | 2020–21 के दौरान : ₹ 449.40 दशलक्ष | | |
| | | 38,948.00 | 16,293.00 |
| 4.2 | **गैर–जमानती** | | |
| 4.2.1 | **अन्य से : ओआईडीबी से सावधि ऋण (देखें टिप्पणी ख)** | | |
| | **चुकौती की शर्तें :** | 8,000.00 | 7,000.00 |
| | 2014–15 के दौरान : ₹ 2,000.00 दशलक्ष | | |
| | 2015–16 के दौरान : ₹ 2,750.00 दशलक्ष | | |
| | 2016–17 के दौरान : ₹ 2750.00 दशलक्ष | | |
| | 2017–18 के दौरान : ₹ 1,750.00 दशलक्ष | | |
| | 2018–19 के दौरान : ₹ 750.00 दशलक्ष | | |
| 4.2.2 | **आस्थगित भुगतान देयताएं (देखें टिप्पणी ग)** | 2,159.17 | 2,693.51 |
| | **चुकौती की शर्तें :** | | |
| | 2014–15 के दौरान : ₹ 534.34 दशलक्ष | | |
| | 2015–16 के दौरान : ₹ 555.83 दशलक्ष | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2016–17 के दौरान : ₹ 458.17 दशलक्ष | | | |
| | 2017–18 के दौरान : ₹ 526.54 दशलक्ष | | | |
| | 2018–19 के दौरान : ₹ 400.00 दशलक्ष | | | |
| | 2019–20 के दौरान : ₹ 218.63 दशलक्ष | | | |
| 4.2.3 | **संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (देखें टिप्पणी घ)** | | 39,428.50 | 31,821.40 |
| | **चुकौती की शर्तें :** | | | |
| | 2014–15 के दौरान : ₹ 6,857.20 दशलक्ष | | | |
| | 2015–16 के दौरान : ₹ 6,857.20 दशलक्ष | | | |
| | 2016–17 के दौरान : ₹ 6,857.20 दशलक्ष | | | |
| | 2017–18 के दौरान : ₹ 6,857.20 दशलक्ष | | | |
| | 2018–19 के दौरान : ₹ 6,857.20 दशलक्ष | | | |
| | 2019–20 के दौरान : ₹ 6,857.20 दशलक्ष | | | |
| | 2020–21 के दौरान : ₹ 5,142.50 दशलक्ष | | | |
| | | | 49,587.67 | 41,514.91 |
| | | **कुल** | 88,535.67 | 57,807.91 |

**टिप्पणियां**

**क** ईसीबी के लिए ब्याज दर है 6 महीने का एलआईबीओआर + अंतर। ₹ 5,992.00 दशलक्ष, ₹ 8,988.00 दशलक्ष, ₹ 17,976.00 दशलक्ष, ₹ 2,996.00 दशलक्ष और ₹ 2,996.00 दशलक्ष पर प्रभावशाली ब्याज दर हैं क्रमशः 3.26%, 3.63%, 2.82%, 2.44% और 2.79%।

**ख** ओआईडीबी सावधि ऋण के लिए ब्याज दर है ₹ 2,737.50 दशलक्ष, ₹ 262.50 दशलक्ष, ₹ 1,250 दशलक्ष, ₹ 2,750 दशलक्ष, ₹ 87.90 दशलक्ष, ₹ 1,537.50 दशलक्ष, ₹ 399.60 दशलक्ष, ₹ 282.50 दशलक्ष और ₹ 692.50 दशलक्ष पर क्रमशः 8.89%, 9.04%, 8.73%, 8.98%, 8.94%, 9.27%, 9.06%, 9.15% और 9.27%।

**ग** बिक्री कर आस्थगन दर्शानेवाली आस्थगित भुगतान देयता, शून्य ब्याज दर पर है।

**घ** संबद्ध पक्षकारों अर्थात् ओएनजीसी से लिए गए सावधि ऋण पर ब्याज दर है ₹ 46,285.70 दशलक्ष पर 10.70%(एसबीएआर घटाएँ 3.85%)।

**ङ** ₹ 9,391.54 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 5,778.60 दशलक्ष), 1 वर्ष के अंदर चुकाने होंगे और इसे, टिप्पणी 10 के तहत ''दीर्घावधि ऋणों की चालू परिपक्व रकम '' के रूप में दर्शाया गया है।

## टिप्पणी 5 आस्थगित कर देयता (निवल)

**31 मार्च 2014 को कंपनी के पास ₹ 4,702.69 दशलक्ष की आस्थगित कर देयताएँ रहीं (पिछले वर्ष ₹ 7,343.28 दशलक्ष)। आस्थगित कर देयताओं का विश्लेषित विवरण इस प्रकार है:**

| | | | यथा 31मार्च 2014 ₹ दशलक्ष में | यथा 31मार्च 2013 ₹ दशलक्ष में |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | **आस्थगित कर देयताएं** | | | |
| | आस्तियों पर डब्ल्यूडीवी अंतर | | 7,759.67 | 7,343.28 |
| | | **कुल 5.1** | **7,759.67** | **7,343.28** |
| 5.2 | **आस्थगित कर आस्तियाँ (देखें टिप्पणी 31.09)** | | | |
| | 43ख अस्वीकृतियाँ | | 11.38 | – |
| | आगे ले जाया गया मूल्यह्रास | | 2,711.79 | – |
| | अन्य | | 333.81 | – |
| | | कुल 5.2 | **3,056.98** | **–** |
| | **निवल आस्थगित कर देयताएं (5.1–5.2)** | | **4,702.69** | **7,343.28** |

## टिप्पणी 6 अन्य दीर्घावधि सावधि देयताएँ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **अन्य देयताएं** | | 19.03 | 0.31 |
| | | **कुल** | **19.03** | **0.31** |

## टिप्पणी 7 दीर्घावधि प्रावधान

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **कर्मचारियों के लिए लाभ** | | | |
| | छुट्टी नकदीकरण (अनिधिक)(देखें टिप्पणी 31.12.01) | | 374.03 | 359.01 |
| | सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा और अन्य लाभ (अनिधिक)(देखें टिप्पणी 31.12.01) | | 92.92 | 92.42 |
| | | **कुल** | **466.95** | **451.43** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| टिप्पणी 8 | अल्पावधि उधार | | |
| 8.1 | **जमानती** | | |
| | **बैंकों से अल्पावधि ऋण : कार्यकारी पूंजी** | – | 41.83 |
| | (कंपनी के वर्तमान और भावी, कच्चा माल, तैयार माल, प्रक्रियागत माल, भंडार, अतिरिक्त पुरजों, घटकों के स्टॉक, बही ऋणों, प्राप्य बकाया राशियों, दावों, बिलों, ठेकों, वचनबद्धता, प्रतिभूतियों के दृष्टिबंधक के रूप में और आगे वर्तमान और भावी, दोनों प्रकार की कंपनी की अचल और चल संपत्तियों के प्रति द्वितीय समरूप के आधार पर जमानत दी गई है। | | |
| | | – | 41.83 |
| 8.2 | **गैर–जमानती – बाह्य उधार** | | |
| | बैंकों से अल्पावधि ऋण : खरीदार की साख | – | 11,948.20 |
| | | – | **11,948.20** |
| | **कुल** | – | **18,990.03** |
| टिप्पणी 9 | व्यापार देयताएं | | |
| | **व्यापार देयताएं** | | |
| | सूक्ष्म और लघु प्रतिष्ठानों के प्रति बकाया देयताएं | 0.70 | – |
| | सूक्ष्म और लघु प्रतिष्ठानों से भिन्न प्रतिष्ठानों के प्रति बकाया देयताएं (देखें टिप्पणी क) | 210,311.01 | 109,607.64 |
| | **कुल** | **210,311.71** | **109,607.64** |
| टिप्पणी | क. मूल कंपनी – ओएनजीसी की गारंटी द्वारा समर्थित ₹ 7,353.15 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 11,246.24 दशलक्ष)शामिल है। | | |

| | | | **यथा 31 मार्च, 2014 ₹ दशलक्ष में** | **यथा 31 मार्च 2013 ₹ दशलक्ष में** |
|---|---|---|---|---|
| टिप्पणी 10 | अन्य चालू देयताएं | | | |
| | दीर्घावधि कर्ज (गैर–जमानती)की चालू परिपक्वता (देखें टिप्पणी 4.2.1, 4.2.2 और 4.2.3) | | 9,391.54 | 5,778.60 |
| | अदत्त लाभांश (देखें टिप्पणी क) | | 140.92 | 156.37 |
| | परिपक्व डिबेंचरों पर ब्याज (देखें टिप्पणी ख) | | 0.19 | 0.19 |
| | आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/अन्य से प्राप्त जमाराशियां | | 112.28 | 103.48 |
| | उपदान के लिए देयता (देखें टिप्पणी ग) | | 18.22 | 95.14 |
| | पूँजीगत वस्तुओं के प्रति देय रकम (देखें टिप्पणी 31.24) | | 4,698.74 | 3,643.75 |
| | सांविधिक भुगतान के लिए देयता | | 839.66 | 602.99 |
| | कर्मचारियों के लिए देयता | | 226.58 | 74.08 |
| | ब्याज जो उपचित है परंतु देय नहीं है | | 334.72 | 116.94 |
| | वाणिज्यिक कर से धनवापसी मिलने पर तेल कंपनियों को देय राशियां | | 2,884.48 | 2,884.48 |
| | अन्य देय राशियां | | 590.30 | 674.90 |
| | | **कुल** | **19,237.63** | **14,130.92** |

**टिप्पणियां**

क निवेशकर्ता शिक्षा संरक्षण निधि में भुगतान करने के लिए कोई रकम देय नहीं है।

ख विवादग्रस्त दावों के प्रति ब्याज के लिए प्रावधान

ग उपदान न्यास से प्राप्य/देय निवल रकम

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **टिप्पणी 11** | **अल्पावधि प्रावधान** | | | |
| 11.1 | **कर्मचारियों के लिए लाभ** | | | |
| | छुट्टी के लिए (गैर निधिक)(देखें टिप्पणी 31.12.01) | | 46.30 | 33.31 |
| | सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा और अन्य लाभ (गैर निधिक)(देखें टिप्पणी 31.12.01) | | 7.91 | 3.67 |
| 11.2 | **अन्य** | | | |
| | अन्य (देखें टिप्पणी क) | | 1,160.14 | 966.78 |
| | | **कुल** | **1,214.35** | **1,003.76** |

टिप्पणियां

क कंपनी ने, काफी हद तक आकलन करने के बाद 31 माार्च 2014 और 31 मार्च 2013 को स्टॉक में पडी रहीं वस्तुएं खाली करने पर देय उत्पाद शुल्क के लिए क्रमशः ₹ 1,155.18 दशलक्ष और ₹ 961.75 दशलक्ष की देयता स्वीकार की थी।

टिप्पणी 12 **अचल आस्तियां**

| | अचल आस्तियां | देखें टिप्पणियां | उपयोगी आयु, वर्षों में | कुल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास / परिशोधन | | | | निवल ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | यथा 31 मार्च 2013 | वर्ष के दौरान परिवर्तधन/ समायोजन | वर्ष के दौरान कटौतियां / समायोजन | यथा 31मार्च 2014 | यथा 01 अप्रैल 2013 | वर्ष के लिए लिए प्रभार | वर्ष के दौरान कटौतियां / समायोजन | यथा 31 मार्च 2014 | यथा 31 मार्च 2014 | यथा 31मार्च 2013 |
| | | | | (रु.दशलक्ष ) | (रु. दशलक्ष ) | (रु. दशलक्ष ) | (रु. दशलक्ष ) | (रु. दशलक्ष ) | (रु. दशलक्ष ) | रु. दशलक्ष ) | (रु. दशलक्ष ) | (रु. दशलक्ष ) | (रु. दशलक्ष ) |
| 12.1 | **गोचर आस्तियां** | | | | | | | | | | | | |
| | भूमि : पूर्ण स्वामित्ववाली | | | 17.65 | | | 17.65 | | | | | 17.65 | 17.65 |
| | पट्टे पर दी गई भूमि | क, ख | | 261.48 | | 3.78 | 257.70 | 0.61 | 0.08 | | 0.69 | 257.01 | 260.87 |
| | भवन | | | 3,713.69 | 51.90 | 0.66 | 3,764.93 | 802.49 | 78.09 | 0.08 | 880.50 | 2,884.43 | 2,911.20 |
| | संयंत्र और उपकरण | ग, घ | | 108,954.18 | 9,131.09 | 23.64 | 118,061.63 | 54,512.59 | 6,947.17 | 19.84 | 61,439.92 | 56,621.71 | 54,441.59 |
| | फर्नीचर और जुड़नार | | | 145.71 | 22.89 | 1.65 | 166.95 | 75.84 | 9.74 | 1.15 | 84.43 | 82.52 | 69.87 |
| | वाहन | | | 107.34 | | 51.02 | 56.32 | 40.00 | 7.48 | 23.97 | 23.51 | 32.81 | 67.34 |
| | **कुल गोचर आस्तिया** | | | **113,200.05** | **9,205.88** | **80.75** | **122,325.18** | **55,431.53** | **7,042.56** | **45.04** | **62,429.05** | **59,896.13** | **57,768.52** |
| 12.2 | **अगोचर आस्तिया** | | | | | | | | | | | - | - |
| | सुनाम | ङ | 10 | 20.13 | | | 20.13 | 12.07 | 2.01 | | 14.08 | 6.05 | 8.06 |
| | कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | | 10 | 4.47 | | | 4.47 | 2.34 | 0.45 | | 2.79 | 1.68 | 2.13 |
| | कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | | 3 | 95.28 | | | 95.28 | 68.74 | 16.64 | | 85.38 | 9.90 | 26.54 |
| | कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | | 7 | 0.81 | | | 0.81 | 0.45 | 0.12 | | 0.57 | 0.24 | 0.36 |
| | कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | | 4 | 7.39 | | | 7.39 | 6.68 | 0.50 | | 7.18 | 0.21 | 0.71 |
| | लाइसेंस और विशेष विक्रय अधिकार | | 3 | 56.50 | | | 56.50 | 56.50 | | | 56.50 | | |
| | **कुल अगोचर आस्तियाँ** | | | **184.58** | | | **184.58** | **146.78** | **19.72** | | **166.50** | **18.08** | **37.80** |
| | **कुल** | | | **113,384.63** | **9,205.88** | **80.75** | **122,509.76** | **55,578.31** | **7,062.28** | **45.04** | **62,595.55** | **59,914.21** | **57,806.32** |
| | **पिछले वर्ष** | | | **90,129.81** | **23,391.67** | **136.85** | **113,384.63** | **49,613.47** | **6,042.48** | **77.64** | **55,578.31** | **57,806.32** | **40,516.34** |
| 12.3 | **प्रगति पर पूंजीगत कार्य** | च | | | | | | | | | | **85,515.47** | **75,544.81** |

टिप्पणियां

क इसमें शामिल है ₹ 249.66 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 253.74 दशलक्ष)जिसका इस कारण परिशोधन नहीं किया गया है कि पट्टा अवधि समाप्त होने पर अंत में स्वामित्व का हस्तांतरण कंपनी के नाम हो जाएगा जिसमें से ₹ 7.75 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 11.52 दशलक्ष)सक्षम प्राधिकारी को अभ्यर्पित करने की प्रक्रिया चल रही है। निवल ब्लॉक ₹ 7.75 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 11.52 दशलक्ष)

ख इसमें शामिल है भूमि मूल्य ₹ 36.56 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 40.34 दशलक्ष)जो कंपनी के कब्जे मे है जिनके संबंध में पट्टा संबंधी विलेख निष्पादित करने की औपचारिकता अभी पूरी नहीं हुई है। निवल ब्लॉक ₹ 36.56 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 40.34 दशलक्ष)

ग इसमें शामिल है रु.782.98 दशलक्ष (पिछले वर्ष रु.782.98 दशलक्ष)जो किसी दूसरी कंपनी के साथ संयुक्त रूप से स्वाधिकृत आस्ति में से कंपनी का अंश है। निवल ब्लॉक ₹ 38.04 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 79.39 दशलक्ष)

घ कार्यालय उपकरण शामिल है

ङ खरीदी गई निवल आस्तियों के बही मूल्य से अधिक कारोबार (नाइट्रोजन संयंत्र) की खरीदारी के लिए प्रतिफल दर्शाता है।

च कंपनी, उधार लागत और विनिमय अंतर का पूंजीगत प्रगति पर कार्य(सीडब्ल्यूआईपी)में पूंजीकरण करती है और 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के अंत में पूंजीकृत रकम क्रमशः ₹ 3,778.55 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 3,589.01 दशलक्ष) और ₹ 1,710.35 (₹ 56.88 दशलक्ष)रही। पूंजीकृत उधार लागत और विनिमय अंतर, विभिन्न श्रेणी की आस्तियों के स्तंभ '' वर्ष के दौरान परिवर्धन/पवरिवर्तन '' में प्रकट किया गया है। इनके आस्ति–वार ब्यौरे, अचल आस्तियों के प्रमुख शीर्षों की लागत में शामिल किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:

(₹ दशलक्ष में)

| वर्ष | 2013–14 | | 2012–13 | |
|---|---|---|---|---|
| **आस्ति की श्रेणी** | **विनिमय अंतर** | **उधार लागत** | **विनिमय अंतर** | **उधार लागत** |
| भवन | 9.43 | 1.65 | –0.04 | 14.41 |
| संयंत्र और उपकरण | 400.45 | 250.59 | –7.41 | 566.83 |
| लंबित आबंटन | 1,300.47 | 3,526.31 | –49.43 | 3,007.77 |
| **कुल** | **1,710.35** | **3,778.55** | **–56.88** | **3,589.01** |

**छ. चालू पूंजीगत कार्य (ठीक तरह से पूंजीकृत किए जाने वाले परियोजना खर्च सहित)** (₹ दशलक्ष में)

| | यथा 31 मार्च 2014 | यथा 31 मार्च 2014 | यथा 31 मार्च 2013 | यथा 31 मार्च 2013 |
|---|---|---|---|---|
| प्रगति पर पूंजीगत कार्य | | 83,351.57 | | 93,045.76 |
| ठीक तरह से पूंजीकृत किया जाने वाला परियोजना व्यय | | | | |
| वेतन, मज़दूरी और उपदान | 706.32 | | 617.15 | |
| भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति निधि में अंशदान | 89.20 | | 77.07 | |
| स्टाफ कल्याण खर्च | 0.41 | | 0.41 | |
| दर और कर | 4.05 | | 2.95 | |
| बीमा | 558.29 | | 479.59 | |
| ब्याज और वित्त लागत | 6,985.79 | | 3,681.29 | |
| विनिमय हानि (+)/(अभिलाभ) (–) | 1,277.19 | | –23.28 | |
| विविध खर्च | 1,638.61 | | 946.63 | |
| मूल्यह्रास | 12.23 | 11,272.09 | 9.79 | 5,791.60 |
| **कुल (क+ख)** | | **94,623.66** | | **98,837.36** |
| **घटाएँ: वर्ष के दौरान अचल आस्तियों में पूंजीकृत रकम** | | **9,108.19** | | **23,292.55** |
| **प्रगति पर निवल पूंजीगत कार्य** | | **85,515.47** | | **75,544.81** |

**ज. वर्ष के लिए गोचर और अगोचर आस्तियों का मूल्यह्रास/मूल्यांकन का विनियोजन इस प्रकार किया गया है:**

| क्रम सं. | विवरण | | ₹ दशलक्ष में |
|---|---|---|---|
| i | लाभ–हानि लेखा में प्रभारित | 7,064.17 | 6,044.10 |
| | घटाएं: बिक्री के लिए रखी गई अचल आस्तियों के रूप में लाभ–हानि लेखा में प्रभारित | 0.31 | 3.38 |
| ii | निर्माण अवधि के दौरान व्यय में अंतरित (निवल) | 2.44 | 1.76 |
| iii | पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन(निवल) | –4.02 | – |
| | **कुल** | **7,062.28** | **6,042.48** |

i **इस्तेमाल न की जाती रही और बिक्री के लिए रखी गई आस्तियों को अन्य चालू आस्तियों के अधीन दर्शाया गया है।**

टिप्पणी 13 गैर–चालू निवेश

| | यथा 31मार्च 2014 (₹ दशलक्ष ) | यथा 31मार्च 2013 (₹ दशलक्ष ) |
|---|---|---|
| **व्यापार निवेश (दीर्घावधि निवेश)** | | |
| **इक्विटी लिखतों में निवेश : लागत पर कोट न किए गए** | | |
| शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्वीसस लिमिटेड (पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक रु.10 के 1,50,00,000 इक्विटी शेयर) (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹ 10 के) (देखें टिप्पणी क) | 150.00 | 150.00 |
| ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लि. (पूर्णत: प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 1,500 इक्विटी शेयर) (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹10 के) (देखें टिप्पणी ख) | 0.02 | 0.02 |
| **कुल** | **150.02** | **150.02** |

टिप्पणियां

| | | |
|---|---|---|
| क | शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्वीसस लिमिटेड | संयुक्त उद्यम |
| ख | ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लि. | सहयोगी |
| ग | कोट न किए गए लिखतों का कुल मूल्य | ₹ 150.02 दशलक्ष |

## टिप्पणी 14 दीर्घावधि ऋण व अग्रिम

**(गैर जमानती और शोध्य समझे गए, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)**

| | | यथा 31मार्च 2014 | | यथा 31मार्च 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ₹ दशलक्ष में | ₹ दशलक्ष में | ₹ दशलक्ष में | ₹ दशलक्ष में |
| 14.1 | **संबद्ध पक्षकारों को** | | | | |
| | **इक्विटी शेयर के प्रति अग्रिम** | | | | |
| | ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लि. | 599.99 | | 599.99 | |
| | मंगलम् रीटेल सर्वीसस लिमिटेड | 0.50 | 600.49 | 0.50 | 600.49 |
| | **पूंजीगत अग्रिम** | 131.50 | 131.50 | | 131.50 |
| | मंगलूर एसईज़ड् लिमिटेड | | | | |
| 14.2 | **अन्य** | | | | |
| | **पूंजीगत अग्रिम** | 1,039.32 | | 2,431.42 | |
| | गैर जमानती, संदिग्ध समझे गए | 3.40 | | 3.40 | |
| | घटाएँ: संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान | 3.40 | 1,039.32 | 3.40 | 2,431.42 |
| | **कर्मचारियों को अग्रिम (देखें टिप्पणी क)** | | 236.09 | | 195.60 |
| | **सीमा शुल्क, पोर्ट आदि में जमाराशि** | | 0.01 | | 0.01 |
| | **प्रदत्त आय कर (निवल प्रावधान)** | | 254.87 | | 1,016.77 |
| | **दूसरों के पास रखी गई जमाराशियां** | | 474.29 | | 455.73 |
| | **कुल** | | **2,736.57** | | **4,831.52** |

टिप्पणियां

क ऐसे ऋण सहित जिनकी चुकौती अनूसूची 7 वर्ष से अधिक हो।
ऊपर उल्लिखित कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम में शामिल है:

| | यथा 31मार्च 2014 ₹ दशलक्ष में | यथा 31मार्च 2013 ₹ दशलक्ष में |
|---|---|---|
| निदेशक | – | 1.09 |
| कंपनी के अन्य अधिकारी | 0.30 | 0.59 |
| **कुल** | **0.30** | **1.68** |

## टिप्पणी 15 अन्य गैर चालू आस्तियां

| | | |
|---|---|---|
| कर्मचारी ऋण योजना पर उपचित ब्याज | 33.26 | 25.61 |
| विवाद के अधीन प्रदत्त आय कर | 2,661.58 | 948.74 |
| **कुल** | **2,694.84** | **974.35** |

## टिप्पणी 16 स्टॉक

| | यथा 31मार्च 2014 | | यथा 31मार्च 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| | ₹ दशलक्ष में | ₹ दशलक्ष में | ₹ दशलक्ष में | ₹ दशलक्ष में |
| कच्चा माल | 27,133.05 | | 7,257.03 | |
| मार्गस्थ कच्चा माल | 15,486.42 | 42,619.47 | 25,521.18 | 32,778.21 |
| प्रक्रियागत स्टॉक | | 4,661.66 | | 2,351.30 |
| तैयार वस्तुएं | 35,129.97 | | 30,699.58 | |
| घटाएँ: स्टॉक में हुई हानि के लिए प्रावधान | 5.91 | 35,124.06 | 5.91 | 30,693.67 |
| भंडार और अतिरिक्त पुर्जे | 2,005.19 | | 1,246.15 | |
| मार्गस्थ भंडार और अतिरिक्त पुर्जे | 164.71 | | 168.76 | |
| घटाएँ: अक्रियाशील/रुके हुए स्टॉक के लिए प्रावधान | 85.48 | 2,084.42 | 85.48 | 1,329.43 |
| **कुल** | | **84,489.61** | | **67,152.61** |

## टिप्पणी 17 प्राप्य व्यापारी राशियाँ

| | यथा 31.03.2014 (₹ दशलक्ष) | यथा 31.03.2013 (₹ दशलक्ष) |
|---|---|---|
| **व्यापार संबंधी प्राप्य राशियाँ (जमानत रहित)** | | |
| छह महीने से कम अवधि में देय | | |
| शोध्य माने गए (देखें टिप्पणी क) | 44,811.45 | 39,697.11 |
| संदिग्ध माने गए | 120.23 | 48.70 |
| घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | 120.23 | 48.70 |
| | **44,811.45** | **39,697.11** |

| | | |
|---|---|---|
| छह महीने से अधिक अवधि में देय | | |
| शोध्य माने गए | – | 29.86 |
| संदिग्ध माने गए | 758.72 | 665.73 |
| घटाएँ: संदिग्ध त्रणों के लिए प्रावधान | 758.72 | 665.73 |
| | – | 29.86 |
| **कुल** | **44,811.45** | **39,726.97** |

टिप्पणी क. उक्त रकम में शामिल है, ₹ 733.78 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 963.31 दशलक्ष)जिसके लिए बैंक गारंटी दी गई है।

## टिप्पणी 18 नकदी और बैंक शेष

| | | यथा 31मार्च 2014 | | यथा 31मार्च 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ₹ दशलक्ष में | रु. दशलक्ष में | ₹ दशलक्ष में | ₹ दशलक्ष में |
| 18.1 | **नकद और नकदी समतुल्य** | | | | |
| | **बैंकों में शेषराशियां** | | | | |
| | चालू खाते | 10.96 | | 195.89 | |
| | जमा खाते : 3 महीने तक की परिपक्वता अवधि वाले | 99,572.25 | 99,583.21 | 14,683.30 | 14,879.19 |
| | हाथ में नकद (अग्रदाय सहित) व सोने के सिक्के (देखें टिप्पणी क) | | 1.53 | | 0.73 |
| 18.2 | **अन्य बैंक शेषराशियां** | | | | |
| | जमा खाते : 3 से 12 महीने तक की परिपक्वता अवधि | 6,974.20 | | 1,000.00 | |
| | डिबेंचर खाते पर अदत्त ब्याज | 0.19 | | 0.19 | |
| | अदत्त लाभांश खाता | 140.91 | | 156.38 | |
| | कर्मचारी हितकारी निधि | 6.43 | | 5.62 | |
| | बयाना के तौर पर सांविधिक प्राधिकारियों के पास जमाराशि | 16.82 | 7,138.55 | 16.44 | 1,178.63 |
| | | | **106,723.29** | | **16,058.55** |

टिप्पणियां

₹ 0.59 दशलक्ष की कीमत के सोने के सिक्के शामिल हैं (पिछले वर्ष ₹ 0.34 दशलक्ष)

## टिप्पणी 19 अल्पावधि ऋण व अग्रिम

**(गैर जमानती और शोध्य समझे गए, जब तकअन्यथा उल्लेख न किया गया हो)**

| | | यथा मार्च 2014 | | यथा मार्च 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ₹ दशलक्ष में | ₹ दशलक्ष में | ₹ दशलक्ष में | ₹ दशलक्ष में |
| 19.1 | **संबद्ध पक्षकारों को** | | | | |
| | ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लि. | 14.53 | | 12.45 | 14.53 |
| | मंगलूर एसईज़ड् लिमिटेड | 1.17 | | 2.06 | 1.17 |
| | पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड | 6.59 | 22.29 | 5.83 | 6.59 |
| 19.2 | **दूसरे पक्षकारों को** | | | | |
| | **सीमा शुल्क, पोर्ट ट्रस्ट आदि के पास शेषराशि** | | 3,220.37 | | 3,032.34 |
| | **ग्राहक के पास प्रतिभूति जमाराशि** | | | | |
| | संदिग्ध माने गए | 7.52 | | 7.52 | |
| | घटाएँ: संदिग्ध जमाराशियों के लिए प्रावधान | 7.52 | – | 7.52 | – |
| | **कर्मचारियों को अग्रिम** | 34.86 | | 25.98 | |
| | घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान | 0.81 | 34.05 | 0.81 | 25.17 |
| | **अन्य जमाराशियां (देखें टिप्पणी क)** | | 3,954.65 | | 1,538.72 |
| | **कुल** | | **7,231.36** | | **4,616.57** |

क.

इसमें शामिल है : सार्वजनिक उपक्रमों में अंतर कंपनी जमाराशि के रूप में ₹ 2,367.70 दशलक्ष की रकम (पिछले वर्ष कुछ नहीं)

ऊपर उल्लिखित कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों में शामिल है:

| | यथा 31 मार्च 2014 | यथा 31 मार्च 2013 |
|---|---|---|
| | ₹ दशलक्ष में | ₹ दशलक्ष में |
| निदेशक | 1.13 | – |
| कंपनी के अन्य अधिकारी | 0.04 | 0.13 |
| **कुल** | **1.17** | **0.13** |

**टिप्पणी 20 अन्य चालू आस्तियां**

| | | |
|---|---|---|
| **अन्य चालू आस्तियां** | | |
| बैंक जमाराशियों पर उपचित परंतु देय न रहा ब्याज | 831.92 | 72.45 |
| बीमा कंपनी से प्राप्य दावा | 0.05 | 0.05 |
| बिक्री के लिए रखी गईं अचल आस्तियाँ (देखें टिप्पणी क,ख) | 77.96 | 77.96 |
| **कुल** | 909.93 | 150.46 |

टिप्पणी

क. इसमें शामिल हैं पूर्ण रूप से मूल्यह्रासित संयंत्र व मशीनें तथा अन्य अवक्षयी आस्तियां और लागत पर मुक्त भूमि।

ख. बिक्री के रखी गईं अचल आस्तियों का निम्नतर लागत पर अथवा अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकन किया गया है।

**टिप्पणी 21 परिचालन से राजस्व**

| | | 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| | | ₹ दशलक्ष में | ₹ दशलक्ष में |
| 21.1 | **उत्पादों की बिक्री** | 752,261.15 | 688,335.61 |
| 21.2 | **अन्य प्रचालन राजस्व** | | |
| | स्क्रैप की बिक्री | 34.15 | 27.38 |
| | निर्णीत हर्जाने | 8.81 | 14.16 |
| | **कुल** | 42.96 | 41.54 |
| | **कुल** | 752,304.11 | 688,377.15 |

**टिप्पणी 22 अन्य आय**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22.1 | **ब्याज आय** | | |
| | बैंक जमाराशि पर (स्रोत पर काटा गया कर ₹ 275.95 दशलक्ष) (पिछले वर्ष ₹ 88.38 दशलक्ष) | 1,789.36 | 533.21 |
| | अंतर कार्पोरेट जमाराशि पर (स्रोत पर काटा गया कर ₹ 32.42 दशलक्ष) (पिछले वर्ष ₹ 4.07 दशलक्ष) | 331.70 | 40.68 |
| | प्रत्यक्ष विपणन ग्राहक से | 70.55 | 77.66 |
| | ठेकेदार संग्रहण अग्रिम पर | 44.54 | 98.42 |
| | कर्मचारी ऋण योजना पर | 13.41 | 10.49 |
| | तेल बांडों पर | – | 8.34 |
| | अन्य पर | 2.53 | 0.90 |
| | **कुल** | 2,252.09 | 769.70 |
| 22.2 | **लाभांश आय** | | |
| | यूटीआई निवेश पर प्राप्त लाभांश (अल्पावधि निवेश) | 821.70 | 120.87 |
| | शेल्ल निवेश पर प्राप्त लाभांश (दीर्घावधि निवेश) | 12.00 | 15.00 |
| 22.3 | **विविध आय** | | |
| | प्रतिलेखित देयता जिसकी अब जरूरत नहीं है | 36.84 | 140.39 |
| | प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान | 14.76 | 16.04 |
| | खुदरा केंद्र से आय | 0.96 | 0.35 |
| | टेंडर फॉर्म बिक्री | 0.39 | 0.52 |
| | किराया प्रभार | 3.67 | 4.61 |
| | कर्मचारियों से वसूली | 5.52 | 4.85 |
| | विविध प्राप्तियां | 53.78 | 46.49 |
| | **कुल** | 115.92 | 213.25 |
| | **कुल** | 3,201.71 | 1,118.82 |

**टिप्पणी 23 उपभुक्त सामग्री की लागत**

| | | |
|---|---|---|
| **कच्चा माल: क्रूड तेल** | | |
| आयातित | 640,281.06 | 574,921.62 |
| देशी | 65,214.41 | 77,026.98 |
| **सीआरएमबी मॉडिफायर लागत** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | देशी | | 29.27 | 52.79 |
| | **व्यापारी वस्तुएं** | | | |
| | देशी | | 0.43 | 0.43 |
| | | **कुल** | **708,525.17** | **654,001.82** |

## टिप्पणी 24 स्टॉक में वृद्धि (–)/ (अवनति)

| | | समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2014 ₹ दशलक्ष में | समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2013 ₹ दशलक्ष में |
|---|---|---|---|
| 24.1 | **अंतिम स्टॉक:** | | |
| | तैयार वस्तुएं | 35,129.12 | 30,699.58 |
| | प्रक्रियागत स्टॉक | 4,661.66 | 2,351.30 |
| | **कुल अंतिम स्टॉक** | **39,791.63** | **33,050.88** |
| 24.2 | **प्रारंभिक स्टॉक:** | | |
| | तैयार वस्तुएं | 30,699.58 | 19,927.90 |
| | प्रक्रियागत स्टॉक | 2,351.30 | 1,961.45 |
| | **कुल प्रारंभिक स्टॉक** | **33,050.88** | **21,889.35** |
| | **स्टॉक में वृद्धि (–)/ (अवनति)** | **–6,740.75** | **–11,161.53** |

## टिप्पणी 25 कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय

| | | |
|---|---|---|
| वेतन और मजदूरी | 1,748.16 | 1,327.33 |
| भविष्य और अन्य निधियों के प्रति अंशदान | 196.99 | 165.95 |
| स्टाफ कल्याण खर्च | 84.68 | 75.83 |
| छुट्टी के लिए प्रावधान | 94.98 | 155.72 |
| उपदान के लिए प्रावधान | 19.68 | 95.06 |
| सेवानिवृत्ति उपरांत, चिकित्सा और दीर्घावधि लाभ के लिए प्रावधान | 10.25 | 25.71 |
| **कुल** | **2,154.74** | **1,845.60** |

## टिप्पणी 26 वित्त लागत

| | | |
|---|---|---|
| ब्याज खर्च | 2,345.88 | 2,179.07 |
| अन्य उधार लागत | 64.48 | 315.45 |
| विदेशी मुद्रा लेन-देन और रूपांतरण पर निवल (अभिलाभ)/हानि | | |
| विनिमय (अभिलाभ)/हानि(निवल) | 804.05 | 791.01 |
| **कुल** | **3,214.41** | **3,285.53** |

## टिप्पणी 27 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

| | | |
|---|---|---|
| गोचर आस्तियों पर | 7,044.83 | 6,008.89 |
| अगोचर आस्तियों पर | 19.34 | 35.21 |
| **कुल** | **7,064.17** | **6,044.10** |

## टिप्पणी 28 अन्य व्यय

| | | समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2014 ₹ दशलक्ष में | | समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2013 ₹ दशलक्ष में | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.1 | **अन्य व्यय** | | | | |
| | बिजली और ईंधन | 39,363.43 | | 36,195.98 | |
| | घटाएँ: स्वयं खपत | 39,038.64 | 324.79 | 35,929.32 | 266.66 |
| | मरम्मत और रख-रखाव | | | | |
| | संयंत्र और मशीनें | 975.92 | | 674.52 | |
| | भवन | 11.27 | | 37.55 | |
| | अन्य | 212.94 | 1,200.13 | 217.92 | 929.99 |
| | खपाए गए भंडार, अतिरिक्त पुर्जे और रासायनिक पदार्थ | 700.03 | | 990.89 | |
| | घटाएँ: अन्य शीर्षों के अधीन दर्शाए गए | 512.40 | | 305.63 | |
| | घटाएँ: लिए गए अग्रिम लाइसेंस का लाभ | 202.51 | –14.88 | – | 685.26 |
| | खपाई गई पैकिंग सामग्री | | 56.54 | | 76.71 |
| | किराया | | 65.99 | | 54.09 |
| | बीमा | | 179.06 | | 136.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | दर और कर | | 776.12 | | 520.82 |
| | स्टॉक (निवल)पर उत्पाद शुल्क | | 199.63 | | 217.99 |
| | विनिमय दर में घट-बढ से हानि | | 19.03 | | 5,364.91 |
| | निदेशको के बैठक शुल्क | | 0.98 | | 0.90 |
| | अचल आस्तियों की बिक्री से हानि | | 16.12 | | 28.79 |
| | लेखा परीक्षकों को भुगतान | | | | |
| | लेखा परीक्षा शुल्क | 1.70 | | 1.90 | |
| | कराधान संबंधी मामलों के लिए | 0.55 | | 0.53 | |
| | प्रमाणीकरण शुल्क के लिए | 1.20 | | 0.92 | |
| | खर्च की प्रतिपूर्ति | 1.05 | 4.50 | 1.17 | 4.52 |
| | विविध खर्च | | 1,060.71 | | 947.81 |
| | **कुल** | | **3,888.72** | | **9,234.45** |

**28.2 प्रावधान**

| | समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2014 ₹ दशलक्ष में | समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2013 ₹ दशलक्ष में |
|---|---|---|
| संदिग्ध ऋणों के लिए | 164.52 | 84.48 |
| संदिग्ध अग्रिम/जमाराशियों के लिए | – | 7.52 |
| **कुल** | **164.52** | **92.00** |

**28.3 बट्टे खाते लिखे गए**

| | | |
|---|---|---|
| संदिग्ध अग्रिमों के लिए | 0.02 | 0.42 |
| **कुल** | **0.02** | **0.42** |

**28.4 अवधि पूर्व मद (निवल)**

| | | |
|---|---|---|
| मूल्यह्रास (निवल) | -4.02 | – |
| खपाई गई सामग्री की लागत | 73.86 | – |
| मरम्मत और रख-रखाव | -4.81 | – |
| कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च | 0.62 | 2.39 |
| विविध खर्च | 10.16 | -72.03 |
| बिक्री | – | -25.49 |
| अन्य | 24.71 | 41.26 |
| **कुल** | **100.52** | **-53.87** |
| **सकल योग (28.1+28.2+28.3+28.4)** | **4,153.78** | **9,273.00** |

**टिप्पणी 29 अपवादात्मक मद (देखें टिप्पणी 31.08)**

| | | |
|---|---|---|
| खपाई गई सामग्रियों की लागत | -1,118.85 | -325.04 |
| विविध खर्च | – | -119.50 |
| **कुल** | **-1,118.85** | **-444.54** |

**टिप्पणी 30 प्रति इक्विटी शेअर अर्जन**

| | समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2014 | समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2013 |
|---|---|---|
| **अंश : निवल लाभ (₹ दशलक्ष में)** | | |
| मूल | 6,011.82 | -7,569.11 |
| आंशिक | 6,011.82 | -7,569.11 |
| **डिनॉमिनेटर : वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की** | | |
| मूल | 1,752,598,777 | 1,752,598,777 |
| आंशिक | 1,752,598,777 | 1,770,157,289 |
| **प्रति शेयर नाम मात्र मूल्य** | | |
| **प्रति शेयर अर्जन (₹ में)** | | |
| मूल (₹) | 3.43 | -4.32 |
| आंशिक (₹) | 3.43 | – |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **प्रति शेयर मूल और आंशिक अर्जन का समाधान** | | | |
| निवल लाभ (₹ दशलक्ष में) | | 6,011.82 | –7,569.11 |
| जोड़ें : ऋणों के आंशिक भाग पर ब्याज (निवल कर) (₹ दशलक्ष में) | | – | – |
| | **कुल** | **6,011.82** | **–7,569.11** |
| इक्विटी शेयरों की औसत संख्या | | 1,752,598,777 | 1,752,598,777 |
| उन ऋणों के संबंध में जिनका रूपांतरण खंड हो, शेयरों की संख्या | | – | 17,558,512 |
| प्रति शेयर आंशिक अर्जन के लिए इक्विटी शेयरों की औसत संख्या | | 1,752,598,777 | 1,770,157,289 |

टिप्पणियां: 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए आंशिक ईपीएस नहीं दिया गया है क्योंकि संभावित इक्विटी शेयर, एंटी डायल्यूटीव हैं

**टिप्पणी : 31 अन्य प्रकटन**

31.01 अगोचर आस्तियां – अनुसंधान और विकास (एएस–26)

वर्ष के दौरान, कंपनी ने, अपनी अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों के अंग के तौर पर, बिटूमेन पायस सूत्रीकरण हाइड्राइड जनरेटर के साथ आयन क्रोमैटोग्रैफी और एटॉमिक अब्सॉर्पशन स्प्रेट्रोमीटर का उपयोग करते हुए विश्लेषणात्मक पद्धति स्थापित करने, टू बॉइलिंग पाइंट उपकरण का उपयोग करते हुए क्रूड परीक्षण का विस्तृत विश्लेषण करने, क्रूड सुसंगति अध्ययन, उत्प्रेरक का भौतिक और रासायनिक विश्लेषण करने के क्षेत्र में, उत्पाद का विकास करने से संबंधित गतिविधियाँ चलाई जिस पर नीचे उल्लिखित तरीके से खर्च किया गया। ये व्यय, संबंधित स्वाभाविक व्यय शीर्ष में बुक किए जाते हैं।

**(₹ दशलक्ष में)**

| विवरण | **राजस्व व्यय** | **पूंजीगत व्यय** | **कुल** |
|---|---|---|---|
| अनुसंधान एवं विकास संबंधी व्यय | 3.83 | 5.03 | 8.86 |
| | (4.66) | (कुछ नहीं) | (4.66) |

टिप्पणियां: कोष्ठकों में दिए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

**31.02 विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव (एएस 11)**

एमसीए द्वारा जारी दिनांक 29 दिसंबर 2011 की अधिसूचना सं. जीएसआर.(914)ई का अनुसरण करते हुए, कंपनी ने 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से, दीर्घावधि विदेशी मुद्रा संबंधी मौद्रिक मदों को रिपोर्ट करने से उत्पन्न विनिमय में अंतर का समायोजन उस हद तक करने का विकल्प चुना है जहां तक उसका संबंध, आस्तियों की लागत के प्रति अवक्षयी आस्तियों का अधिग्रहण करने और आस्तियों की शेष अवधि में उक्त समायोजन का मूल्यह्रास करने से हो।

एमसीए द्वारा जारी दिनांक 9 अगस्त 2012 की अधिसूचना सं. 17/133/2008–सीएल–वी का अनुसरण करते हुए, कंपनी ने आस्तियों के निर्माण के बाद की अवधि के लिए विनिमय दर में अंतर को पूंजीकृत किया। अगर ऐसा न किया होता तो, पूंजीकृत आस्तियों से संबंधित रु. 397.36 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 3.13 दशलक्ष)की रकम का विनिमय अंतर लाभ–हानि खाते में जमा हुआ होता और 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए अचल आस्तियों की मात्रा उस हद तक कम हो जाती।

**31.03 कर्मचारियों के लिए लाभ (एएस:15)**

**31.03.01 संक्षित वर्णन: विभिन्न प्रकार की परिभाषित लाभ योजनाओं का सामान्य वर्णन इस प्रकार है:**

**क अर्जित छुट्टी संबंधी लाभ (ईएल):**

उपचय – 32 दिन प्रति वर्ष

300 दिनों तक इकट्ठा करने की इजाजत दी जाती है।

15 दिनों से अधिक संचित ईएल को सेवा में रहते समय नकदीकरण की इजाजत दी जाती है। बशर्ते कि कम से कम 5 दिन के लिए नकदीकरण किया जाए।

**ख बीमारी छुट्टी (एसएल) जिसे अब अर्ध वेतन छुट्टी में तब्दील किया गया है (एचपीएल)**

उपचय – 10 दिन प्रति वर्ष

सेवा में रहते समय नकदीकरण की इजाजत नहीं है

सेवानिवृत्त होने पर नकदीकरण किया जा सकेगा; अर्जित छुट्टी के साथ 300 दिनों तक सीमित किया गया है।

**ग उपदान :**

पूरी की गई हर एक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिनों का वेतन। इसे 5 वर्ष तक रखा जा सकेगा और भुगतान ₹ 1 दशलक्ष तक सीमिति किया गया है।

**घ लंबी सेवा का चिह्न:**

कार्य ग्रहण तारीख से सेवा में प्रत्येक मील पत्थर पार करने पर और साथ ही सेवानिवृत्त होते समय, कर्मचारियों को सोने का सिक्का उपहार स्वरूप दिया जाएगा, जब कि सोने का वजन, पूर्ण की गई सेवा पर निर्भर होगा।

**ङ सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:**

सेवानिवृत्ति के बाद, एक बारगी एकमुश्त अंशदान अदा करते पर, सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसकी/उसके आश्रित पत्नी/पति को, कंपनी के नियमों के अनुसार चिकित्सा लाभ की रक्षा प्रदान की जाएगी।

**च सेवानिवृत्ति लाभ:**

सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारी, अपने पदनाम के आधार पर कुछ सीमाओं तक , यात्रा के प्रति, सेवानिवृत्ति स्थान से नए स्थान तक अपने वैयक्तिक सामान ले जाने के लिए खर्च की प्रतिपूर्ति और व्यवस्थापन भत्ते के प्रति एक महीने का वेतन पाने के हकदार होंगे।

31.03.02 **परिभाषित अंशदान योजनाओं के प्रति किए गए नीचे उल्लिखित अंशदान को वर्ष के दौरान खर्च की तरह माना जाएगा.** **(₹ दशलक्ष में)**

| परिभाषित अंशदान योजना | 2013–14 के दौरान स्वीकृत खर्च | प्रबंधन के महत्वपूर्ण कर्मचारियों के प्रति अंशदान |
|---|---|---|
| भविष्य निधि में नियोजक का अंशदान | 123.20<br>(105.05)<br>[92.99] | 0.63<br>(0.38)<br>[0.47] |
| सेवानिवृत्ति निधि में नियोजक का अंशदान | 71.40<br>(58.73)<br>[55.07] | 0.79<br>(0.48)<br>[0.59] |

31.03.03 **रोज़गार उपरांत लाभ योजनाओं के लिए तुलन पत्र में दर्शाई गई रकम इस प्रकार है:**

| | | | | (₹ दशलक्ष में) |
|---|---|---|---|---|
| क्रम सं. | विवरण | उपदान(निधिक) : | सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (अनिधिक) | अन्य सेवानिवृत्ति लाभ(अनिधिक) |
| 1 | निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य | 448.64<br>(402.28)<br>[294.21] | - | - |
| 2 | योजना आस्ति का उचित मूल्य | 428.96<br>(307.22)<br>[261.55] | - | - |
| 3 | गैर निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य | - | 44.85<br>(43.61)<br>[35.60] | 8.52<br>(8.55)<br>[6.61] |
| 4 | अस्वीकृत गत सेवा संबंधी लागत | - | - | - |
| 5 | निवल देयता | 19.68<br>(95.06)<br>[32.66] | 44.85<br>(43.61)<br>[35.60] | 8.52<br>(8.55)<br>[6.61] |

31.03.04 **उपदान निधि की योजना आस्तियों के उचित मूल्य में शामिल की गई राशि निम्नानुसार है:**

| परिभाषित अंशदान योजना | 2013–14 | 2012–13 | 2011–12 |
|---|---|---|---|
| प्रतिष्ठान के खुद के वित्तीय लिखतों के बारे में रिपोर्ट करना | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के कब्जे में ली गई कोई संपत्ति अथवा प्रयुक्त कोई अन्य आस्तियाँ | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |

31.03.05 **अवधि के दौरान तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयता में चलन दर्शाने वाला समाधान विवरण:** **(रु. दशलक्ष में)**

| क्रम सं. | विवरण | उपदान(निधिक) | सेवानिवृत्ति उपरांत | अन्य सेवानिवृत्ति लाभ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व | 402.28<br>(294.21)<br>[254.34] | 43.61<br>(35.60)<br>[16.74] | 8.55<br>(6.61)<br>[6.04] |
| 2 | सेवा लागत | 25.21<br>(22.82)<br>[20.81] | 2.92<br>(2.10)<br>[18.36] | 0.80<br>(0.74)<br>[0.19] |
| 3 | ब्याज लागत | 33.19<br>(25.74)<br>[20.98] | 3.60<br>(3.11)<br>[1.38)] | 0.71<br>(0.58)<br>[0.50] |
| 4 | वास्तविक हानि/<br>(अभिलाभ) | -2.66<br>(70.61)<br>[8.89] | -3.17<br>(5.75)<br>[-0.65] | -1.04<br>(1.37)<br>[0.14] |
| 5 | देयता अंतरण | Nil<br>(Nil)<br>[0.36] | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | प्रदत्त लाभ | -9.37 | -2.11 | -0.50 |
| | | (-11.10) | (-2.95) | (-0.75) |
| | | [-11.18] | [-0.23] | [-0.26] |
| 7 | अंतिम परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व | 448.65 | 44.85 | 8.52 |
| | | (402.28) | (43.61) | (8.55) |
| | | [294.21] | [35.60] | [6.61] |

**31.03.06 लाभ–हानि विवरण में सम्मिलित कुल खर्च इस प्रकार हैं:**

**(₹ दशलक्ष में)**

| क्रम सं. | विवरण | उपदान(निधिक) | सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा | अन्य सेवानिवृत्ति लाभ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चालू सेवा लागत | 25.21 | 2.92 | 0.80 |
| | | (22.82) | (2.10) | (0.74) |
| | | [20.81] | [1.13] | [0.20] |
| 2 | दायित्व पर ब्याज | 33.19 | 3.60 | 0.71 |
| | | (25.74) | (3.11) | (0.58) |
| | | [20.98] | [1.38] | [0.50] |
| 3 | योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल | -26.73 | - | - |
| | | (-23.54) | | |
| | | [-16.48] | | |
| 4 | वर्ष में सम्मिलित निवल वास्तविक हानि / (अभिलाभ) | -10.60 | -3.17 | -1.04 |
| | | (69.47) | (5.75) | (1.37) |
| | | [4.82] | [-0.64] | [0.14] |
| 5 | गत सेवा लागत | - | - | - |
| | | (-) | (-) | (-) |
| | | [-] | [17.22] | [-] |
| 6 | कटौतियां और निपटान पर हानि / (अभिलाभ) | - | - | - |
| 7 | ' कर्मचारी लाभ खर्च ' में शामिल किया गया कुल योग | 21.07 | 3.35 | 0.47 |
| | | (94.49) | (10.96) | (2.69) |
| | | [30.13] | [19.09] | [0.84] |
| 8 | योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल | 34.67 | - | - |
| | | (24.69) | | |
| | | [20.55] | | |

**31.03.07 उपदान के संबंध में योजना आस्तियों के उचित मूल्य का शेषराशि समाधान विवरण:** **(₹ दशलक्ष में)**

| क्रम सं. | विवरण | 31 मार्च 2014 | 31 मार्च 2013 | 31 मार्च 2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अवधि के प्रारंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 307.22 | 261.55 | 183.09 |
| 2 | योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल | 26.73 | 23.54 | 16.48 |
| 3 | अंशदान | 96.44 | 32.08 | 68.74 |
| 4 | अन्य कंपनी से अंतरण | कुछ नहीं | 0.36 | कुछ नहीं |
| 5 | (अन्य कंपनी में अंतरण) | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 6 | (प्रदत्त लाभ) | (9.37) | (11.10) | (11.18) |
| 7 | योजना आस्तियों पर वास्तविक अभिलाभ/ (हानि) | 7.94 | 1.15 | 4.07 |
| 8 | अवधि के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 428.96 | 307.22 | 261.55 |

**31.03.08 अन्य प्रकटन** **(₹ दशलक्ष में)**

| उपदान | 31 मार्च 2014 | 31 मार्च 2013 | 31 मार्च 2012 | 31 मार्च 2011 | 31 मार्च 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| अवधि के अंत में निधिक बाध्यता का वर्तमान मूल्य | 448.64 | 402.28 | 294.21 | 254.34 | 175.15 |
| अवधि के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 428.96 | 307.22 | 261.55 | 183.09 | 144.36 |
| अधिशेष/(कमी) | 19.68 | 95.06 | 32.66 | 71.25 | 30.79 |
| योजना देयताओं से उत्पन्न हानि/(अभिलाभ)का समायोजन | 22.23 | 10.12 | 24.33 | 65.37 | 22.95 |
| योजना आस्तियों से उत्पन्न (हानि)/अभिलाभ का समायोजन | 7.94 | 1.15 | 4.07 | 0.14 | (0.67) |
| सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ | | | | | |
| अवधि के अंत में अनिधिक बाध्यता का वर्तमान मूल्य | 44.85 | 43.61 | 35.60 | 16.74 | 16.74 |
| योजना देयताओं से उत्पन्न (हानि)/अभिलाभ का समायोजन | 0.11 | 1.65 | 1.29 | (0.28) | 8.64 |
| अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | | | | | |
| अवधि के अंत में अनिधिक बाध्यता का वर्तमान मूल्य | 8.52 | 8.55 | 6.61 | 6.04 | 6.28 |
| योजना देयताओं से उत्पन्न (हानि)/अभिलाभ का समायोजन | (0.45) | 1.10 | 0.28 | 0.56 | 0.79 |

**31.03.09 तुलन पत्र की तारीख को की गई मुख्य वास्तविक कल्पनाएं (जिसे भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त किया गया है):**

| क्रम सं. | विवरण | उपदान (निधिक) | सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा | अन्य सेवानिवृत्ति लाभ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बट्टा दर | 8.75%<br>(8.25%)<br>[8.75%] | 8.75%<br>(8.25%)<br>[8.75%] | 8.75%<br>(8.25%)<br>[8.75%] |
| 2 | पूर्व योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल | 8.70%<br>(9.00%)<br>[9.00%] | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 3 | वर्तमान योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल | 8.70%<br>(8.70%)<br>[8.70%] | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 4 | मेड क्लेम पॉलिसी के प्रीमियम में वार्षिक वृद्धि | -<br>-<br>- | लागू नहीं<br>लागू नहीं<br>लागू नहीं | -<br>-<br>- |
| 5 | वेतन में वार्षिक वृद्धि | 6.00%<br>(5.00%)<br>[5.00%] | -<br>-<br>- | 6.00%<br>(5.00%)<br>[5.00%] |

**31.03.10 उपदान (निधिक) परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व – योजनागत आस्तियों की श्रेणी**

**(₹ दशलक्ष में)**

| क्रम सं. | विवरण | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | भारत सरकार के बांड | 153.48 | 154.28 | 129.96 |
| | | 35.78% | 50.21% | 49.69% |
| 2 | कंपनी बांड | 122.52 | 139.01 | 120.83 |
| | | 28.56% | 45.25% | 46.20% |
| 3 | अन्य* | 152.96 | 13.94 | 10.76 |
| | | 35.66% | 4.54% | 4.11% |
| 4 | कुल | 428.96 | 307.23 | 261.55 |
| | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

* इसमें शामिल है, बीमा कंपनियों में रु.138.12 दशलक्ष (पिछले वर्ष कुछ नहीं) का निवेश

**31.03.11 सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा खर्च की संवेदनशीलता**

**(रु. दशलक्ष में)**

| क्रम सं. | विवरण | 2012–13 | 2011–12 | 2010–11 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बट्टा दर में 1% की वृद्धि के कारण देयता में परिवर्तन | -5.62 | -5.75 | -1.71 |
| 2 | बट्टा दर में 1% की गिरावट के कारण देयता में परिवर्तन | 6.94 | 7.15 | 1.94 |
| 3 | बट्टा दर में 1% की वृद्धि के कारण सेवा लागत में परिवर्तन | - | - | -0.06 |
| 4 | बट्टा दर में 1% की गिरावट के कारण सेवा लागत में परिवर्तन | - | - | 0.12 |

टिप्पणियां: कोष्ठकों में ( ) दिए आंकड़े 2012–13 से संबंधित हैं और [ ] में दिए गए आंकड़े 2011–12 से सरोकार रखते हैं ।

**31.04 उधार लागत (एएस–16)**

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत की रकम है ₹ 3,778.55 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 3,589.01)

**31.05 खंडवार रिपोर्टिंग (एएस 17)**

**विनियोजित खंड–वार राजस्व, परिणाम और पूंजी**

(₹ दशलक्ष में)

| क्रम सं. | विवरण | समाप्त वर्ष | समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च 2014 | 31 मार्च 2013 |
| | | लेखा परीक्षित | लेखा परीक्षित |
| 1 | खंड राजस्व | | |
| | क. देशी बिक्री | 364,185.36 | 323,511.06 |
| | ख. निर्यात बिक्री | 353,919.60 | 333,404.10 |
| | प्रचालन से निवल बिक्री / आय | 718,104.96 | 656,915.16 |

(₹ दशलक्ष में)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | कर पूर्व खंड परिणाम लाभ/ (हानि)और प्रत्येक खंड से ब्याज | | |
| | क. देशी | 2,664.80 | 2,465.70 |
| | ख. निर्यात | 2,714.20 | 1,342.00 |
| | **कुल** | **5,379.00** | **3,807.70** |
| | घटाएँ: | | |
| | i. ब्याज का भुगतान | 3,214.41 | 3,285.53 |
| | ii. अनाबंटनीय निवल आय का अन्य अनाबंटनीय व्यय | –1,932.37 | 5,290.63 |
| | कर पूर्व लाभ / (हानि) और असाधारण मदें | 4,096.96 | –4,768.46 |
| | असाधारण मदें | – | – |
| | कर पूर्व लाभ / (हानि) | 4,096.96 | –4,768.46 |
| 3 | लगाई गई पूँजी (खंड आस्तियाँ–खंड देयताएँ) | | |
| | क. देशी बिक्री | 24,395.35 | 25,414.37 |
| | ख. निर्यात बिक्री | 20,416.10 | 14,312.60 |
| | **कुल** | **44,811.45** | **39,726.97** |
| | अनाबंटित | 25,877.27 | 24,949.93 |
| | लगाई गई कुल पूँजी | 70,688.72 | 64,676.90 |
| | पूंजीगत व्यय | 19,093.25 | 27,904.86 |
| | मूल्यह्रास और परिशोधन | 7,062.59 | 6,045.86 |
| | अन्य नकदेतर खर्च | –4,391.39 | 337.52 |

**31.06 संबद्ध पक्षकार के बारे में प्रकटन (एएस–18)**

**31.06.01** कंपनी, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित प्रतिष्ठान है और इसलिए एएस–18 के अनुसार अन्य राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित प्रतिष्ठानों के साथ किए गए लेन–देन प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।

**31.06.02 महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारी:**

(i) श्री पी.पी. उपाध्या, प्रबंध निदेशक का अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक का पारिश्रमिक – ₹ 36,22,630/–

(ii) श्री विष्णु अग्रवाल, निदेशक (वित्त)का अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक का पारिश्रमिक – ₹ 33,72,310/

(iii) श्री वी.जी. जोशी, निदेशक (रिफाइनरी) 04.04.2013 से, अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक का पारिश्रमिक ₹ 30,00,528/–

31.06.03 **संबद्ध पक्षकार के ब्यौरे:**

(₹ दशलक्ष में)

| विवरण | ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लि. | शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्वीसस लिमिटेड | मंगलम रीटेल सर्वीसस लिमिटेड | मंगलूर एसईज़ड् लिमिटेड | पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड |
|---|---|---|---|---|---|
| संबंध | सहयोगी | संयुक्त उद्यम | संयुक्त उद्यम | सहयोगी | सहयोगी |
| उत्पादों की बिक्री | 2,564.58 | 5,877.10 | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | (कुछ नहीं) | (4,022.24) | (कुछ नहीं) | (कुछ नहीं) | (कुछ नहीं) |
| देय परिवहन प्रभार | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | 62.57 |
| | (कुछ नहीं) | (कुछ नहीं) | (कुछ नहीं) | (कुछ नहीं) | (–39.72) |
| एमआरपीएल द्वारा व्यय की प्रतिपूर्ति | 0.91 | कुछ नहीं | कुछ नहीं | 13.59 | कुछ नहीं |
| | (1.01) | (कुछ नहीं) | (कुछ नहीं) | (1.33) | कुछ नहीं |
| एमआरपीएल द्वारा प्रदत्त वेतन और किए गए अन्य स्थापना संबंधी खर्च जिसकी प्रतिपूर्ति जेवी/सहयोगी द्वारा की जाएगी। | 1.26 | 0.33 | कुछ नहीं | कुछ नहीं | 29.18 |
| | (6.74) | (0.29) | (कुछ नहीं) | (3.53) | (24.54) |
| प्राप्त लाभांश | कुछ नहीं | 12.00 | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | (कुछ नहीं) | (15.00) | (कुछ नहीं) | (कुछ नहीं) | (कुछ नहीं) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| जेवी / सहयोगी कंपनियों में किए गए इक्विटी निवेश के प्रति | 599.99<br>(599.99) | कुछ नहीं<br>(कुछ नहीं) | 0.50<br>(0.50) | कुछ नहीं<br>(कुछ नहीं) | कुछ नहीं<br>(कुछ नहीं) |
| 31 मार्च, 2014 को प्राप्य/समायोजनीय निवल रकम | 683.47<br>(12.45) | 622.96<br>(406.91) | कुछ नहीं<br>(कुछ नहीं) | 119.37<br>(133.55) | 6.59<br>(कुछ नहीं) |
| 31 मार्च, 2014 को देय/समायोजनीय निवल रकम | कुछ नहीं<br>(कुछ नहीं) | कुछ नहीं<br>(कुछ नहीं) | कुछ नहीं<br>(कुछ नहीं) | कुछ नहीं<br>(कुछ नहीं) | कुछ नहीं<br>(1.83) |
| टिप्पणियां: कोष्ठकों में दिए आंकड़ें पिछले वर्ष से संबंधित हैं। | | | | | |

**31.07 पट्टा (एएस–19)**

**31.07.01** कंपनी ने विभिन्न परिसर, परिचालन पट्टे पर लिए हैं जिनको रद्द किया जा सकेगा।

**31.07.02** पट्टा संबंधी इन करारनामों का सामान्यत: अवधि समाप्त होने पर नवीकरण किया जाता है।

**31.07.03** उक्त परिचालन पट्टे के संबंध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष का पट्टा किराया संबंधी खर्च ₹ 37.70 दशलक्ष रहा(पिछले वर्ष ₹ 35.06 दशलक्ष)

**31.08 अपवादात्मक मदें**

कंपनी ने, 31 जुलाई 2013 को ओएनजीसी के साथ क्रूड तेल बिक्री करारनामे (सीओएसए) पर हस्ताक्षर करने पर, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी होगा, क्रूड तेल की आपूर्ति के सिलसिले में कीमत निर्धारण संबंधी शर्तों में हुए परिवर्तन के कारण अपावादात्मक मदों के तहत ₹1,118.85 दशलक्ष को आय के रूप में स्वीकार किया।

**31.09 आस्थगित कर**

कंपनी ने, वर्ष के दौरान, निवल आस्थगित कर देयता के रूप में ₹ 2,640.59 दशलक्ष की रकम (पिछले वर्ष कुछ नहीं) को स्वीकार किया।

**31.10 संयुक्त उद्यमों में हितों के बारे में वित्तीय रिपोर्टिंग (एएस–27)**

(₹ दशलक्ष में)

| **विवरण** | **शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स सर्वीसस लिमिटेड** | | **मंगलम रीटेल सर्वीसस लिमिटेड** | |
|---|---|---|---|---|
| स्वामित्ववाले हित का अनुपात | 50% | | 45% | |
| निगमन का देश | भारत | | भारत | |
| **संयुक्त उद्यम में हितबद्ध कुल रकम (एमआरपीएल का अंश)** | **2013–14 (लेखा परीक्षित)** | **2012–13 (लेखा परीक्षित)** | **2013–14 (अलेखापरीक्षित)** | **2012–13 (लेखा परीक्षित)** |
| आस्तियाँ | 1,781.37 | 1,473.89 | 0.59 | 0.61 |
| देयताएँ | 1,436.64 | 1,188.61 | 0.24 | 0.29 |
| आय | 3,312.19 | 2,478.54 | 0.05 | 0.21 |
| कर संबंधी खर्च सहित व्यय | 3,250.70 | 2,432.04 | 0.01 | 0.05 |
| आकस्मिक देयताएँ | 5.03 | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| पूंजीगत प्रतिबद्धता | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |

**31.11 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ (एएस – 29)**

**31.11.01 प्रावधान में घट–बढ़** **(₹ दशलक्ष में)**

| **वर्ष** | | **2013–14** | | **2012–13** |
|---|---|---|---|---|
| **विवरण** | **देनदार** | **अन्य** | **देनदार** | **अन्य:** |
| प्रारंभिक शेष | 714.43 | 103.12 | 629.95 | 96.55 |
| जोड़ें : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान | 164.52 | – | 84.48 | 7.52 |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान प्रतिलेखित / पुनर्वर्गीकृत / घटाए गए प्रावधान | – | – | – | 0.95 |
| अंतिम शेष | **878.95** | **103.12** | **714.43** | **103.12** |

**31.12 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ (एएस – 29)**

31.12.01 **कर्मचारियों के लिए लाभ** **(₹ दशलक्ष में)**

| **वर्ष** | | **2013–14** | | **2012–13** |
|---|---|---|---|---|
| विवरण | छुट्टी | अन्य लाभ | छुट्टी | अन्य लाभ |
| प्रारंभिक शेष | 392.32 | 96.09 | 290.19 | 76.11 |
| जोड़ें : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान | 81.60 | 10.24 | 155.72 | 25.71 |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान प्रतिलेखित / पुनर्वर्गीकृत / घटाए गए प्रावधान | 53.59 | 5.50 | 53.59 | 5.73 |
| अंतिम शेष | **420.33** | **100.83** | **392.32** | **96.09** |

| 31.12.02 | **इनके संबंध में आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया है:** |
|---|---|

क जेट्टियां बनाने के लिए न्यू मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट (एनएमपीटी) को कुछ बैंकरों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर ₹ 3,372.30 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 3,372.30 दशलक्ष)के ऋण के प्रति कंपनी द्वारा दी गई गारंटी। 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के अंत में, एनएमपीटी द्वारा की गई चुकौती का समायोजन करने के बाद बकाया रकम, ₹ शून्य रही (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

ख कंपनी के खिलाफ दावे, जिनको कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:

(₹ दशलक्ष में)

| **क्रम सं.** | **विवरण** | **यथा 31 मार्च, 2014** | **यथा 31 मार्च, 2013** |
|---|---|---|---|
| 1 | **माध्यस्थम् / अदालत में ठेकेदारों / विक्रेताओं के दावे** | | |
| क) | उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना करने वाले कुछ ठेकेदारों ने कंपनी पर दावे पेश करते हुए निर्णीत हर्जाने, बढाई गई अवधि के लिए मुआवजे के बगैर ठेका पूरा करने की अवधि बढ़ाने की मांग की है और अतिरिक्त दावे आदि किए गए हैं जिनकी अभ्यापत्ति करते हुए कंपनी ने संबंधित ठेकों के प्रावधानों के अनुसार उनको कबूल नहीं किया है। अगर निर्णय नकारात्मक निकला तो देय रकम को में पूंजीकृत किया जाएगा ₹ 334.33 दशलक्ष / राजस्व खाता ₹ 37.63 दशलक्ष (पिछले वर्ष क्रमश: ₹ 327.39 दशलक्ष और ₹ 37.63 दशलक्ष) | 371.96 | 365.02 |
| ख) | समुद्रपारीय ग्राहकों में से एक ने 2008–09 के दौरान विनिर्देश के परे कार्गो की आपूर्ति करने के सिलसिले में हर्जाने के तौर पर दावा किया है। कंपनी ने इस दावे का विवाद खडा किया है और यह मामला, माध्यस्थम् के समक्ष है। | 365.72 | कुछ नहीं |
| 2 | **ग्राहकों के दावे / प्रति दावे** | | |
| | ग्राहकों में से एक ने वक्त से पहले ठेका बंद करने पर हर्जाने के तौर पर दावा पेश किया है। कंपनी ने इसे एक अपरिहार्य घटना करारते हुए इस दावे को चुनौती दी है। अगर कंपनी का रुख ठुकराया गया तो रकम लाभ–हानि लेखा में नामे डाली जाएगी। | 85.20 | 85.20 |
| 3 | **अन्य:** | | |
| (क) | न्यू मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट (एनएमपीटी) ने कंपनी से, एमओयू के बाद की अवधि के लिए (16.10.2009 से 31 मार्च, 2014 तक बर्थ सं. 10 और 01.04.2011 से 31 मार्च, 2014 तक बर्थ सं. 11) तेल बर्थ पर कार्गो संभालने के लिए अधिसूचित घाट शुल्क अदा करने की मांग की है। कंपनी ने दावा किया है कि सहमति पत्र में, सरकारी अनुमोदन के अधीन (टैंप:महत्वपूर्ण बंदरगाहों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण) आपस में सहमत करने योग्य दर तय करने की बात कही गई है। यह मामला टैंप के सामने है। अगर टैंप द्वारा अधिनिर्णय किए जाने पर, अधिसूचित घाट दर और कंपनी द्वारा अदा की जाती रही घाट दर के बीच कोई फर्क हो तो उसे ऐसे निपटान वर्ष में, लाभ–हानि लेखा में नामे डाला जाएगा/जमा किया जाएगा। | 1,897.82 | 1,563.62 |
| (ख) | यह ऐसी संभावित देयता दर्शाता है जिसे कंपनी ने पट्टेदारों को उनके संबंधित कर निर्धारण में कोई देयता होने पर उसकी पूतिपूर्ति के प्रति उठाया हो। अगर पट्टेदार कोई दावा करें तो ऐसी रकम लाभ–हानि लेखा में नामे डाली जाएगी। | 133.67 | 133.67 |
| (ग) | भूमि और पुन:स्थापना एवं पुनर्वास कार्य के लिए प्रदत्त अग्रिम से अधिक मंगलूर एसईजड लि. का दावा। | 37.43 | 37.43 |
| (घ) | ईसीबी उधार के लिए जमानत निर्मित करने में विलंब के लिए प्रभार | कुछ नहीं | 2.26 |
| | **कुल** | **2,891.80** | **2,187.20** |

उन तमाम दावों के संबंध में जिनको कंपनी ने अस्वीकार्य करारते हुए चुनौती दी हो मध्यस्थ/अदालत से समाधान/ फैसला मिलने तक ऐसे दावे निपटाने के लिए अगर संसाधनों का बहिर्वाह हो तो उसका वस्तुनिष्ठ आकलन करना व्यवहार्य नहीं होगा।

31.12.03 **यथा मार्च, 2014 अपील में लंबित विवादित कर / शुल्क संबंधी मांगे:**

**(क)** आय करः ₹ 2,840.81 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 1,881.24 दशलक्ष)। इसके प्रति, ₹ 2,661.58 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 948.74 दशलक्ष) का अभ्यापत्ति के तहत समायोजन / भुगतान किया गया है और इसे ऋण और अग्रिम संबंधी टिप्पणी 14 के अधीन शामिल किया गया है।

**ख)** वाणिज्यिक करः ₹ 32.36 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 24.09 दशलक्ष)।

**(ग)** उत्पाद शुल्कः ₹ 296.08 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 324.08 दशलक्ष)। इसके प्रति ₹ 70.33 (पिछले वर्ष ₹ 74.95 दशलक्ष) दशलक्ष का अभ्यापत्ति के तहत भुगतान किया गया है और इसे ऋणों और अग्रिमों से संबंधित टिप्पणी–19 के तहत दर्शाया गया है।

**घ)** सीमा शुल्कः ₹ 711.68 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 762.86 दशलक्ष)

31.12.04 **पूँजी और अन्य प्रतिबद्धताएँ**

**(क)** पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए बचे हुए ठेकों की अनुमानित रकम और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम), 31 मार्च, 2014 को ₹ 12,895.10 दशलक्ष है(पिछले वर्ष ₹ 19,896.30 दशलक्ष)।

**ख)** 31 मार्च, 2014 को अन्य प्रतिबद्धताएं

मेसर्स शेल्ल ग्लोबल इंटरनैशनल सोल्यूशन द्वारा रिफाइनरी निष्पादन में सुधार करने के कार्यक्रम के निमित्त किया गया वायदा पूरा होने तक (मेसर्स शेल्ल जीआईएस)2.44 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर (पिछले वर्ष 3.25 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर)

31.13 **बीमा रक्षा**

कंपनी ने, अपनी अचल आस्तियों के मेगा रिस्क बीमा पॉलिसी के तहत बीमा रक्षा प्रदान की है जो पाबंदी संबंधी सीमाओं और यूके, ईयू और यूएन द्वारा अपवर्जन के अधीन है।

31.14 **व्यापारी देयताएं (एनओसी)**

टिप्पणी सं. 9 में निर्दिष्ट व्यापारी देयताओं में शामिल है, ₹ 79141.99 दशलक्ष जो यूएन/यूएस/ईयू द्वारा समर्थित पाबंधी के कारण प्रेषण माध्यम तय करने में नाकाम होने की वजह से समझौता होने तक नैशनल ईरानियन ऑइल कंपनी (एनआईओसी)को देय अतिदेय रकम है।

31.15 **एचपीसीएल की भूमि का उपयोग**

एमआरपीएल, अपने चरण IIII विस्तार और उन्नयन कार्य के लिए एचपीसीएल के स्वामित्ववाली 39.76 एकड की भूमि का अनंतिम रूप से कब्जा कर उपयोग कर रहा है। इस भूमि के प्रतिफल को लेकर परस्पर सहमति हुई है जो एमआरपीएल के कब्जे में भूमि की अदला–बदली के रूप में होगी। इस संबंध में अंतिम प्रलेखन निष्पादित करना बाकी है।

31.16 **तैयार उत्पादों का मूल्यांकन**

सभी संयुक्त उत्पादों का समग्र कुल मार्जिन प्रतिशत, प्रत्येक उत्पाद के अंतिम निवल वसूली योग्य मूल्य से घटाया जाता है जिससे कि प्रत्येक उत्पाद की कुल लागत का निर्धारण किया जा सके क्योंकि तैयार उत्पादों के अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन इसी लागत के आधार पर किया जाता है (देखें टिप्पणी 1 में नीति सं.9.2–'' उल्लेखनीय लेखा संबंधी नीतियों का विवरण '')।

31.17 **विदेशी मुद्रा जोखिम**

31.17.01 **ऐसे जोखिम जिनसे बचने के लिए कोई व्युत्पन्न लिखत अथवा अन्यथा (निवल) नहीं थे:** **(₹ दशलक्ष में)**

| विवरण | यथा 31.03.2014 | | यथा 31.03.2013 | |
|---|---|---|---|---|
| | विदेशी मुद्रा | समतुल्य रुपए | विदेशी मुद्रा | समतुल्य रुपए |
| आयात यूएसडी | 3,325.34 | 199,254.37 | 1,764.62 | 95,836.51 |
| लेनदार यूरो | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| लेनदार जेपीवाई | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| लेनदार यूएसडी | कुछ नहीं | कुछ नहीं | 0.01 | 0.54 |
| निर्यात यूएसडी | 341.33 | 20,452.49 | 312.30 | 16,957.89 |
| ऋण यूएसडी | 650.00 | 38,948.00 | 520.00 | 28,241.20 |

31.17.02 **सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्यः** **(₹ दशलक्ष में)**

| विवरण | 2013–2014 | 2012–2013 |
|---|---|---|
| पूंजीगत वस्तुएँ | 56.57 | 119.26 |
| कच्चा माल | 653,951.57 | 558,690.88 |
| भंडार, अतिरिक्त पुर्जे और रासायनिक पदार्थ | 856.45 | 534.18 |

31.17.03 **विदेशी मुद्रा में व्ययः** **(₹ दशलक्ष में)**

| विवरण | 2013–2014 | 2012–2013 |
|---|---|---|
| ब्याज | 1118.33 | 1665.90 |
| अन्य | 792.37 | 363.80 |

31.17.04 **विदेशी मुद्रा में अर्जन** **(₹ दशलक्ष में)**

| विवरण | 2013–2014 | 2012–2013 |
|---|---|---|
| निर्यात (एफओबी मूल्य) | 339,523.81 | 321,798.45 |

31.18 **कच्चा माल, व्यापारी माल, भंडार, अतिरिक्त पुर्जों और रासायनिक पदार्थों की खपत**

| | 2013–2014 | | 2012–2013 | |
|---|---|---|---|---|
| **विवरण** | **रु. दशलक्ष में मूल्य** | **(%)** | **रु. दशलक्ष में मूल्य** | **(%)** |
| कच्चा मालः कच्चा तेल | | | | |
| आयातित | 640,281.06 | 90.37% | 574,921.62 | 87.91% |
| देशी | 68,214.41 | 9.63% | 79,026.98 | 12.08% |
| सीआरएमबी मॉडिफायर लागत | | | | |
| आयातित | | | | |
| देशी | 29.27 | 0.004% | 52.79 | 0.01% |
| **कुल** | **708,524.74** | **100.00%** | **654,001.39** | **100.00%** |
| व्यापारी वस्तुएँ | 0.43 | | 0.43 | |
| भंडार, अतिरिक्त पुर्जे और रासायनिक पदार्थ(कुल) | | | | |
| आयातित | 140.74 | 20.10% | 544.28 | 54.93% |
| देशी | 559.29 | 79.90% | 446.61 | 45.07% |
| **कुल** | **700.03** | **100.00%** | **990.89** | **100.00%** |

31.19 **अनिवासी शेयरधारकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:**

| विवरण | 31 मार्च, 2014 | 31 मार्च, 2013 |
|---|---|---|
| अनिवासी शेयरधारकों की संख्या | 18,932 | 19,536 |
| अनिवासी शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या | 17,226,227 | 16,946,878 |
| वर्ष के दौरान अनिवासी शेयरधारकों को प्रेषित लाभांश | कुछ नहीं | ₹ 21.54 दशलक्ष |

31.20 **ऋण और अग्रिम :**

ऋणों और अग्रिमों में (टिप्पणी 14), परियोजना आयात पर सीमा शुल्क के लिए ₹ 378.71 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹378.71 दशलक्ष) और वाणिज्यिक कर ₹ 97.29 दशलक्ष(पिछले वर्ष ₹ 158.30 दशलक्ष)के धन वापसी दावे सम्मिलित हैं। वाणिज्यिक कर के प्रति देय ₹ 2884.43 दशलक्ष (देखें टिप्पणी सं.19)की अतिरिक्त धनवापसी को भी उसमें सम्मिलित किया गया है जिसके लिए धनवापसी प्राप्त होने पर ग्राहकों को भुगतान किया जाता है जिसे अन्य चालू देयताओं – सांविधिक भुगतान के लिए देयता के तहत सम्मिलित किया गया है (टिप्पणी 10)।

31.21 **वाणिज्यिक कर संबंधी प्रोत्साहन :**

**कर्नाटक सरकार की अधिसूचना के अनुसार कंपनी, बिक्री कर आस्थगत/छूट पाने की इस प्रकार हक़दार है:**

| रिफाइनरी परियोजना | रकम (₹ दशलक्ष में) | ऋण की अवधि |
|---|---|---|
| चरण II | 2,500.00 प्रति वर्ष * | अधिसूचना जारी की गई तारीख अर्थात्; 21 जून 2000 से 14 वर्ष |

*सीएसटी की छूट के रूप में भी लिया जा सकता है। सीएसटी संबंधी छूट, 01.04.2004 से ली जाती रही है। चरण II के संबंध में बकाया आस्थगन रकम 31 मार्च, 2014 तक रु.474.88 दशलक्ष रही।

31.22 कंपनी को, व्यापार संबंधी प्राप्य कुछ रकम, ऋणों और अग्रिमों एवं व्यापार देयताओं के बारे में अपने पुष्टीकरण पत्रों का अभी जवाब नहीं मिला है। पुष्टीकरण मिलने पर समाधान और समायोजन किया जाएगा जो, प्रबंधन की राय में उल्लेखनीय नहीं होगी।

31.23 **सूक्ष्म, लघु और मझोले प्रतिष्ठानों के प्रति देयता:**

सूक्ष्म, लघु और मझोले प्रतिष्ठान विकास अधिनियम, 2006 के तहत आपूर्तिकर्ताओं का वर्गीकरण, कंपनी को उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर किया जाता है। कंपनी ने, उक्त अधिनियम की धारा 16 के अनुसार न कोई ब्याज अदा किया है न ही कोई ब्याज अदा करने से रह गया है। 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान इन प्रतिष्ठानों को ' नियत तारीख ' के बाद कोई भुगतान नहीं किया गया। 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए इन प्रतिष्ठानों को ' नियत तारीख ' के अंदर देय रकम ₹ 0.70 दशलक्ष रही (पिछले वर्षः ₹ शून्य)।

31.24 **कीमत घटाने संबंधी खंड**

टिप्पणी सं.10 – अन्य चालू देयताओं में ₹ 1,071.60 दशलक्ष की रकम शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 838.81 दशलक्ष)जो 31 मार्च 2014 को पूंजीगत वस्तुओं के प्रति देय है, जिसे वितरण में विलंब होने पर कीमत कटौती खंड का अनुसरण करते हुए और कार्यवाही, अचल आस्तियों की लागत, मूल्यह्रास को अंतिम रूप दिए जाने तक विक्रेताओं से रोक रखा गया था। डब्ल्यूडीवी में, उस वर्ष, जिसमें रोक रखी गई रकम का विनियोजन करने संबंधी कार्यवाही को अंजाम देकर विनियोजित किया जाता है, संशोधन हो सकता है।

31.25 **नीचे उल्लिखित खर्च को अन्य खर्च शीर्षों के तहत सम्मिलित किया गया है**

क्रूड तेल की खरीदारी और स्टाफ कल्याण से संबंधित ₹ 13.41 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 29.88 दशलक्ष) की बीमा प्रभार की रकम को 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के संबंधित शीर्षों के तहत दर्शाया गया है ।

31.26 **लिस्टिंग संबंधी करारनामे के खंड 32 की अपेक्षानुसार प्रकटन**

ऋण के रूप में कोई ऋण और अग्रिम नहीं है जिसे सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यमों को दिया गया हो।

31.27 **वर्तमान / मैट कर**

वर्ष के दौरान, कंपनी ने आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेबी (मैट)के अनुसार वर्तमान कर के लिए प्रावधान किया है (पिछले वर्ष शून्य)।

31.28 पिछले वर्ष के आंकड़ों को, चालू वर्ष के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप जहां कहीं ज़रूरी हो पुनर्वर्गीकृत/पुनव्यवस्थित किया गया है।

संलग्न हमारी सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार

**कृते गोपाल ऐय्यर एण्ड सुब्रमणियन**
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं. : 000960S

**सीए एस. कासी विस्वनाथन्**
साझेदार
सदस्यता सं. 026975

**कृते राघवेंद्र राव एण्ड एसोएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं. : 003324S

**सीए ए. राघवेंद्र राव**
साझेदार
सदस्यता सं. 007533

**दिनेश मिश्रा**
**कंपनी सचिव**

**मंडल के लिए और उनकी ओर से**
**डी के सर्राफ़**
अध्यक्ष

**पी.पी. उपाध्या**
प्रबंध निदेशक

**विष्णु अग्रवाल**
निदेशक (वित्त)

नई दिल्ली : 20 मई, 2014

# वर्ष 2013–2014 के लिए निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट

निगमित अभिशासन, पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ कारोबार चलाने, हर तरह का प्रकटन करते हुए प्रत्येक कारोबार के संबंध में पारदर्शिता दिखाने, देश के कानून का अनुपालन करने, शेयरधारकों के प्रति जिम्मेवारी और जिम्मेदारी के साथ काम करने और नैतिक ढंग से कारोबार चलाने के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने के सिद्धांत पर आधारित है।

एमआरपीएल में, हम एक ऐसी अच्छी अभिशासन परिपाटी के प्रति प्रतिबद्ध है जिससे उसके हिस्सेदारों को लंबे समय तक सतत मूल्य मिल सके। हमारा निगमित अभिशासन ढांचा, नीचे उल्लिखित सिद्धांतों पर बनाया गया है:

- निदेशक मंडल / निदेशक मंडल की समितियों को अधिकतम जानकारी प्रकट करना ताकि बैठकों में अर्थपूर्ण और सकेंद्रित विषयों पर चर्चा हो सके ;
- पारदर्शी प्रणाली और मान्यताओं के प्रति प्रतिबद्धता;
- ईमानदारी और जिम्मेवारी पर बल देते हुए आंतरिक नियंत्रण की सुदृढ प्रणाली के बलबूते पर काम करना;
- तमाम हिस्सेदारों को समस्त महत्वपूर्ण जानकारी वक्त पर और पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराना;
- लागू कानूनों, दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
- अपने हिस्सेदारों और समाज के लोगों के साथ न्याय संगत तरीके से और निष्पक्ष रूप से पेश आना।

## 1) निदेशक मंडल:

**अ) निदेशकों की संरचना– 31.03.2014 को**

कार्यकारी निदेशक : 3
गैर कार्यकारी निदेशक : 8

(पाँच स्वतंत्र निदेशकों सहित)

### (i) निदेशक मंडल – 31.03.2014 को

| निदेशक | कार्यकारी / गैर कार्यकारी | श्रेणी | मंडल की कितनी बैठकों में भाग लिया (8 बैठकें हुईं) | पिछली वार्षिक महा सभा में उपस्थिति | निदेशक पदों की संख्या | | बाह्य समितियों की | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | सार्वजनिक | निजी | सदस्य | *अध्यक्ष* |
| श्री डी.के. सर्राफ़ | अध्यक्ष गैर–कार्यपालक | प्रवर्तक कंपनी के निदेशक (ओएनजीसी लि.) | 1 | लागू नहीं | 8 | – | – | – |
| श्री पी.पी. उपाध्या | कार्यपालक | प्रबंध निदेशक | 8 | हां | 3 | – | 1 | – |
| श्री विष्णु अग्रवाल | कार्यपालक | निदेशक (वित्त) | 8 | हां | 2 | – | 2 | – |
| श्री वी.जी. जोशी | कार्यपालक | निदेशक (वित्त) | 8 | हां | – | – | – | – |
| श्री पी. कल्याणसुंदरम् | गैर–कार्यपालक | सरकारी निदेशक (संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) | 7 | हां | 1 | – | 2 | – |
| श्री बी.के. नामदेव | गैर–कार्यपालक | प्रवर्तक कंपनी के निदेशक (एचपीसीएल) | 5 | नहीं | 5 | – | – | – |
| श्री सी.एल. शाह | गैर–कार्यपालक | स्वतंत्र निदेशक | 4 | लागू नहीं | – | – | – | – |
| श्रीमती नीला गंगाधरन् | गैर–कार्यपालक | स्वतंत्र निदेशक | 2 | लागू नहीं | 1 | – | 1 | 1 |
| प्रो. जयंत एम. मोदक | गैर–कार्यपालक | स्वतंत्र निदेशक | 3 | लागू नहीं | 1 | – | – | – |
| प्रो. उषा किरण रै | गैर–कार्यपालक | स्वतंत्र निदेशक | 3 | लागू नहीं | 1 | – | – | – |
| कैप्टन जॉन प्रसाद मेनेज़स | गैर–कार्यपालक | स्वतंत्र निदेशक | 4 | लागू नहीं | – | – | – | – |

**निदेशकों का संक्षिप्त सारवृत्त (सूचीकरण संबंधी करारनामे के खंड 49 (जी)के अनुसार अर्हता/विशेषज्ञता)**

| निदेशक | संक्षिप्त सारवृत्त (अर्हता/विशेषज्ञता) | अन्य कंपनियों/फर्मों के नाम जहां निदेशक का पद संभाल रहे हों |
|---|---|---|
| श्री डी.के. सर्राफ़–अध्यक्ष | श्री डी.के. सर्राफ़, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक एवं ओएनजीसी समूह कंपनियों के अध्यक्ष हैं।<br>इनको तेल और गैस उद्योग में तीन दशक से अधिक अनुभव है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत, भारत की दूसरी सबसे बड़ी अप्पस्ट्रीम तेल कंपनी – ऑयल इंडिया लिमिटेड से की जिसमें 1991 तक काम किया। इन्होंने 1991 में ओएनजीसी में कदम रखा और कार्पोरेट कार्यालयों में विभिन्न महत्वपूर्ण पद संभाले।<br>ये, प्रतिष्ठित श्री राम कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक और पोस्ट ग्रैजुएट हैं।<br>ये, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सह–सदस्य हैं। | 1. ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड<br>2. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड<br>3. ओएनजीसी पेट्रो–एडिशन्स लिमिटेड<br>4. मंगलूर एसईजेड लिमिटेड<br>5. ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड<br>6. पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड<br>7. ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लि.<br>8. ओएनजीसी–मित्तल एनर्जी लिमिटेड |

| | | |
|---|---|---|
| श्री पी.पी. उपाध्या –प्रबंध निदेशक | श्री पी.पी. उपाध्या, एक रासायनिक इंजीनियर है और रासायनिक संयंत्र डिजाइन इंजीनियरिंग में मास्टर्स पदवी धारक हैं और इनको रिफाइनरी प्रचालन और प्रबंधन में 3 दशक से भी अधिक अनुभव है।<br>इन्होंने मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में 1993 में कदम रखा और रिफाइनरी के प्रदर्शन में एमआपीएल को कामयाबी के शिखर तक ले जाने में खासा भूमिका निभाई। | 1. पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड<br>2. शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल एण्ड सर्वीसस लिमिटेड<br>3. ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड |
| श्री विष्णु अग्रवाल – निदेशक (वित्त) | श्री विष्णु अग्रवाल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के सह सदस्य हैं और इनको वित्त और लेखा, वाणिज्यिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राजकोष, कार्पोरेट वित्त, विपणन, प्रबंध सूचना प्रणाली – खासकर तेल क्षेत्र में (अनुप्रवाह और प्रतिप्रवाह, दोनों क्षेत्रों में)33 वर्ष से भी अधिक कार्यात्मक अनुभव है।<br>आईओसीएल और ओएनजीसी में कई मीलपत्थर कायम करने में इन्होंने ख़ासा भूमिका निभाई। इन्होंने 2011 में एमआरपीएल में कदम रखा। विभिन्न प्रणालियों और क्रियाविधियों का विकास करने और उन्नत किए गए कंप्यूटरीकरण के लिए विभिन्न सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में इन्होंने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। | 1. शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल एण्ड सर्वीसस लिमिटेड<br>2. मंगलूर एसईजेड लिमिटेड |
| श्री वी.जी. जोशी – निदेशक (रिफाइनरी) | श्री वी.जी. जोशी, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी, मुंबई के स्नातक हैं। इनको पेट्रोलियम परिष्करण उद्योग में 36 साल का तजुर्बा है।<br>इन्होंने चरण–III रिफाइनरी उन्नयन और विस्तार परियोजना का कार्यान्वयन करने में उल्लेखीय भूमिका निभाई। इनमें उत्कृष्ट परियोजना प्रबंधन कुशलता है जिसकी बदौलत एमआरपीएल, अनुसूची के अनुसार चरण III यूनिटें चालू कर पाया। | कुछ नहीं |
| श्री बी.के. नामदेव (एचपीसीएल द्वारा नामित निदेशक) | श्री बी.के. नामदेव, मैकेनिकल इंजीनियर है जिन्होंने आई.आई.टी., मुंबई से औद्योगिक प्रबंधन में स्नातक पदवी हासिल की है।<br>इनको रिफाइनरी कामकाज अर्थात्. अनुरक्षण, प्रचालन और परियोजना विभागों में 33 वर्ष से अधिक अनुभव है।<br>इन्होंने महत्वपूर्ण मीलपत्थर कायम करने जैसे राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (आरआरएल) की मेगा परियोजना में रेकॉर्ड समय में सीसीईए का अनुमोदन हासिल करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। | 1. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड<br>2. एचपीसील–मित्तल एनर्जी लिमिटेड<br>3. एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड<br>4. क्रेडा –एचपीसीएल बायो फ्यूएल्स लिमिटेड<br>5. प्राईज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड |
| डी पी. कल्याणसुंदरम् – सरकारी निदेशक(एमओपी एण्ड एनजी द्वारा नामित) | श्री पी. कल्याणसुंदरम्, कानून के स्नातक हैं और इन्होंने भूविज्ञान, अर्थ शास्त्र और कारोबार प्रशासन में मास्टर्स एवं वाणिज्य में एम.बी.ए., एम.फिल, अर्थशास्त्र में एम.ए., सामाजिक विज्ञान में एम.फिल, सार्वजनिक प्रशासन में मास्टर्स डिप्लोमा और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में पीएच.डी. पदवी हासिल की है।<br>इस समय ये, संयुक्त सविच (एमओपी एण्ड एनजी)हैं और इन्होंने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न पद संभाले हैं। | 1. बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड |
| श्री सी.एल. शाह – स्वतंत्र निदेशक | श्री सी.एल. शाह, एक पेशेवर सनदी लेखाकार है और तीन पेशेवर निकायों अर्थात् भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सह सदस्य हैं। लेखाकरण, लेखा परीक्षा, कराधान, कंपनी कानून और वित्तीय प्रबंधन में अर्हता उपरांत 29 वर्ष अनुभव प्राप्त इनको कंपनियों के अधिग्रहण, आमेलन और अर्जन, पुनर्निर्माण और पुनःस्थापना, संयुक्त उद्यमों और विदेशी सहयोग से संबंधित विशिष्ट पेशेवर क्षेत्रों में गहरा अनुभव है। ये, प्रतिष्ठित कंपनी घरानों, सरकारी संस्थाओं, स्टार्टअप कारोबार उद्यमियों और अन्य अधिक मूल्यवत्ता वाले व्यक्तियों को वित्तीय सलाहकार सेवाएँ भी प्रदान कर रहे हैं। | कुछ नहीं |

| | | |
|---|---|---|
| श्रीमती नीला गंगाधरन् – स्वतंत्र निदेशक | श्रीमती नीला गंगाधरन् ने अर्थशास्त्र में मास्टर्स पदवी हासिल की है। ये, एक आई.ए.एस (सेवानिवृत्त) अधिकारी हैं और केंद्र और राज्य सरकारों में कई वरिष्ठ पद संभालने के अलावा महिला एवं शिशु विकास मंत्रालय और न्याय मंत्रालय में सचिव रहीं, मुख्य सचिव, गृह सचिव, उत्पाद शुल्क आयुक्त, कृषि उत्पादन आयुक्त और केरल राज्य में जिला कलक्टर रहीं। राज्य एवं केंद्र सरकार, दोनों में इन्होंने सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में सरकारी निदेशक की हैसियत से काम किया है। जून 2013 में इनको शिशु अधिकारों के संरक्षण से संबंधित केरल राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।<br>राज्य एवं केंद्र सरकार, दोनों में इन्होंने सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में सरकारी निदेशक की हैसियत से काम किया है।<br>इन्होंने रोम में भारतीय दूतावास में वरिष्ठ राजनीतिज्ञ के रूप में और रोम में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ)में अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवक (निदेशक के स्तर पर)की हैसियत से भी काम किया है। ये, एफएओ में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली वित्त समिति और प्रापण समिति की निर्वाचित सदस्य भी रहीं।<br>ये, इस समय यनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की निदेशक हैं। | 1.यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड |
| प्रो. जयंत एम. मोदक – स्वतंत्र निदेशक | प्रो. जयंत एम. मोदक ने पुर्दुये विश्वविद्यलय, यूएसए से रासायनिक इंजीनियरिंग में मास्टर्स और पीएच.डी. पदवी हासिल की है।<br>ये, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलूर में रासायनिक इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं और इनको इष्टतमीकरण और नियंत्रण, रासायनिक रीएक्टरों और जैविक इंजीनियरिंग के मॉडेलिंग में 25 वर्ष से अधिक अनुसंधान अनुभव है।<br>ये, भारतीय विज्ञान अकादमी और भारतीय इंजीनियरिंग राष्ट्रीय अकादमी के सदस्य हैं।<br>ये, इस समय इंडियन साइंटिफिक इन्नोवेशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। | 1. इंडियन साइंटिफिक इन्नोवेशन कंपनी लिमिटेड |
| प्रो. उशा किरण रै – स्वतंत्र निदेशक | प्रो. उशा किरण रै, प्रबंधन अध्ययन संकाय, बनारस हिन्दु विश्वविद्यलय (बीएचयू), वाराणसी में मार्केटिंग की प्रोफेसर हैं। इन्होंने, प्रबंधन में मास्टर्स पदवी और मार्केटिंग में पीएच.डी., बनारस हिन्दु विश्वविद्यलय, वाराणसी से हासिल की।<br>इनको मार्केटिंग प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रोफेसर होने के नाते देवांग मेहता बिसनेस स्कूल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।<br>ये, भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्वतंत्र निदेशक भी हैं। | 1. भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड |
| कैप्टन जॉन प्रसान मेनेज़स – स्वतंत्र निदेशक | कैप्टन जॉन प्रसाद मेनेज़स, मानविकी और कानून के स्नातक हैं और यू.के. से मेरिटाइम कानून में स्नातकोत्तर पदवी हासिल की है तथा ये, अर्हता प्राप्त शिप मास्टर तथा शिप ब्रोकर हैं और इनको कमांड सहित 15 वर्ष का अनुभव है।<br>इन्होंने केरना चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री (केसीसीआई, मंगलूर) के अध्यक्ष, नव मंगलूर पोर्ट स्ट्रस (एनएमटीपी)के न्यासी के रूप में काम किया और ये, हॉनरबल कंपनी ऑफ मास्टर मेराइनर्स ऑफ इंडिया (सीएमएमआई), मुंबई के डेप्युटी मास्टर रहे हैं।<br>इन्होंने नॉटिकल इंस्टिट्यूट, लंदन, इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड शिप ब्रोकर्स, लंदन और भारतीय माध्यस्थम् परिषद, नई दिल्ली से सदस्यता हासिल की है।<br>ये, इस समय, जहाजरानी उद्योग में 24 वर्ष के समुद्र तटीय अनुभव के साथ नॉटिकल सर्वेक्षक, समुद्री सलाहकार और मध्यस्थ तथा नॉटिकल इंस्टिट्यूट (एनआई) आईएमओ समिति के उपाध्यक्ष होने के अलावा एनआई के कार्यकारी परिषद के सदस्य भी हैं। | कुछ नहीं |

**टिप्पणियां:** 10/03/2014 को स्वतंत्र निदेशकों में से एक का कार्यकाल समाप्त होने के फलस्वरूप, 31/03/2014 को मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के मंडल में 6 गैर-स्वतंत्र निदेशकों के मुकाबले पाँच स्वतंत्र निदेशक रहे। मंडल पर एक स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त करने के मामले पर पेट्रोलियम और प्राकृति गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी), भारत सरकार (जीओआई), सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

### (ii) गत निदेशक

| निदेशक | कार्यकारी / गैर कार्यकारी | श्रेणी | निदेशक पदों की संख्या | | बाह्य समितियों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सार्वजनिक | निजी | सदस्य | अध्यक्ष |
| श्री सुधीर वासुदेव | गैर–कार्यपालक | प्रवर्तक कंपनी के निदेशक | 8 | – | – | – |
| श्री के. मुरली | गैर–कार्यपालक | प्रवर्तक कंपनी के निदेशक | 5 | – | 2 | – |
| श्री बी. रवींद्रनाथ | गैर–कार्यपालक | स्वतंत्र निदेशक | 4 | – | 1 | – |
| डॉ. डी. चंद्रशेखरम् | गैर–कार्यपालक | स्वतंत्र निदेशक | 3 | 1 | 2 | – |
| श्री पी.के. सिंह | गैर–कार्यपालक | सरकारी निदेशक (संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) | 1 | – | – | – |

### (iii) 2013–2014 के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन

| निदेशक | नियुक्ति तारीख | सेवा समाप्ति तारीख | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|
| श्री वी.जी. जोशी | 04/04/2013 | लागू नहीं | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी), भारत सरकार द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। |
| श्री पी.के. सिंह | 17/08/2012 | 11/04/2013 | निदेशक नहीं रहे |
| श्री पी. कल्याणसुंदरम् | 15/04/2013 | लागू नहीं | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। |
| श्री के. मुरली | 19/01/2010 | 01/07/2013 | निदेशक नहीं रहे |
| श्री बी.के. नामदेव | 01/07/2013 | लागू नहीं | प्रवर्तक कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया |
| श्री सी.एल. शाह | 22/10/2013 | लागू नहीं | गैर सरकारी अंशकालिक/स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। |
| श्रीमती नीला गंगाधरन् | 22/10/2013 | लागू नहीं | गैर सरकारी अंशकालिक/स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। |
| प्रो. जयवंत एम. मोदक | 22/10/2013 | लागू नहीं | गैर सरकारी अंशकालिक/स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। |
| प्रो. उषा किरण रै | 22/10/2013 | लागू नहीं | गैर सरकारी अंशकालिक/स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। |
| कैप्टन जॉन प्रसाद मेनेज़स | 22/10/2013 | लागू नहीं | गैर सरकारी अंशकालिक/स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। |
| श्री सुधीर वासुदेव | 26/02/2009 | 01/03/2014 | सीएमडी, ओएनजीसी के रूप में अपनी सेवानिृत्ति के उपरांत निदेशक नहीं रहे। |
| श्री डी.के. सर्राफ़ | 01/03/2014 | लागू नहीं | श्री सुधीर वासुदेव के स्थान पर निदेशक/अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। |
| श्री बी. रवींद्रनाथ | 01/11/2010 | 06/01/2014 | निदेशक नहीं रहे |
| डॉ. डी. चंद्रशेखरम् | 10/01/2012 | 11/03/2014 | हमारी मूल कंपनी, ओएनजीसी के मंडल पर स्वतंत्र निदेशक के रूप में तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने पर इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है। |

### (iv) 31/03/2014 के बाद निदेशक मंडल में परिवर्तन

- श्री पी पी उपाध्या, प्रबंध निदेशक, 31/07/2014 से एमआरपीएल की सेवाओं से निवृत्त हुए।
- श्री विष्णु अग्रवाल, निदेशक (वित्त)ने 01/08/2014 से प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाला।
- श्री एच. कुमार को एमआरपीएल के निदेशक के रूप में नियुक्त करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार का दिनांक 7 अगस्त 2014 का आदेश प्राप्त हुआ है।

## आ) वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान संपन्न मंडल की बैठक और 23/09/2013 को हुई 25वीं वार्षिक महासभा में निदेशकों की उपस्थिति

### (i) वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान संपन्न मंडल की बैठकों के ब्यौरे

| क्रम सं. | बैठक की तारीख | बैठक सं. | स्थान |
|---|---|---|---|
| 1 | 24/05/2013 | 179 | मुंबई |
| 2 | 22/07/2013 | 180 | मुंबई |
| 3 | 08/08/2013 | 181 | नई दिल्ली |
| 4 | 23/09/2013 | 182 | मंगलूर |
| 5 | 29/10/2013 | 183 | नई दिल्ली |
| 6 | 18/12/2013 | 184 | नई दिल्ली |
| 7 | 08/02/2014 | 185 | मंगलूर |
| 8 | 27/03/2014 | 186 | नई दिल्ली |

**टिप्पणियां:** वर्ष 2013–14 के दौरान मंडल की 8 बैठकें हुईं।

**(ii) वर्ष 2013–14 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति**

| निदेशक | मंडल की कितनी बैठकों में भाग लिया | पिछली वार्षिक महासभा में भाग लिया |
|---|---|---|
| श्री डी.के. सर्राफ़ | 1 | लागू नहीं |
| श्री पी.पी. उपाध्या | 8 | हां |
| श्री विष्णु अग्रवाल | 8 | हां |
| श्री वी.जी. जोशी | 8 | हां |
| श्री पी. कल्याणसुंदरम् | 7 | हां |
| श्री बी.के. नामदेव | 5 | नहीं |
| श्री सी.एल. शाह | 4 | लागू नहीं |
| श्रीमती नीला गंगाधरन् | 2 | लागू नहीं |
| प्रो. जयवंत एम. मोदक | 3 | लागू नहीं |
| प्रो. उशा किरण रै | 3 | लागू नहीं |
| कैप्टन जॉन प्रसाद मेनेज़स | 4 | लागू नहीं |

(iii) **वर्ष 2013–14 के दौरान गत निदेशकों की उपस्थिति**

| निदेशक | मंडल की कितनी बैठकों में भाग लिया | पिछली वार्षिक महासभा में भाग लिया |
|---|---|---|
| श्री सुधीर वासुदेव* | 7 | हां |
| श्री के. मुरली** | 0 | लागू नहीं |
| श्री बी. रवींद्रनाथ*** | 4 | हां |
| डॉ. डी. चंद्रशेखरम् **** | 7 | हां |

* 01/03/2014 से निदेशक नहीं रहे
** 01/07/2013 से निदेशक नहीं रहे
*** 06/01/2014 से निदेशक नहीं रहे
**** 11/03/2014 से निदेशक नहीं रहे

**2) लेखा परीक्षा समिति**

**(i) विचारार्थ विषय:**

**लेखा परीक्षा समिति का गठन, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए और शेयर बाजारों के साथ किए गए लिस्टिंग संबंधी करारनामे के खंड 49 और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा कंपनी अभिशासन के बारे में सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग की तरफ से जारी मार्गनिर्देश के तहत यथा निर्धारित विचारार्थ विषय के आधार पर किया गया।**

**लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और लिस्टिंग संबंधी करारनामे के संशोधित खंड 49 का अनुसरण करते हुए संशोधन किया गया है।**

**(ii) 31.03.2014 को लेखा परीक्षा समिति की संरचना**

| लेखा परीक्षा समिति के सदस्य | श्रेणी |
|---|---|
| श्री सी.एल. शाह | अध्यक्ष (स्वतंत्र निदेशक) |
| श्रीमती नीला गंगाधरन् | सदस्य (स्वतंत्र निदेशक) |
| प्रो. जयवंत एम. मोदक | सदस्य (स्वतंत्र निदेशक) |

**टिप्पणियां:**

- **कंपनी ने लेखा परीक्षा समिति के गठन के बारे में लिस्टिंग संबंधी करारनामे के खंड 49 (II) (ए) की अपेक्षाओं का पालन किया है।**
- **श्री बी.के. नामदेव, लेखा समिति की बैठकों में विशेष अतिथि हैं।**
- **निदेशक (वित्त) और प्रमुख (आंतरिक लेखा परीक्षा)को, लेखा परीक्षा की बैठकों में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है।**
- **कंपनी सचिव, लेखा परीक्षा समिति के सचिव होते हैं।**
- **लेखा परीक्षा समिति द्वारा वित्तीय विवरणों की समीक्षा करते समय, सांविधिक लेखा परीक्षकों को विशेष अतिथियों के रूप में आमंत्रित किया जाता है।**

**(iii) वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान संपन्न लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के ब्यौरे**

| बैठक की तारीख | बैठक सं. | कितने सदस्यों ने भाग लिया |
|---|---|---|
| 24/05/2013 | 59 | 2 |
| 22/07/2013 | 60 | 2 |
| 08/08/2013 | 61 | 3 |
| 23/09/2013 | 62 | 2 |
| 29/10/2013 | 63 | 3 |
| 08/02/2014 | 64 | 2 |

**टिप्पणियां:** वर्ष 2013–14 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 6 बैठकें हुईं।

**(iv) वित्तीय वर्ष 2013–14 में संपन्न लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति**

| लेखा परीक्षा समिति के सदस्य | कितनी बैठकों में भाग लिया | टिप्पणियां |
|---|---|---|
| श्री सी.एल. शाह | 1 | – |
| श्रीमती नीला गंगाधरन् | 1 | – |
| प्रो. जयवंत एम. मोदक | 1 | – |
| श्री बी. रवींद्रनाथ | 4 | गत सदस्य |
| श्री के. मुरली | 0 | गत सदस्य |
| डॉ. डी. चंद्रशेखरम् | 5 | गत सदस्य |
| श्री बी.के. नामदेव | 2 | गत सदस्य |

**3) नामांकन और पारिश्रमिक समिति:**

एमआरपीएल, ' अनुसूची ए ' श्रेणी का केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का प्रतिष्ठान है। प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक)की नियुक्ति, नियम एवं शर्तें और पारिश्रमिक, सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग (डीपीई),भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है।

लिस्टिंग संबंधी करारनामे के खंड 49 और साथ ही सीपीएसई के लिए कंपनी शासन के बारे में डीपीई के मार्गनिर्देशों का अनुसरण करते हुए, कंपनी ने अप्रैल 2009 में पारिश्रमिक समिति का गठन किया. इस समिति का 8 फरवरी 2014 को संपन्न मंडल की 185$^{वीं}$ बैठक में नामांकन और पारिश्रमिक समिति के रूप में पुनर्गठन किया गया। 2013–14 के दौरान पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई। नामांकन और पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषयों में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और लिस्टिंग संबंधी करारनामे के संशोधित खंड 49 का अनुसरण करते हुए संशोधन किया गया है। इस समिति में 31.03.2014 को नीचे उल्लिखित निदेशक रहे:

| पारिश्रमिक/नामांकन समिति के सदस्य | सदस्यों की उपस्थिति |
|---|---|
| प्रो. उषा किरण रै, अध्यक्ष (स्वतंत्र निदेशक) | लागू नहीं |
| श्री पी. कल्याणसुंदरम्, सदस्य (सरकारी निदेशक) | लागू नहीं |

हमने, कंपनी अधिनियम, 2013 की और लिस्टिंग संबंधी करारनामे के संशोधित खंड की अपेक्षाओं के अनुरूप, श्री सी एल शाह को शामिल करते हुए नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया।

मंडल की उप–समिति और मंडल की बैठकों में भाग लेने के लिए सिर्फ स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी द्वारा बैठक शुल्क अदा किया जाता है।

**(i) 2013–14 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को अदा किए गए पारिश्रमिक(बैठक शुल्क) के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:**

| स्वतंत्र निदेशक | बैठक शुल्क (रु.) |
|---|---|
| श्री सी.एल. शाह | 1,20,000 |
| श्रीमती नीला गंगाधरन् | 75,000 |
| प्रो. जयवंत एम. मोदक | 1,05,000 |
| प्रो. उषा किरण रै | 60,000 |
| कैप्टन जॉन प्रसाद मेनेज़स | 90,000 |
| श्री बी. रवींद्रनाथ | 1,95,000 |
| डॉ. डी. चंद्रशेखरम् | 3,30,000 |

**(ii) 2013–14 के दौरान प्रदत्त आधार पर प्रबंध निदेशक, निदेशक(वित्त) और निदेशक (रिफाइनरी) को प्रदत्त पारिश्रमिक के ब्यौरे**

(रकम, ₹ में)

| विवरण | प्रबंध निदेशक | निदेशक (वित्त) | निदेशक (रिफाइनरी) | कुल |
|---|---|---|---|---|
| वेतन और भत्ते | 27,47,865 | 28,53,285 | 24,81,093 | 80,82,243 |
| भविष्य निधि और अन्य निधियों | 4,53,465 | 4,98,812 | 4,66,610 | 14,18,887 |
| अन्य अनुलाभ और लाभ | 4,21,300 | 20,213 | 52,825 | 4,94,338 |
| **कुल** | **36,22,630** | **33,72,310** | **30,00,528** | **99,95,468** |

सेवा संबंधी ठेका अवधिः

| विवरण | प्रबंध निदेशक | निदेशक (वित्त) | निदेशक (रिफाइनरी) |
|---|---|---|---|
| | नियुक्ति तारीख से 5 वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति तारीख तक या आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो। | नियुक्ति तारीख से 5 वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति तारीख तक या आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो। | नियुक्ति तारीख से 5 वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति तारीख तक या आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो। |
| नोटिस अवधि | तीन महीने की नोटिस अथवा | तीन महीने की नोटिस अथवा | तीन महीने की नोटिस अथवा |
| पृथक्करण शुल्क | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| स्टॉक विकल्प के ब्यौरे (अगर कोई हो तो) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| क्या बट्टे पर दिया गया | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| कितनी अवधि में उपचित रहा और उसे लागू किया जा सकेगा | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

(iii) **निदेशक का शेयरधारणः**

नीचे उल्लिखित निदेशकों के 31.03.2014 को कंपनी में इक्विटी शेयर इस प्रकार रहें:

| निदेशक का नाम | धारित कुल शेयर |
|---|---|
| श्री डी.के. सर्राफ़ | 100 |
| श्री विष्णु अग्रवाल | 50 |

4) **हिस्सेदारों का संबंध/निवेशकर्ता ग्राहक समिति**

(i) कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और लिस्टिंग संबंधी करारनामे के खंड 49 तथा 8 फरवरी 2014 को संपन्न मंडल की 185वीं बैठक में सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए, हिस्सेदारों के संबंध / निवेशकर्ताओं की शिकायत से संबंधित समिति का पुनर्गठन किया है।

**हिस्सेदारों का संबंध/निवेशकर्ताओं की शिकायत से संबंधित समिति की 31/03/2014 को संरचना**

| **हिस्सेदारों का संबंध/निवेशकर्ताओं की शिकायत से संबंधित समिति के सदस्य** | **श्रेणी** |
|---|---|
| श्रीमती नीला गंगाधरन् | अध्यक्ष (स्वतंत्र निदेशक) |
| प्रो. उषा किरण रै | सदस्य (स्वतंत्र निदेशक) |
| प्रबंध निदेशक | सदस्य |
| निदेशक (वित्त) | सदस्य |
| निदेशक (रिफाइनरी) | सदस्य |

(ii) शेयर अंतरण समिति, कंपनी के शेयरों का अंतरण, प्रेषण, अवमूर्तीकरण, पुनर्मूर्तीकरण आदि करती है।

टिप्पणियांः

- **अनुपानल अधिकारी का नाम और पदनामः श्री दिनेश मिश्रा, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी।**
- **वित्तीय वर्ष 2013–2014 के दौरान प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या : 78**
- **वित्तीय वर्ष 2013–2014 के दौरान, न निपटाई गईं शिकायतों की संख्याः 2***
- **31.03.2014 को लंबित शेयर अंतरण की संख्या : कुछ नहीं**

*बाद में एक महीने के अंदर निपटाई गईं

5) **वार्षिक महासभा के ब्यौरे**

(i) पिछली 3 वार्षिक महा सभाएं कहां और कब हुई

| वर्ष | स्थान | दिनांकः | समय |
|---|---|---|---|
| **2013** 25वीं एजीएम | कंपनी का पंजीकृत कार्यालय मुडपाडव, कुत्तेतूर पी.ओ. मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर- 575 030 | 23/09/2013 | अपराह्न 4.00 बजे |
| **2012** 24वीं एजीएम | कंपनी का पंजीकृत कार्यालय मुडपाडव, कुत्तेतूर पी.ओ. मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर- 575 030 | 15/09/2012 | अपराह्न 4.00 बजे |
| 2011 23वीं एजीएम | कंपनी का पंजीकृत कार्यालय मुडपाडव, कुत्तेतूर पी.ओ. मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर- 575 030 | 27/08/2011 | अपराह्न 4.00 बजे |

(ii) क्या पिछली तीन वार्षिक महासभाओं में कोई विशिष्ट संकल्प पारित किया गया?

हां

24वीं वार्षिक महा सभा में एक विशिष्ट संकल्प पारित किया गया :

(iii) शेयरों की वापस खरीदारी के बारे में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 31 और अगर कोई अन्य लागू प्रावधान हो तो उनका तथा कंपनी के अंतर्नियम के नियम 27(1) का अनुसरण करना।

(iv) क्या पिछले वर्ष डाक मत पत्रों के जरिए कोई विशेष संकल्प पारित किया गया :

पिछली वार्षिक महासभा में डाक मतपत्रों के जरिए कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया

(v) किन–किन व्यक्तियों ने डाक मतपत्रों की प्रक्रिया पूरी की :

लागू नहीं

(vi) डाक मतपत्र की क्रियाविधि :

लागू नहीं

6) **प्रकटन**

(i) **वस्तुत: महत्वपूर्ण संबद्ध पक्षकार के लेन–देन:**

**(क)** कंपनी, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित प्रतिष्ठान है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी संबंधित पक्षकार प्रकटन के लेखा मानक 18 (एएस – 18) के अनुसार प्रकट करने के लिए नीचे उल्लिखित ' ख ' और ' ग ' को छोड़कर कोई दूसरे लेन–देन नहीं हैं ।

**(ख)** प्रबंधन के महत्वपूर्ण कर्मचारी:

पूर्णकालिक निदेशक :

| | | |
|---|---|---|
| श्री पी.पी. उपाध्या | : | प्रबंध निदेशक |
| श्री विष्णु अग्रवाल | : | निदेशक (वित्त) |
| श्री वी.जी. जोशी | : | निदेशक (रिफाइनरी) |

**वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान लेन–देनों के ब्यौरे :**

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (रिफाइनरी) को अदा किया गया पारिश्रमिक।

- वेतन व भत्ते ₹ 80,82,243/–.
- भविष्य और अन्य निधियों के प्रति अंशदान ₹ 14,18,887/–.
- अन्य अनुलाभ और लाभ रहे ₹ 4,94,338/–

(उपचित छुट्टी संबंधी वेतन और उपदान को छोड़कर क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है)

**(ग) ऐसे प्रतिष्ठान जिन पर काफी दबाव डाला जाता है:**

| नाम | संबंध | लेन–देन का स्वरूप |
|---|---|---|
| ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लि. | सहयोगी * | 2013–14 से संबंधिता लेखों पर टिप्पणी – 12 और 14 में ब्यौरे पेश किए गए हैं। |
| शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल एण्ड सर्वीसस लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | |
| मंगलम रीटेल सर्वीसस लिमिटेड | सहयोगी | |

* समूह कंपनियों के साथ।

(ii) पिछले 3 वर्षों के दौरान पूंजी बाजार के संबंध में, कंपनी द्वारा गैर अनुपालनीय, किसी शेयर बाजार अथवा सेबी अथवा किसी प्राधिकरण द्वारा लगाये गये जुर्माने, किए गए अवक्षेप के ब्यौरे: कुछ नहीं

(iii) **गैर–आज्ञापक अपेक्षाएं:**

क) कंपनी, अपने खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय चलाती है ।

ख) एमआरपीएल, ' अनुसूची ए ' श्रेणी का केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का प्रतिष्ठान है। प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक)की नियुक्ति, नियम एवं शर्तें और पारिश्रमिक, सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग (डीपीई),भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है।

ग) चूंकि कंपनी के तिमाही / अर्ध–वार्षिक वित्तीय परिणाम, कंपनी के वेबसाईट पर प्रकट कर समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं, इसलिए अर्ध–वार्षिक रिपोर्ट, प्रत्येक शेयरधारक के निवास पर नहीं भेजी जाती है ।

घ) कंपनी के शेयरधारकों की ख़ातिर वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कोई विशेषक नहीं होते हैं ।

ङ) कंपनी के मंडल के सदस्यों को प्रशिक्षित कराने से संबंधित नीति बनाई जा रही है। निदेशकों को विभिन्न संगोष्ठियों, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और अभिविन्यास कार्यक्रमों में उपयुक्तता और सुविधा के अनुसार भेजा जाता है।

च) नामांकन और पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय में, गैर–कार्यपालक निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन करने के लिए औपचारिक तंत्र की व्यवस्था है।

छ) कंपनी ने मुखबिर नीति बनाई है जिसके लिए मंडल ने अनुमोदन दिया है। उक्त मुखबिर नीति के अनुसार, कंपनी ने किसी भी कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी / अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति से मुलाकात करने से नहीं रोका है।

ज) कंपनी, समय–समय पर आईसीएआई द्वारा जारी सभी लेखा मानकों का अनिवार्य तौर पर अनुपालन करती है।

(iv) **मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों के लिए आचरण संहिता**

मंडल ने 30 जनवरी, 2006 को संपन्न अपनी बैठक में मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण संहिता (' कोड ') अपनाई। यह संहिता एक व्यापक संहिता है जो कार्यकारी एवं गैर–कार्यकारी निदेशकों के साथ–साथ वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों अथात्; कंपनी के समूह महा प्रबंधक और उससे उच्चतर श्रेणी के प्रबंधकीय कर्मचारियों को लागू होगी । आचरण संहिता, कंपनी के वेबसाइट: www.mrpl.co.in पर उपलब्ध है।

मंडल के तमाम सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने पुष्टि की है कि उन्होंने आचरण संहिता का पालन किया है। प्रबंध निदेशक ने इस प्रकार घोषणा की है:–

**मैं, पी.पी. उपाध्या, प्रबंध निदेशक, यह पुष्टि करता हूँ कि:**

**कंपनी ने मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के तमाम सदस्यों से इस बात की पुष्टि प्राप्त की है कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2013–14 के संबंध में मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों के लिए बनाई गई आचरण संहिता का अनुपालन किया है।**

(v) **भेदिया व्यापार के बारे में एमआरपीएल संहिता**

**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंगी व्यापार का निषेध) (संशोधन) विनियम, 2008 का अनुसरण करते हुए मंडल ने ' अंतरंगी व्यापार की रोकथाम के लिए आचरण संहिता ' में संशोधन के लिए अपना अनुमोदन दिया। कंपनी के सभी नामोद्दिष्ट कर्मचारी इस संहिता का पालन करते हैं ।**

(vi) **सीईओ और सीएफओ का प्रमाणन**

**लिस्टिंग संबंधी करारनामे के संशोधित खंड 49 के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित वित्तीय विवरणों और आंतरिक नियंत्रकों के बारे में सीईओ और सीएफओ का प्रमाणीकरण प्राप्त किया गया है ।**

(vii) **कारोबार ज़िम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट(बीआरआर)**

सूचीकरण संबंधी नए खण्ड 55 का अनुसारण करते हुए, वर्ष 2013–14 के लिए एक बीआरआर बनाई गई है जो वार्षिक रिपोर्ट का अंग है। हरित पहल के उपाय के तौर पर, स्टॉक एक्सचेंज ने कंपनी को इजाजत दी है कि वह, बीआरआर को कंपनी के वेबसाईट पर अपलोड कर वार्षिक रिपोर्ट लिंक का संदर्भ मुद्रित करे। तदनुसार, बीआरआर www.mrpl.co.in. में देखी जा सकेगी। बीआरआर का अनुबंध, वार्षिक रिपोर्ट के साथ नहीं भेजा जाएगा। बीआरआर की मुद्रित प्रतिलिपि पाने का इच्छुक कोई भी सदस्य, मंगलूर में कंपनी को या उसके आर एण्ड टी एजेंट, मेसर्स लिंकइन्टाइम को लिख सकता है।

## 7) संचार के साधन:

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | तिमाही परिणाम | : | कंपनी के त्रैमासिक परिणाम, अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं के समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं और कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in में भी प्रदर्शित किए जाते हैं। |
| II. | समाचार प्रकाशन, प्रस्तुतीकरण आदि | : | आधिकारिक समाचार प्रकाशन और आधिकारिक मीडिया प्रकाशन, कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते हैं। |
| III) | संस्थागत निवेशकर्ताओं / विश्लेषकों के सामने प्रस्तुतीकरण | : | हां |
| IV. | वेबसाइट | : | कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in में एक अलग समर्पित खंड है जिसका नाम है '' निवेशकर्ता सेवाएं '' जिसमें शेयरधारकों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट भी, वेबसाइट पर अनुकूल और डाउनलोड करने लायक रूप में उपलब्ध है। |
| v) | वार्षिक रिपोर्ट | : | लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों, वित्तीय विवरणों, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, कंपनी अभिशासन रिपोर्ट समेत वार्षिक रिपोर्ट, शेयरधारकों को भेजी जाती है। प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (एमडी एण्ड ए)रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट का ही अंग है जिसे कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in में प्रदर्शित किया जाता है। |
| VI. | अध्यक्ष की विज्ञप्ति | : | अध्यक्ष के भाषण की मुद्रित प्रतिलिपियां, वार्षिक महा सभा में सभी शेयरधारकों में बांटी जाती हैं। इसकी एक प्रतिलिपि, कंपनी के वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाती है और शेयर बाजारों के पास भेजी जाती है एवं प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। |
| VII. | निवेशकर्ताओं को अनुस्मारक भेजना | | अदावी शेयरों के बारे में शेयरधारकों को अनुस्मारक भेजे जाते हैं। |
| VIII. | कार्पोरेट फाइलिंग एवं प्रसार प्रणाली (सीएफडीएस) | : | बीएसई और एनएसई के संयुक्त स्वामित्व में चलाए गए एवं अनुरक्षित सीएफडीएस पोर्टल, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा दर्ज की गई सूचना देखने का एक मात्र साधन है। बीएसई और एनएसई के पास किए गए तमाम प्रकटन और सूचनाएं, सीएफडीएस पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दर्ज की जाती हैं और उक्त प्रकटन एवं पत्राचार की मुद्रित प्रतिलिपियां भी दर्ज की जाती हैं। |
| IX. | एनएसई इलेक्ट्रॉनिक आवेदन पत्र प्रोसेसिंग प्रणाली (एनईएपीएस) | : | एनईएपीएस, एनएसई द्वारा कंपनियों के लिए बनाया गया एक वेब आधारित अप्लिकेशन है, शेयरधारक का स्वरूप और निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट भी एनईएपीएस में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दर्ज की जाती है। |
| X) | सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स) | : | निवेशकर्ताओं की शिकायतों को एक केंद्रीकृत वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली के जरिए प्रोसेस किया जाता है। |
| XI | नामोद्दिष्ट अनन्य ई–मेल आईडी | : | कंपनी ने, निवेशकर्ता सर्वीसिंग के लिए ही नीचे उल्लिखित ई–मेल आईडी नामोद्दिष्ट किए हैं।<br>• investor@mrplindia.com |

## 8) सामान्य शेयरधारकों के बारे में जानकारी

**26वीं वार्षिक महासभा**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | कंपनी के पंजीकरण के ब्यौरे | : | कंपनी को कर्नाटक राज्य, भारत में पंजीकृत किया गया है। कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए)द्वारा कंपनी को आवंटित कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)है, L85110KA1988GOI008959 |
| (ii) | दिन, दिनांक, समय और स्थान | : | 13 सितंबर, 2014, अपराह्न 4.00 बजे<br>पंजीकृत कार्यालय, मुडपाडव, कुत्तेतूर पी.ओ. मार्ग काटिपल्ला,मंगलूर–575 030 |

(iii) वित्तीय वर्ष : 01/04/2013 से 31/03/2014

(iv) बही समापन दिनांक : 30/07/2014 से 02/08/2014 (दोनों दिन मिलाकर)

v) लाभांश भुगतान दिनांक : लागू नहीं

(vi) शेयर बाजार में सूचीकरण

**क)** इक्विटी शेयर : 1) बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड फिरोज़ जीजीभोय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400 001
ISIN: स्क्रिप कोडः 500109
INE103A01014

2) दी नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाज़ा, बांद्रा (पूर्व)– 400 051
व्यापारी चिह्न : MRPL

**ख)** सूचीकरण शुल्क का भुगतान : कंपनी ने बीएसई और एनएसई को वर्ष 2014–15 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क अदा किया है।

**(ग)** निक्षेपागार शुल्क का भुगतान : कंपनी ने एनएसडीएल और सीडीएसएल को वर्ष 2014–15 के लिए वार्षिक अभिरक्षा/निर्गमकर्ता शुल्क अदा किया है।

**(vii)** इस रिपोर्ट में, निदेशकों की अर्हता, उनकी विशेषज्ञता, जिन कंपनियों के मंडल में वे अध्यक्ष/निदेशक का पद संभाल रहे हों उनके नाम और मंडल की उप–समितियों में अध्यक्ष / निदेशक रहें हैं, इन कंपनियों में उनके शेयरधारण और शेयर बाजारों के साथ सूचीकरण संबंधी करारनामे के खंड 49 का अनुसरण करते हुए निदेशकों के परस्पर संबंध के बारे में संक्षिप्त सारवृत्त दिया गया है जो वार्षिक रिपोर्ट का एक अंग है।

**(viii)** बाजार कीमत संबंधी आंकडें

| **महीना (2012–2013)** | **बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज** | | **नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड** | |
|---|---|---|---|---|
| | **अधिक (₹)** | **कम (₹)** | **अधिक (₹)** | **कम (₹)** |
| अप्रैल–13 | 52.90 | 46.70 | 52.90 | 46.90 |
| मई–13 | 48.90 | 40.00 | 49.00 | 40.00 |
| जून–13 | 45.90 | 34.00 | 46.40 | 34.00 |
| जुलाई–13 | 42.75 | 31.75 | 42.80 | 31.80 |
| अगस्त–13 | 34.90 | 26.45 | 35.10 | 26.30 |
| सितंबर–13 | 35.70 | 30.25 | 35.95 | 30.10 |
| अक्तूबर–13 | 43.30 | 32.90 | 43.50 | 32.90 |
| नवंबर–13 | 44.30 | 38.00 | 44.90 | 38.10 |
| दिसंबर–13 | 44.45 | 39.00 | 44.95 | 39.00 |
| जनवरी–14 | 45.30 | 40.00 | 45.10 | 40.05 |
| फरवरी–14 | 44.60 | 38.05 | 44.90 | 38.05 |
| मार्च–14 | 48.45 | 38.10 | 48.60 | 38.00 |

(ix) एनएसई निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स जैसे वैविध्यपूर्ण सूचकों की तुलना में निष्पादन:

एनएससी (निफ्टी) 2013–14

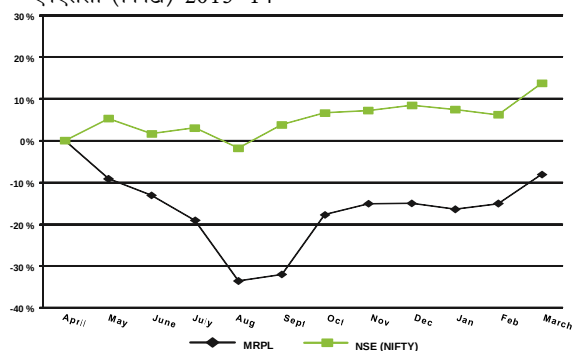


बीएसई सेंसेक्स 2013–14

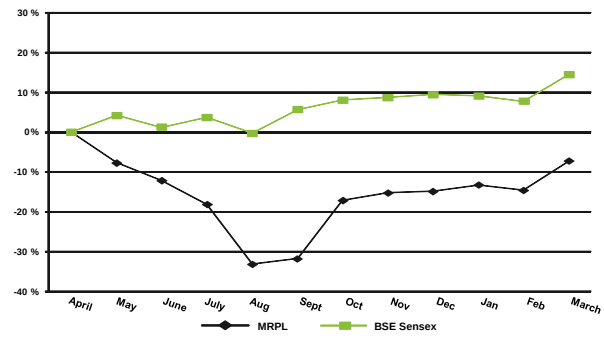

(x) रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंटः मेसर्स लिंक इन्टाइम इंडिया(प्रा)लि, सी –3, पन्नालाल सिल्क मिल्स कम्पाउंड, एल.बी.एस मार्ग, भंडूप (पश्चिम), मुंबई – 400 078

(xi) शेयर अंतरण प्रणाली:

शेयर अंतरण का कार्य, कंपनी के आर एण्ड टी एजेंट, मेसर्स लिंक इन्टाइम इंडिया(प्रा)लि, संभाल रहे हैं, जिनका निक्षेपागारों अर्थात्; एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ भी कनेक्टिविटी है। अंतरण के लिए अनुमोदन, शेयर अंतरण समिति द्वारा साप्ताहिक आधार पर दिया जाता है। शेयर अंतरण को, प्राप्ति तारीख से 15 दिनों के अंदर पंजीकृत कर प्रेषित किया जाता है बशर्ते कि वे हर तरह परिपूर्ण हों।

(xii) 31 मार्च, 2014 को शेयरधारण का वितरण

| धारित इक्विटी शेयरों की संख्या | इस तरह से शेयर रखने वाले शेयरधारकों की संख्या | | धारित कुल शेयर | | धारित इक्विटी पूंजी का % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | भौतिक रूप में | डीमैट रूप में | भौतिक रूप में | डीमैट रूप में | भौतिक रूप में | डीमैट रूप में |
| 1–500 | 230880 | 227899 | 40894681 | 39948924 | 2.33 | 2.28 |
| 501–1000 | 951 | 14893 | 728875 | 11879653 | 0.04 | 0.68 |
| 1001–2000 | 170 | 5499 | 247557 | 8323205 | 0.01 | 0.47 |
| 2001–3000 | 25 | 1534 | 62925 | 3905774 | 0.00 | 0.22 |
| 3001–4000 | 7 | 604 | 25008 | 2174475 | 0.00 | 0.12 |
| 4001–5000 | 15 | 476 | 70450 | 2258962 | 0.00 | 0.13 |
| 5001–10000 | 14 | 647 | 100950 | 4637756 | 0.01 | 0.26 |
| 10001 व उससे | 9 | 431 | 326500 | 1637013082 | 0.02 | 93.40 |
| **कुल** | **232071** | **251983** | **42456946** | **1710141831** | **2.42** | **97.58** |

(xiii) 31 मार्च, 2014 को शेयरधारण का स्वरूप

| विवरण | कुल शेयर | प्रतिशत |
|---|---|---|
| ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड | 1255354097 | 71.63 |
| हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड | 297153518 | 16.96 |
| निवासी व्यक्ति | 112186852 | 6.40 |
| अनिवासी व्यक्ति | 8356363 | 0.48 |
| देशी कंपनियां | 17199289 | 0.98 |
| विदेशी संस्था निवेशकर्ता | 8869864 | 0.50 |
| बैंक और वित्तीय संस्थाएं/बीमा/म्यूचुअल फंड | 53455767 | 3.05 |
| केंद्र / राज्य सरकारी संस्थाएं | 2700 | 0.00 |
| न्यास | 20327 | 0.00 |
| **कुल** | **1752598777** | **100.00** |

(xiv) शेयरों का अवमूर्तीकरण और नकदी

31 मार्च, 2014 को 1710141831 इक्विटी शेयर अवमूर्त रूप में रहे जिनका अनुपात 97.58% बनता है।

दोनों प्रवर्तकों, ओएनजीसी और एचपीसीएल ने अपने शेयर, अमूर्त रूप में रखे हैं।

(xv) अदावी/सुपुर्द न किए गए शेयर

| क्रम | विवरण | कुल शेयर | कुल शेयर |
|---|---|---|---|
| 1 | कुल शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर, वर्ष के प्रारंभ में सुपुर्द / दावा किए बगैर पड़े रहे; | 9072 | 1016425 |
| 2 | परिवर्धन : शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर, वर्ष के दौरान (अप्रैल, 12 से मार्च, 13 तक) सुपुर्द / दावा किए बगैर पड़े रहे; | 56 | 11700 |
| 3 | कुल शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान उनके हवाले न किए गए शेयरों के सिलसिले में कंपनी से संपर्क किया; | 84 | 8800 |
| 4 | कुल शेयरधारकों की संख्या जिनको वर्ष के दौरान सुपुर्द न किए गए शेयर लौटाए गए/दोबारा दर्ज किए गए; | 84 | 8800 |
| 5 | वर्ष के अंत में, कुल शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर, ''अदावी शेयर उचत खाते '' में बकाया रहे; | 9044 | 1019325 |

(xvi) बकाया जीडीआर / एडीआर / वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय प्रपत्र, परिवर्तन तारीख और इक्विटी पर उसका प्रभावः कुछ नहीं

(xvii) संयंत्र का स्थान: मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.मुडपाडव, कुत्तेतूर पी.ओ. मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर–575 030 कर्नाटक, भारत

(xviii) पत्राचार का पता:

**पंजीकृत कार्यालय/कंपनी का निवेशकर्ता संबंध कक्ष :**

**मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.(एमआरपीएल)**

- मुडपाडव, कुत्तेतूर पी.ओ. मार्ग काटिपल्ला,
  मंगलूर–575 030. कर्नाटक
  टेलीफोनः 0824–2270400 फैक्स सं.: : 0824–2273300
  ई–मेलः investor@mrplindia.com वेबसाइटः www.mrpl.co.in
- एलजीएफ, मर्केंटाइल हाउस
  15, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001
  टेलीफोनः 011–23463100
  ई–मेलः lrc@mrplindia.com.
- **मेसर्स मेसर्स लिंक इंटाइम इंडिया प्रा. लि (आर एण्ड टी एजेंट)**
  **यूनिटः एमआरपीएल**
  सी–13, पन्नलाला सिल्क मिल्स कम्पाउंड,
  एल बी एस मार्ग, भंडूप (पश्चिम), मुंबई – 400 078
  टेलीफोनः 022–25963838 / 25946970 फैक्स सं.: 022–25946969
  ई–मेलः mrplirc@linkintime.co.in वेबसाइट : www.linkintime.co.in

## निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के बारे में लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सदस्य
मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.
मंगलूर

हमने शेयर बाजारों के साथ उक्त कंपनी के लिस्टिंग संबधी करारनामे के खंड 49 में यथा निदिष्ट 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा कंपनी शासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है।

कंपनी शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रबंधन की जिम्मदारी है। हमारा परीक्षण, कंपनी शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में अपनाई गई क्रियाविधियों एवं उसके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के बराबर है न ही उस पर हमारी राय व्यक्त करने जैसा है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तमक जानकारी के अनुसार तथा कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा प्रबंधन के अभ्यावेदन के बलबूते पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कंपनी के मंडल पर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित बात को छोड़कर जिसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के साथ आगे बढाया जा रहा है, ऊपर उल्लिखित लिस्टिंग संबधी करारनामे के खंड 49 में यथा निर्दिष्ट कंपनी शासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम स्पष्ट करते हैं कि रखे गए और कंपनी के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंटों द्वारा प्रमाणित रेकार्डों के अनुसार, 31 मार्च, 2014 तक कंपनी में कंपनी के खिलाफ़ निवेशकर्ता की कोई भी शिकायत एक महीने से अधिक लंबित नही रही।

हम यह भी व्यक्त करते हैं कि अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का और न ही कंपनी की भावी क्षमता अथवा प्रमाणन का आश्वासन है।

| | |
|---|---|
| कृते गोपाल ऐय्यर एण्ड सुब्रमणियन<br>सनदी लेखाकार<br>फर्म की पंजीकरण सं. : 000960S | कृते ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स<br>सनदी लेखाकार<br>फर्म की पंजीकरण सं. : 003324S |
| सीए. एस. कासी विश्वनाथन्<br>साझेदार<br>सदस्यता सं.026975 | सीए. ए. राघवेंद्र राव<br>साझेदार<br>सदस्यता सं. 007533 |
| स्थानः कोयंबत्तूर<br>दिनांकः 4 जुलाई, 2014 | स्थान : मंगलूर<br>दिनांक : 4 जुलाई, 2014 |

## सांचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल
मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.
पंजीकृत कार्यालयः मुडपाडव, कुत्तेतूर पी. ओ.
मार्ग कटिपल्ला,
मंगलूर – 575030.

हमने मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि. (कंपनी) के 31.3.2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रजिस्टरों, रेकॉर्डों और दस्तावेजों की जांच निम्नलिखित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कीः

- कंपनी अधिनियम, 1956 और अधिनियम के तहत बनाए गए नियम तथा कंपनी अधिनियम, 2013, जहां कहीं लागू हो।
- निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और अधिनियम के तहत बनाए गए विनियम और उप-नियम;
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण), विनियम 1997
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंगी व्यापार निषेध), विनियम 1992;
- बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज लि. और नैशनल स्टॉक एक्सचेंट ऑफ इंडिया लि. के साथ इक्विटी लिस्टिंग संबंधी करार और
- भारतीय उद्योग और सार्वजनिक प्रतिष्ठान मंत्रालय, भारत सरकार के ओ.एम. सं. 18(8)2005-जीएम, दिनांक 14 मई 2010 में यथा निदिष्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए कंपनी शासन संबंधी मार्गनिर्देश (" कंपनी शासन संबंधी डीपीई दिशा-निर्देश")

हमें पेश किए गए रेकॉर्डों के परीक्षण एवं सत्यापन के आधार पर और कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय मेंः

1. हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 (" दी एक्ट ") और अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और इन पहलुओं के बारे में कंपनी के ज्ञापन एवं अंतर्नियमों का पालन किया हैः
   - क. सांविधिक रजिस्टरों और दस्तावेजों का रख-रखाव एवं उनमें आवश्यक प्रविष्टियां पारित करना;
   - ख. कंपनियों के रजिस्ट्रार, कर्नाटक, बेंगलूर के पास, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित समय सीमा के अंदर अपेक्षित फार्म और विवरणियाँ पेश करना।
   - ग. कंपनी द्वारा अपने सदस्यों और कंपनियों के रजिस्ट्रार के संबंध मे दस्तावेज रखना ।
   - घ. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां बंद करना।
   - ङ. मंडल की बैठकों और निदेशकों की समिति की बैठकों की नोटिस;
   - च. परिचलन के जरिए संकल्प पारित करने सहित निदेशकों और निदेशकों की समितियों की बैठकें आयोजित कर चलाना;
   - छ. 23 सितंबर 2014 को संपन्न 25वीं वार्षिक महासभा।
   - ज. सामान्य बैठकों और मंडल एवं उसकी समितियों की बैठकों की कार्रवाई के कार्यवृत्त रेकॉर्ड करना और रखना।
   - झ. निदेशक मंडल, निदेशकों की समिति, सदस्यों और सरकारी प्राधिकारियों का, जहां कहीं अपेक्षित हो, अनुमोदन लेना।
   - ञ. निदेशक मंडल का गठन और निदेशकों की नियुक्ति , निवृत्ति और पुनर्नियुक्ति;

ट. अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और गैर–कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति और उनका पारिश्रमिक।

ठ. निर्दिष्ट समय के अंदर शेयरों का अंतरण और प्रेषण तथा शेयरों के मूल एवं डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करना और सुपुर्द करना; शेयरों का अवमूर्तीकरण/पुनर्मूर्तीकरण;

ड. कंपनी ने, निवेशकर्ता और संरक्षण निधि में, निधि में जमा करने के लिए यथा अपेक्षित तरीके से सभी अदत्त लाभांश निर्दिष्ट समय के अंदर जमा किए और अदा किए।

ढ. अंतर निगमित ऋण और निवेश सहित कंपनी की निधियों का निवेश।

ण. सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का भुगतान।

त. अधिनियम की धारा 233बी के तहत लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

थ. सामान्यतः अधिनियम के दूसरे सभी लागू प्रावधान और उसके अधीन बनाए गए नियम।

2. आगे हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

क. निदेशकों ने ठेकों और व्यवस्थाओं में अपने हित और प्रयोजन को, अन्य कंपनियों में अपने शेयरधारण और निदेशक पद एवं अन्य प्रतिष्ठानों में अपने हितों के बारे में प्रकट किया और मंडल ने उनके प्रकटन को रेकॉर्ड में नोट किया।

ख. निदेशकों ने अपनी नियुक्ति की पात्रता के संबंध में प्रकटन करने संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति की है, वे स्वतंत्र होने के नाते उनके प्रकटन नोट किए गए हैं और मंडल ने रेकॉर्ड किया है और कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति संबंधी तमाम प्रावधानों का पालन किया है।

ग. कंपनी ने, वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 58ए के परिप्रेक्ष्य के अंदर आने वाली जमाराशियों को आमंत्रित/स्वीकार नहीं किया।

घ. कंपनी ने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान जमानती उधार दिए और कंपनी की आस्तियों पर आशोधित प्रभार निर्मित कर लागू कानून का पालन किया।

ङ. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कोई शेयर वापस नहीं खरीदे।

च. वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने, अपने संस्थापन ज्ञापन और बहिर्नियमों के प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं किया।

छ. कंपनी ने, लेखा बहियाँ रखने और वित्तीय विवरण, तैयार करने/अपनाने/फाइल करने, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, मंडल की रिपोर्ट तथा एमसीए के सामान्य परिपत्र सं.08/2014 दिनांक 04.04.2014 में स्पष्ट किए गए तरीके से इन विवरणों की रिपोर्टों के अनुलग्नक रखने के बारे में संबंधित प्रावधानों/अनुसूचियों/कंपनी अधिनियम, 1956 के नियमों का पालन किया है।

ज. कंपनी ने, 23 सितंबर 2013 को संपन्न कंपनी की 25वीं वार्षिक महासभा में सदस्यों को ई–मतदान करने की सुविधा प्रदान नहीं की क्योंकि डाक मतपत्र के जरिए करने के लिए कोई कारोबार नहीं था। डाक मतपत्रों से किए जाने वाले कारोबार के संबंध में शेयरधारकों को ई–मतदान करने की सुविधा, सेबी द्वारा अपने परिपत्र सं.13 जुलाई 2012 के अनुसार किए गए बाजार पूंजीकरण के आधार पर सूचीबद्ध चोटी की 500 कंपनियों को प्रदान करने का अधिदेश जारी किया जो 1 अक्तूबर 2012 के बाद हुई शेयरधारकों की बैठक के लिए लागू होगी।

झ. कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एमआरपीएल की भविष्य निधि नाम का एक न्यास निर्मित किया है। कंपनी ने उक्त न्यास में, कर्मचारियों और नियोजक, दोनों का अंशदान, अधिनियम की धारा 418 का अनुसरण करते हुए निर्धारित समय के अंदर जमा कराया है।

ञ. वित्तीय वर्ष के दौरान, अधिनियम के तहत किसी अपराध के सिलसिले में, कंपनी के खिलाफ कोई अभियोजन नहीं चलाया गया न ही कंपनी को इस सिलसिले में कोई कारण बताओ नोटिस मिला और कंपनी, उसके निदेशकों और अधिकारियों पर न कोई जुर्माना लगाया गया न ही उनको कोई दूसरे तरीके का दंड दिया गया।

3. आगे हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने, प्रतिभूतियों के अवमूर्तीकरण / पुनर्मूर्तीकरण के संबंध में निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के प्रावधानों का पालन किया है और कंपनी द्वारा जारी सभी प्रतिभूतियों के साथ अवमूर्तीकृत प्रतिभूतियों के रेकॉर्डों का समाधान किया है ।

4. आगे हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

i. कंपनी ने बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज लि. और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. के साथ इक्विटी लिस्टिंग संबंधी करार पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षाएँ पूरी की। लेकिन कंपनी के निदेशक मंडल में, स्वतंत्र निदेशकों में से एक एक का कार्यकाल 10.03.2014 को समाप्त होने के बाद यथा 31.03.2014, छह गैर–स्वतंत्र निदेशकों के मुकाबले पाँच स्वतंत्र निदेशक रहे। मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति पर पेट्रोलियम और प्राकृति गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी), भारत सरकार (जीओआई), सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

ii. कंपनी ने, विनियमों के तहत अपेक्षित रेकॉर्डों के प्रकटीकरण और अनुरक्षण के बारे में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम 1997 के प्रावधानों का पालन किया है।

iii. कंपनी ने, विनियमों के तहत अपेक्षित रेकॉर्डों के प्रकटीकरण और रख–रखाव के बारे में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम 1992 के प्रावधानों का पालन किया है।

iv. कंपनी ने, शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्टों का समाधान पेश करने सहित सेबी (निक्षेपागार और सहभागिता) विनियम, 1996 के प्रावधानों का पालन किया है।

4. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि स्वतंत्र निदेशकों के बारे में निदेशक मंडल की संरचना को छोड़कर कंपनी ने कंपनी अभिशासन से संबंधित डीपीई दिशा–निर्देशों का पालन किया है ।

कृते उल्लास कुमार मेलिनमोगरु एण्ड एसोसिएट्स
पेशेवर कंपनी सचिव

उल्लास कुमार मेलिनमोगरु
मालिक
सीपी सं. 6640

दिनांकः : 21/07/2014
स्थान : मंगलूर

## नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **मंगलूर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड** के सदस्यों की 26वीं वार्षिक महासभा, **शनिवार, 13 सितंबर, 2014 को दोपहर 4.00 बजे** मुडपाडव, कुत्तेतूर, पी.ओ. मार्ग कटिपल्ला, मंगलूर - 575 030 में स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में होगी जिसमें निम्नलिखित कारोबार आशोधन के साथ अथवा बगैर, जैसे अनुमति दी जाए, किया जाएगा :

### सामान्य कारोबार

1. 31 मार्च, 2014 तक का तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा के साथ-साथ उस पर निदेशकों, लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करना, उस पर विचार करना और उसे अपनाना।
2. डॉ. पी कल्याणसुंदरम् के स्थान पर, जो आवर्तन के आधार पर सेवानिवृत्त होनेवाले हैं और पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश रखते हैं, निदेशक नियुक्त करना।
3. श्री बी.के. नामदेव के स्थान पर, जो आवर्तन के आधार पर सेवानिवृत्त होनेवाले हैं और पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश रखते हैं, निदेशक नियुक्त करना।
4. वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी के लेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए भारत के नियंत्रक-महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान तय करना और/ अथवा निर्धारित करना।

### विशिष्ट कारोबार

5. श्री डी के सर्राफ़ (डीआईएनः00147870) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

   श्री सुधीर वासुदेव की सेवानिवृत्ति होने के बाद श्री डी के सर्राफ़ को 01/03/2014 से कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

   श्री डी के सर्राफ़ को, कंपनी के अंतर्नियमों के अंतर्नियम 40 का अनुसरण करते हुए 01/03/2014 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया जो उक्त अंतर्नियम और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अधीन इस वार्षिक महासभा की तारीख तक ही अपना पद संभालेंगे। कंपनी के निदेशक के पद के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में श्री डी.के. सर्राफ़ का नाम सुझाते हुए ओएनजीसी लि.(प्रवर्तक कंपनी) से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 का अनुसरण करते हुए ₹1,00,000/- की जमाराशि के साथ नोटिस मिली है।

   नीचे उल्लिखित संकल्प पर विचार कर उसे साधारण संकल्प के रूप में पारित करने पर विचार किया गया।

   ‘‘ **यह संकल्प पारित किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 के प्रावधानों और लागू अन्य सभी प्रावधानों तथा कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता)नियम, 2014 और लिस्टिंग करारनामे के खंड 49 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, श्री डी.के. सर्राफ़ (डीआईएन 00147870), को, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के प्रावधानों और कंपनी के अंतर्नियमों का अनुसरण करते हुए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक महासभा की तारीख तक अपना पद संभालेंगे, एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में निर्वाचित कर नियुक्त किया गया है।‘‘

6. कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि और कंपनी के बहिर्नियमों में संशोधन।

   विचार कर ठीक समझे जाने पर नीचे उल्लिखित संकल्प, साधारण संकल्प के रूप में पारित करनाः

   “ यह संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13, 61(1)(क)और अगर लागू हो तो अन्य लागू प्रावधान(नों) (किसी सांविधिक आशोधन(नों) अथवा इस समय प्रवृत्त उसके पुनःअधिनियमन सहित)का अनुसरण करते हुए, कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी को प्रत्येक ₹10/-के 190,00,00,000 (एक सौ और नब्बे करोड़)में विभाजित ₹20,00,00,00,000/-(दो हजार करोड़) और प्रत्येक ₹10/-के 10,00,00,000 (दस करोड़)प्रतिदेय अधिमानी शेयरों से प्रत्येक ₹10/-के 290,00,00,000 (दो सौ और नब्बे करोड़)में विभाजित ₹30,00,00,00,000/-(तीन हजार करोड़) और प्रत्येक ₹10/-के 10,00,00,000 (दस करोड़)प्रतिदेय अधिमानी शेयरों तक बढ़ाई जाए।”

   “आगे यह संकल्प पारित किया गया कि प्राधिकृत रकम से संबंधित कंपनी के बहिर्नियमों के मौजूदा खंड V को हटाया जाए और उसे हटाते हुए उसके स्थान पर कंपनी के बहिर्नियमों का नीचे उल्लिखित नया खंड V शामिल किया गयाः-

   खंड V: (कंपनी के बहिर्नियम)

   कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी, प्रत्येक ₹10/-के 290,00,00,000 (दो सौ और नब्बे करोड़)में विभाजित ₹30,00,00,00,000/-(तीन हजार करोड़) और प्रत्येक ₹10/-के 10,00,00,000(दस करोड़)प्रतिदेय अधिमानी शेयर है जब कि कंपनी की पूंजी को बढ़ाने अथवा घटाने और पूंजी में शेयरों को इस समय कई श्रेणियों में विभाजित करने का और इन अधिमानी, अर्हता प्राप्त अथवा विशिष्ट अधिकारों, विशेषाधिकारों और शर्तों को क्रमशः इस तरह से कुर्क करने का जिसके लिए कानून में इजाजत दी गई हो और/अथवा इस समय कंपनी के अंतर्नियमों द्वारा तय हुआ हो अथवा अंतर्नियमों के अनुसार हो और इन अधिकारों, विशेषाधिकारों अथवा शर्तों को इस तरह से बदलने, आशोधित करने अथवा उनका निराकरण करने का जिसके लिए इसय समय कंपनी के अंतर्नियमों में प्रावधान किया गया हो, अधिकार है।

7. कंपनी के अंतर्नियमों के नियम 4 में परिवर्तन करनाः

   विचार कर ठीक समझे जाने पर नीचे उल्लिखित संकल्प, विशिष्ट संकल्प के रूप में पारित करनाः

   यह संकल्प पारित किया गया कि इस समय प्रवृत्त, कंपनी अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों और अगर कोई अन्य प्रावधान लागू हो तो उन सभी प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, कंपनी के अंतर्नियमों के मौजूदा अंतर्नियम 4 को हटाते हुए उसके स्थान पर कंपनी के अंतर्नियमों का नीचे उल्लिखित नया अंतर्नियम 4 शामिल किया गया है अर्थात्ः अंतर्नियम 4. कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी, प्रत्येक ₹10/-के 290,00,00,000 (दो सौ और नब्बे करोड़)में विभाजित ₹30,00,00,00,000/-(तीन हजार करोड़) और प्रत्येक ₹10/-के 10,00,00,000 (दस करोड़)प्रतिदेय अधिमानी शेयर है जब कि कंपनी की पूंजी को बढ़ाने अथवा घटाने और पूंजी में शेयरों को इस समय कई श्रेणियों में विभाजित करने का और इन अधिमानी, अर्हता प्राप्त अथवा विशिष्ट अधिकारों, विशेषाधिकारों और शर्तों को क्रमशः इस तरह से कुर्क करने का जिसके लिए कानून में इजाजत दी गई हो और/अथवा इस समय कंपनी के अंतर्नियमों द्वारा तय हुआ हो अथवा अंतर्नियमों के अनुसार हो और इन अधिकारों, विशेषाधिकारों अथवा शर्तों को इस तरह से बदलने, आशोधित करने अथवा उनका निराकरण करने का जिसके लिए इस समय कंपनी के अंतर्नियमों में प्रावधान किया गया हो, अधिकार है।

बोर्ड के आदेश से
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

दिनांकः
पंजीकृत कार्यालयः
मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेलिकल्स लिमिटेड
मुडपाडव, कुत्तेतूर पी.ओ. मार्ग काटिपल्ला,
मंगलूर-575 030

टिप्पणियां:

1. कंपनी ने अधिसूचित किया है कि ई–मतदान करने और 26वीं वार्षिक महासभा के लिए पात्र सदस्यों का निर्धारण करने की खातिर सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर अंतरण बहियां, **बुधवार, 30 जुलाई, 2014 से लेकर शनिवार, 2 अगस्त, 2014** (दोनों दिन समेत)तक बंद रहेंगी।
2. वार्षिक महासभा में भाग लेकर मतदान करने के लिए पात्र सदस्य, अपने स्थान पर किसी प्रॉक्सी को नियुक्त करने और उससे मतदान कराने के लिए भी पात्र होगा जब कि यह ज़रूरी नहीं है कि ऐसा प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य हो। प्रॉक्सी फ़ार्म, कंपनी के पास उसके पंजीकृत कार्यालय में, 26वीं वार्षिक महासभा शुरू होने से ठीक अड़तालीस घंटे पहले पेश करना होगा ।
   एक व्यक्ति, अधिकतम पचास सदस्यों की तरफ से प्रॉक्सी बन सकता है और मतदान अधिकार के साथ कंपनी की कुल शेयर पूंजी के अधिकतम दस प्रतिशत शेयर रख कर सकता है। मतदान अधिकार के साथ कंपनी की कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाला व्यक्ति, एक ही व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति अथवा शेयरधारक के लिए प्रॉक्सी नहीं बन सकेगा।
3. मतदान करने के लिए पात्र व्यक्ति, कंपनी की 26वीं वार्षिक महासभा में किए जाने वाले, नोटिस में दिए गए तमाम कारोबार के सिलसिले में, ई–मतदान के जरिए अपने मताधिकार का, सीएसडीएल के ई–मतदान मंच (www.evotingindia.com)पर प्रयोग कर सकेगा। । ई–मतदान संबंधी अनुदेश के लिए कृपया पृष्ठ सं. 47 देखें। ई–मतदान करने संबंधी अनुदेश, सीएसडीएल के ई–मतदान मंच (www.evotingindia.com) पर भी दिए गए हैं। ई–मतदान नोटिस प्रकाशित करने से पहले पात्र शेयरधारकों को डाक और ई–मेल से, एजीएम संबंधी नोटिस, ई–मतदान संबंधी अनुदेश और 26वीं वार्षिक रिपोर्ट भेजी जाएगी।
4. महासभा में भाग लेकर मतदान करने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने का इरादा रखने वाले कंपनी के सदस्यों से अनुरोध है कि वे महासभा में भाग लेकर मतदान करने के लिए उनके प्रतिनिधि को प्राधिकृत करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अपना नामांकन पत्र भेजें।
5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के साथ पठित कंपनी के अंतर्नियमों के अंतर्नियम 151 से 153 के अनुसार, श्री पी कल्याणसुंदरम् और श्री बी.के. नामदेव 26वीं एजीएम में आवर्तन से निवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते पुनर्नियुक्ति के लिए अपनी ही पेशकश करते हैं।
6. महासभा में किए गए जाने वाले विशिष्ट कारोबार के सिलसिले में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) का अनुसरण करते हुए एक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न किया गया है।
7. उपस्थिति पर्ची और प्रॉक्सी फार्म के साथ 26वीं एजीएम की नोटिस और ई–मतदान संबंधी अनुदेश, उन सभी सदस्यों को, जिनके ई–मेल पते कंपनी/निक्षेपागार के सहभागी(सहभागियों) को, जब तक किसी सदस्य ने उसकी मुद्रित प्रतिलिपि की दरख्वास्त न की हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजे जा रहे हैं।
8. संलग्न की गई नोटिस में निर्दिष्ट संबंधित दस्तावेजों का, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, कंपनी के तमाम कार्यदिवस कारोबार समय के दौरान वार्षिक महा सभा की तारीख तक, कंपनी के सदस्यों के निरीक्षण के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध होंगे।
9. डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से निवेदन है कि वे, अपने पते में अथवा बैंक के अधिदेश में कोई परिवर्तन होने पर उस बारे में फौरन, अपने उन निक्षेपागार सहभागियों को सूचित करें जिनके पास उनके डीमैट खाते रखे गए हों। मूर्त रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से गुज़ारिश है कि वे, अपने पते में कोई परिवर्तन होने पर उस बारे में फौरन हमारे आर एण्ड टी एजेंट, मेसर्स लिंक इंटाइम, मुंबई को इत्तला करें।
10. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)ने प्रतिभूति बाजार में हर एक सहभागी के लिए स्थाई खाता संख्या (पैन)संख्या पेश करना अनिवार्य बनाया है। इसलिए डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे, अपना पैन, उस निक्षेपागार सहभागी को पेश करें जिनके पास उन्होंने अपने डीमैट खाते रखे हों। मूर्त रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, अपने पैन के ब्यौरे, हमारे आर एण्ड टी एजेंट, मेसर्स लिंक इंटाइम, मुंबई को सूचित कर सकते हैं।
11. अलग–अलग बही पन्नों के तहत एक ही नाम से एक से अधिक शेयर प्रमाणपत्र रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे इन बही पन्नों का समेकन कराने के लिए आवेदन करें और हमारे आर एण्ड टी एजेंट, मेसर्स लिंक इंटाइम, मुंबई के पास संबंधित शेयर प्रमाणपत्र भेजें।
12. कंपनी ने दोनों निक्षेपागारों के साथ क़रारनामे पर हस्ताक्षर किए है जैसे प्रतिभूतियों की अभिरक्षा और उनके अवमूर्तीकरण के लिए नैशनल सेक्यूरिटीस डिपॉसिटरीस लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉसिटरीस सर्वीसस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)। कंपनी ने एनएसडीएल और सीडीएसएल को वर्ष 2013–14 के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क अदा किया है। सदस्य , एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के निक्षेपागार सहभागियों में से किसी से भी संपर्क करते हुए निक्षेपागार सुविधाएं पा सकते हैं।
13. मूर्त रूप में और ख़ासकर एक ही नाम से शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी को अपने नामांकन के विवरण पेश करते हुए उक्त सुविधा का फ़ायदा उठाएँ । शेयर धारक, कंपनी के वेबसाईट www.mrpl.co.in. में उपलब्ध '' इन्वेस्टर्स सर्वीसस '' लिंक से निर्धारित नामांकन फ़ार्म डाउनलोड कर सकते हैं ।
14. सदस्यों से दरख्वास्त की जाती है कि वे, कंपनी के पास अपना ई–मेल रजिस्टर कराने / अद्यतन बनाने के लिए विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित अपनी लिखित दरख़्वास्त, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट , मेसर्स लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास भेजें ताकि वे अपने ई–मेल पते के जरिए सूचनाएं पा सकें। सदस्य, अपने निक्षेपागार के पास भी अपने ई–मेल पते को रजिस्टर करा सकते हैं / अद्यतन बना सकते हैं ।
15. कंपनी ने बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज लि. और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. में अपने शेयरों को सूचीबद्ध किया है। वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए दोनों शेयर बाजारों में अद्यतन लिस्टिंग शुल्क अदा किया गया है।
16. निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के संबंध में, संबद्ध निदेशकों के ब्योरे सहित संक्षिप्त सार वृत्त, सदस्यों के सूचनार्थ इस नोटिस के साथ संलग्न किया गया है।

## नोटिस का अनुबंध

**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1)का अनुसरण करते हुए व्याख्यात्मक कथन**

नीचे उल्लिखित व्याख्यात्मक कथन में, संलग्न की गई नोटिस में उल्लिखित विशिष्ट कारोबार के सिलसिले में सभी महत्वपूण तथ्यों को उजागर किया गया है:

**मद सं. 5:**

श्री सुधीर वासुदेव की सेवानिवृत्ति होने के बाद श्री डी के सर्राफ़ (डीआईएन:00147870) को 01/03/2014 से कंपनी के अध्यक्ष/अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री डी के सर्राफ़ को, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के साथ पठित कंपनी के अंतर्नियमों के अंतर्नियम 140 का अनुसरण करते हुए 01/03/2014 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री डी के सर्राफ़, 26वीं वार्षिक महासभा की तारीख तक अपना पद संभालेंगे।

कंपनी के निदेशक के पद के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में श्री डी.के. सर्राफ़ का नाम सुझाते हुए ओएनजीसी लि.(प्रवर्तक कंपनी) से लिखित रूप में ₹1,00,000/- की जमाराशि के साथ नोटिस मिली है।

कंपनी का, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम 2014 के नियम 2 का अनुसरण करते हुए श्री डी के सर्राफ़ से फार्म डीआईआर 2 में निदेशक के रूप में कार्य संभालने की सहमति मिली है। श्री डी के सर्राफ़, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अनर्ह नहीं हैं।

शेयर बाजारों के साथ लिस्टिंग संबंधी करारनामे के खंड के तहत यथा निर्दिष्ट, श्री डी के सर्राफ़ का सारवृत्त, निर्दिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनकी विशेषता का स्वरूप और उनके कंपनियों के नाम, जिनमें इन्होंने निदेशक का पद संभाला/सदस्य रहे / मंडल की समितियों के अध्यक्ष रहें, शेयरधारण और निदेशकों के परस्पर संबंधों के बारे में जानकारी, यहां नीचे दी गई है।

तदनुसार, निदेशक, इस मद में निर्दिष्ट संकल्प की, अनुमोदनार्थ सिफारिश करते हैं। श्री डी के सर्राफ़ को छोडकर बाकी के किसी भी निदेशक को इस संकल्प से न कोई सरोकार है न ही कोई दिलचस्पी है।

**मद सं. 6 व 7:**

आपकी कंपनी की प्राधिकृत पूंजी ₹2000 करोड़ है जिसमें प्रत्येक ₹10/- के 190 करोड़ इक्विटी शेयर हैं और प्रत्येक ₹10/- के 10 करोड़ प्रतिदेय अधिमानी शेयर हैं। 31/03/2014 को आपकी कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹1752.59 करोड़ रही।

आप जानते हैं कि आपकी कंपनी, अधिक मूल्य वर्धित उत्पाद बनाने की खातिर अनेक अनुप्रवाह प्रोसेसिंग यूनिटें स्थापित करने वाली है। आपकी कंपनी, बेहतर तालमेल बिठाने के लिहाज से पेट्रोकेमिकल यूनिटें खरीदने की संभावनाओं की खोजबीन भी कर रही है। आपकी कंपनी ने कर्नाटक सरकार के साथ, लीनियर अल्काइल बेंज़ीन (एलएबी) संयंत्र लगाने (अपमार्जक बनाने के लिए ज़रूरी कच्चा माल)और मंगलूर में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और अपेक्षित संरचना की उपलब्धता के अधीन रु. 8,500 करोड़ के अनुमानित निवेश पर 3 से 6 वर्षों में अपनी परिष्करण क्षमता को 18/21 एमएमटीपीए तक बढाने के लिए, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)ने सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को मौजूदा 10% के बदले न्यूनतम 25% के सार्वजनिक शेयरधारण रखने का अधिदेश देते हुए प्रतिभूति संविदा विनियम अधिनियम, 1956 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है।

इस समय आपकी कंपनी के प्रवर्तक का शेयरधारण 88.58% है और फ्री फ्लोट सार्वजनिक शेयरधारण 11.42% है। न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारण संबंधी मानदंडों के संबंध में एसईबीआई के प्रस्तावित कदम को ध्यान में रखते हुए, एक पीएसयू होने के नाते फ्री फ्लोट सार्वजनिक शेयरधारण को 25% तक बढ़ाने के लिए या तो प्रवर्तकों के शेयर बचने होंगे या नए शेयरों का निर्गमन करना होगा। तदनुसार, स्थिति को संभालने के लिए आपके कंपनी के पास उपलब्ध तरीके हैं एफपीओ, आईपीपी, नीलामी पद्धति अथवा अधिमानी आबंटन।

तरक्की के उक्त उद्देश्यों, भावी परियोजनाओं की पूर्ति करने की दृष्टि से और अपनी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनाने की खातिर और साथ ही आपकी कंपनी में प्रस्तावित न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारण की 25% की अपेक्षा की पूर्ति करने के लिहाज से, आपकी कंपनी प्रधिकृत शेयर पूंजी को ₹ 2,000 करोड़ से ₹ 3,000 करोड़ बढ़ाने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजन के लिए संलग्न की गई नोटिस की मद सं.12 और 13 में यथा निर्दिष्ट प्राधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाते हुए आपकी कंपनी बहिर्नियमों और अंतर्नियमों में उपयुक्त तरीके से परिवर्तन करने का विचार किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को अपनी प्राधिकृत पूंजी बढ़ाने और अपने बहिर्नियमों और अंतर्नियमों के परिवर्तन करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन लेना पड़ेगा।

तदनुसार निदेशक मंडल, आपके अनुमोदनार्थ संलग्न की गई नोटिस की मद सं. 12 और 13 में यथा निर्दिष्ट संकल्प की सिफ़ारिश करता है।

आपकी कंपनी के किसी भी निदेशक का उक्त संकल्पों से न कोई सरोकार है न ही उसमें कोई दिलचस्पी है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(3) का अनुसरण करते हुए कंपनी के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों की प्रतिलिपियां, सदस्यों द्वारा निरीक्षणार्थ, 26वीं वार्षिक महासभा की तारीख तक किसी भी कार्य दिवस, कारोबार समय के दौरान उपलब्ध होंगी।

## 26वीं वार्षिक महासभा में नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के ब्यौरे

| निदेशक का नाम | श्री पी. कल्याणसुंदरम् | श्री बी.के. नामदेव | श्री डी.के. सर्राफ़ |
|---|---|---|---|
| जन्म तिथि | 25/12/1954 | 17/10/1956 | 03/09/1957 |
| नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति तारीख | 15/04/2013 | 01/07/2013 | 01/03/2014 |
| निदिष्टि कार्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता | श्री पी. कल्याणसुंदरम्, कानून के स्नातक हैं और भूविज्ञान, अर्थ शास्त्र और कारोबार प्रशासन में मास्टर्स एवं वाणिज्य में एम.बी.ए., एम.फिल, अर्थशास्त्र में एम.ए., सामाजिक विज्ञान में एम.फिल, सार्वजनिक प्रशासन में मास्टर्स डिप्लोमा और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में पीएच.डी. पदवी हासिल की है।<br>इस समय ये, संयुक्त सचिव (एमओपी एण्ड एनजी)हैं और इन्होंने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न पद संभाले हैं। | श्री बी.के. नामदेव, मैकेनिकल इंजीनियर है जिन्होंने आई.आई.टी., मुंबई से औद्योगिक प्रबंधन में स्नातक पदवी हासिल की है। इनको रिफाइनरी कामकाज अर्थात्. अनुरक्षण , प्रचालन और परियोजना विभागों में 33 वर्ष से अधिक अनुभव है। इन्होंने महत्वपूर्ण मीलपत्थर कायम करने जैसे राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (आरआरएल) की मेगा परियोजना में रेकॉर्ड समय में सीसीईए का अनुमोदन हासिल करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। | श्री डी.के. सर्राफ़, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक एवं ओएनजीसी समूह कंपनियों के अध्यक्ष हैं।<br>इनको तेल और गैस उद्योग में तीन दशक से अधिक अनुभव है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत, भारत की दूसरी सबसे बड़ी अप्पस्ट्रीम तेल कंपनी – ऑयल इंडिया लिमिटेड से की जिसमें 1991 तक काम किया। इन्होंने 1991 में ओएनजीसी में कदम रखा और कार्पोरेट कार्यालयों में विभिन्न महत्वपूर्ण पद संभाले। |
| अर्हता | एम.एससी (भूविज्ञान); एलएलबी; एम.फिल (वाणिज्य); एम.ए. (अर्थशास्त्र); एम.फिल (समाज विज्ञान); सार्वजनिक प्रशासन में मास्टर्स डिप्लोमा; अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में (पी.एचडी). | मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और औद्यागिक प्रबंधन में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई से मास्टर्स इन टेक्नॉलजी | ये, प्रतिष्ठित श्री राम कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक और पोस्ट ग्रैजुएट हैं।<br>ये, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सह–सदस्य हैं। |
| अन्यत्र संभाले गए निदेशक पदों की सूची | | 1. एचपीसीएल<br>2. एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड<br>3. प्राईज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड<br>4. क्रेडा –एचपीसीएल बायो फ्यूलएल्स लिमिटेड<br>5. एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड | 1. ऑयल एण्ड नैचुरल गैस लिमिटेड<br>2. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड<br>3. ओएनजीसी पेट्रो–एडिशन्स लिमिटेड<br>4. मंगलूर एसईज़ड्<br>5. ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड<br>6. पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड<br>7. ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड<br>8. ओएनजीसी–मित्तल एनर्जी लिमिटेड |
| कंपनी के निदेशक मंडल की समितियों के अध्यक्ष/सदस्य | मानव संसाधन प्रबंधन समिति – सदस्य<br>का पारिश्रमिक / नामांकन समिति – सदस्य | परियोजना मूल्यांकन और क्रियान्वयन / एचएसई समिति – सदस्य | |
| अन्य कंपनियों के, जिसमें वे एक निदेशक हों, निदेशक की समितियों के अध्यक्ष / सदस्य | - | - | - |
| 31 मार्च, 2014 को एमआरपीएल में धारित शेयर | - | - | 100 |

## ई–मतदान संबंधी अनुदेश

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन)नियम, 2014 और लिस्टिंग के खंड 35 बी के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 1.8 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए सदस्यों से अनुरोध है कि वे, शनिवार, 13 सितंबर, 2014 को अपराह्न 4.00 बजे होने वाली 26$^{वीं}$ वार्षिक महासभा के बारे में दी गई नोटिस में यथा निर्दिष्ट समस्त संकल्पों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना मतदान करें। कंपनी ने, ई–मतदान सुविधा के लिए सेंट्रल डिपॉसिटरी सर्वीसस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)की सेवाओं का उपभोग किया है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना मतदान करते समय नीचे दिए गए अनुदेशों का पालन करें।

**सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतदान करने संबंधी अनुदेश इस प्रकार हैं:–**

**ई–मेल प्राप्त करने वाले सदस्यों के मामले में:**

ई–मतदान संबंधी वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉगऑन करें।

(i) "Shareholders" टैब पर क्लिक करें।

(ii) अब ड्रॉप डाउन मेनू से मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेलिकल्स लिमिटेड को चुनें और "SUBMIT" पर क्लिक करें।

(iii) अब अपना यूज़र ID दर्ज करें

क. CDSL के लिए: 15 अंकों का हिताधिकारी का ID,

ख. NSDL के लिए : 8 अक्षरों का DP ID दर्ज करने के बाद 8 अंकों का ग्राहक का ID,

ग. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या दर्ज करनी होगी।

(iv) आगे, प्रदर्शित की गई छवि सत्यापन दर्ज करें और Login पर क्लिक करें।

अगर आपके शेयर डीमैट रूप में हो और www.evotingindia.com में लॉग ऑन करते हुए किसी कंपनी की पूर्व मतदान प्रक्रिया में मतदान किया हो तो आपको अपने वर्तमान पासवर्ड का उपयोग करना होगा।

अगर आप प्रथम बार उपयोग कर रहे हों तो नीचे उल्लिखित कदमों का पालन करें:

| | **डीमैट और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए** |
|---|---|
| PAN* | आय कर विभाग द्वारा दिए गए 10 अंकों वाले अपना वर्ण संख्यात्मक *PAN दर्ज करें (डीमैट शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों, दोनों के लिए लागू)<br>• जिन सदस्यों ने कंपनी/निक्षेपागार सहभागिता के पास अपना PAN अद्यतित न किया हो उनसे अनुरोध है कि वे PAN फील्ड में अपने नाम के पहले दो अक्षरों का और डीमैट खाते/फोलियो संख्या के अंतिम 8 अंकों का उपयोग करें।<br>• अगर फोलियो संख्या 8 अंकों से कम हो तो नाम के पहले दो वर्णों के बाद संख्या से पहले लागू 0 को मोटे अक्षरों में दर्ज करें। उदाहरण के लिए अगर आपका नाम रमेश कुमार हो और आपकी फोलियो संख्या 100 हो तो PAN फील्ड में RA00000100 दर्ज करें। |
| DOB# | उक्त डीमैट खाते अथवा फोलियो के लिए आपके खाते में अथवा कंपनी के रेकॉर्डों में दर्ज की गई जन्म तिथि dd/mm/yyyy प्रारूप में प्रविष्ट करें। |
| लाभांश बैंक के ब्यौरे # | उक्त डीमैट खाते अथवा फोलियो के लिए आपके डीमैट खाते में अथवा कंपनी के रेकॉर्डों में दर्ज किए गए लाभांश बैंक के ब्यौरे प्रविष्ट करें।<br>• login करने की दृष्टि से कृपया डीओबी अथवा लाभांश बैंक के ब्यौरे दर्ज करें। अगर ये ब्यौरे, निक्षेपागार अथवा कंपनी के पास रेकार्ड न हुए हों तो कृपया आप, निर्दिष्ट तारीख तक धारित आपके शेयरों की संख्या, लाभांश बैंक के ब्यौरे से संबंधित फील्ड में दर्ज करें। |

(v) ये ब्यौरे ठीक तरह से दर्ज करने के बाद, "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें।

(vi) तदनंतर भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को सीधे कंपनी चयन स्क्रीन पर ले जाया जाएगा। लेकिन, डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब 'Password Creation' मेनू तक पहुंचेंगे जिसमें उनको नए पासवर्ड फील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड अनिवार्य तौर पर दर्ज करना होगा। कृपया नोट करें कि अगर किसी दूसरी कंपनी के संकल्पों के बारे में मतदान करने के लिए पात्र हों तो ऐसा मतदान करते समय डीमैट धारकों द्वारा इसी पासवर्ड का उपयोग करना होगा, बशर्ते कि कंपनी, सीएसडीएल मंच के जरिए ई–मतदान प्रक्रिया अपनाना पसंद करे। अपना पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति के साथ न बांटने और अपना पासवर्ड गुप्त रखने पर सर्वाधिक ध्यान की पुरजोर अनुशंसा की जाती है।

(vii) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, विवरणों का इस नोटिस में दिए गए संकल्पों पर ई–मतदान करने के लिए ही उपयोग कर सकते हैं।

(viii) मतदान करते समय मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के लिए EVSN पर क्लिक करें।

(ix) मतदान पृष्ठ पर, आप "RESOLUTION DESCRIPTION" और उसी विकल्प के सामने मतदान करने के लिए "YES/NO" देखेंगे। अपनी इच्छानुसार विकल्प YES or NO चुनें। विकल्प YES का निहितार्थ है कि आप संकल्प के पक्षधर हैं और NO का मतलब है कि आप संकल्प कबूल नहीं करते हैं।

(x) अगर आप संकल्प के समग्र ब्यौरे देखना चाहें तो "RESOLUTIONS FILE LINK" पर क्लिक करें।

(xi) मतदान करने के लिए तय किया गया अपना संकल्प चुनने के बाद "SUBMIT" क्लिक करें। एक पुष्टीकरण बक्सा प्रदर्शित होगा। अगर आप अपने मतदान की पुष्टि करना चाहे तो "OK" पर क्लिक करें नहीं तो अपना मतदान बदलने के लिए, "CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने मतदान में संशोधन करें।

(xii) संकल्प पर एक बार अपने मतदान को "CONFIRM" करने के बाद, आपको अपने मतदान में संशोधन करने नहीं दिया जाएगा।

(xiii) आप अपने मतदान की मुद्रित प्रतिलिपि भी ले सकते हैं जिसके लिए आपको मतदान पृष्ठ पर विकल्प "Click here to print" पर क्लिक करना होगा।

(xiv) अगर डीमैट खाता धारक, अपना बदला हुआ पासवर्ड भुला चुका हो तो उपयोगकर्ता ID और छवि सत्यापन कोड दर्ज करने के बाद Forgot Password पर क्लिक करें तथा सिस्टम के संकेत के अनुसार ब्यौरे दर्ज करें।

- संस्थागत शेयरधारकों को (अर्थात्; व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न), https://www.evotingindia.co.in पर लॉग ऑन कर अपने आपको कंपनी की हैसियत रजिस्टर कराना होगा।
- उनको, प्रतिष्ठान के स्टांप और हस्ताक्षर समेत पंजीकरण फार्म की स्कैन की गई प्रतिलिपि helpdesk.evoting@cdslindia.com को प्रस्तुत करनी होगी।
- ब्यौरे मिलने के बाद उनको नया उपयोगकर्ता बनाना होगा जो उस(उन)खाते(तों)को लिंक कर सकेगा जिस पर वे मतदान करना पसंद करें।
- खातों की सूची मेल से helpdesk.evoting@cdslindia.com के पते पर भेजी जाए और खातों के लिए अनुमोदन मिलने के बाद वे अपना मतदान कर सकेंगे।
- उनको मंडल के संकल्प की और अभिरक्षक के पक्ष में अगर उन्होंने जो मुख्तारनामा (पीओए) जारी किया हो तो उसकी स्कैन की गई एक प्रतिलिपि सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करनी होगी जिससे कि संवीक्षक उसका सत्यापन कर सके।

**भौतिक प्रतिलिपि प्राप्त करने वाले सदस्यों के मामले में:**

(अ) मतदान करने के लिए कृपया ऊपर क्रम सं (i) से क्रम सं. (xvii) में दिए गए कदमों का पालन करें।

(आ) मतदान अवधि 25 अगस्त, 2014 (प्रातः 9.00)को शुरू होगी और 27 अगस्त, 2014 (सायं 5.30)को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, 29 जुलाई, 2014 की निर्दिष्ट तारीख तक (रेकॉर्ड तारीख)या तो भौतिक रूप में या अवमूर्त रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के शेयरधारक अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर सकेंगे। उसके बाद मतदान करने के लिए सीएसडीएस द्वारा ई–मतदान मॉड्यूल अक्षम किया जाएगा।

(इ) अगर ई–मतदान को लेकर आपके कोई सवाल हों या कोई समस्याएं हों तो मदद खंड के तहत www.evotingindia.co.in में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (एफएक्यू) और ई–मतदान संबंधी पुस्तिका देख सकते हैं अथवा www.evotingindia.co.in को ई–मेल भेज सकते हैं।

## पाँच वर्ष के निष्पादन की एक झलक

| | | | | | (₹ दशलक्ष में ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2013–14 | 2012–13 | 2011–12 | 2010–11 | 2009–10 |
| हमारी देयताएं | | | | | |
| शेयर पूंजी | 17,526.64 | 17,526.64 | 17,572.57 | 17,618.50 | 17,618.50 |
| आरक्षित निधि | 53,162.08 | 47,150.26 | 54,719.37 | 47,670.51 | 38,347.02 |
| निवल मालियत | **70,688.72** | **64,676.90** | **72,291.94** | **65,289.01** | **55,965.52** |
| उधार | 97,927.21 | 75,576.54 | 61,831.10 | 15,569.75 | 16,963.97 |
| आस्थगित कर देयता | 4,702.69 | 7,343.28 | 4,531.40 | 3,471.64 | 6,602.22 |
| कुल | **173,318.62** | **147,596.72** | **138,654.44** | **84,330.40** | **79,531.71** |
| | | | | | |
| हमारी स्वाधिकृत पूंजी | | | | | |
| अचल आस्तियां (पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित) | 208,025.23 | 188,929.44 | 161,134.49 | 130,871.85 | 92,954.50 |
| घटाएँ: मूल्यह्रास | 62,595.55 | 55,578.31 | 49,644.32 | 45,301.36 | 41,428.08 |
| | **145,429.68** | **133,351.13** | **111,490.17** | **85,570.49** | **51,526.42** |
| आस्थगित कर संबंधी आस्ति | – | – | – | – | – |
| निवेश | 150.02 | 150.02 | 422.80 | 948.25 | 16,236.62 |
| निवल चालू आस्तियाँ | 27,738.92 | 14,095.57 | 26,741.47 | (2,188.34) | 11,768.67 |
| कुल | 173,318.62 | 147,596.72 | 138,654.44 | 84,330.40 | 79,531.71 |
| | | | | | |
| आय | | | | | |
| बिक्री (निवल उत्पाद शुल्क) | 718,104.96 | 656,915.16 | 537,633.43 | 389,566.73 | 318,851.74 |
| अन्य आय | 3,244.67 | 1,160.36 | 3,543.09 | 2,171.83 | 2,915.12 |
| विनिमय में उतार–चढ़ाव (निवल) : अभिलाभ | – | – | – | 184.48 | 3,903.97 |
| स्टॉक में वृद्धि/(अवनति) | 6,740.75 | 11,161.53 | 1,502.05 | 8,152.71 | 2,958.77 |
| कुल | 728,090.38 | 669,237.05 | 542,678.57 | 400,075.75 | 328,629.60 |
| | | | | | |
| व्यय | | | | | |
| कच्चा माल | 707,406.32 | 654,001.82 | 512,367.50 | 372,193.37 | 302,308.74 |
| परिचालन खर्च | 2,603.87 | 2,235.03 | 2,431.61 | 2,270.15 | 1,679.76 |
| स्टॉक पर बिक्री कर और उत्पाद शुल्क (निवल) | 199.63 | 217.99 | (606.16) | 647.77 | 894.23 |
| वेतन और अन्य खर्च | 2,154.74 | 1,845.60 | 1,606.42 | 1,845.35 | 958.95 |
| विनिमय में उतार–चढ़ाव (निवल) : क्षति | 19.03 | 5,364.91 | 6,482.20 | – | – |
| प्रशासनिक और अन्य खर्च | 1,331.25 | 1,010.53 | 789.47 | 786.27 | 821.22 |
| ब्याज | 3,214.41 | 3,285.53 | 2,066.77 | 1,043.73 | 1,154.98 |
| मूल्यह्रास | 7,064.17 | 6,044.10 | 4,338.73 | 3,914.19 | 3,893.27 |
| कुल | 723,993.42 | 674,005.51 | 529,476.54 | 382,700.83 | 311,711.15 |
| | | | | | |
| कर पूर्व लाभ | 4,096.96 | (4,768.46) | 13,202.03 | 17,374.92 | 16,918.45 |
| कराधान के लिए प्रावधान | (1,914.86) | 2,800.65 | 4,116.25 | 5,608.59 | 5,794.68 |
| कर उपरांत लाभ | 6,011.82 | (7,569.11) | 9,085.78 | 11,766.33 | 11,123.77 |
| लाभांश | – | – | 1,752.60 | 2,103.13 | 2,103.13 |
| लाभांश वितरण कर | – | – | 284.32 | 341.18 | 349.30 |
| जीआरएम($/bbl) | 2.67 | 2.45 | 5.60 | 5.96 | 5.51 |
| मध्य आसुत उत्पादन (% में) | 54.69 | 55.58 | 53.00 | 53.09 | 54.23 |
| पूंजीगत व्यय | 19,095.79 | 27,794.95 | 30,262.64 | 39,896.78 | 14,139.16 |

# मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

**पंजीकृत कार्यालय:** मुडपाडव, कुत्तेतूर पी.ओ. मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर – 575030, कर्नाटक

CIN: L85110KA1988GOI008959

## उपस्थिति पर्ची

**26वीं वार्षिक महासभा, 13 सितंबर, 2014**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **पंजीकृत फोलियो सं.** | | ***D.P Id** | | **ई–मेल पता** |
| **धारित कुल शेयर** | | ***ग्राहक आईडी** | | |

मैं एतद्द्वारा, शनिवार, 13 सितंबर, 2014 को अपराह्न 4.00 बजे, मुडपाडव, कुत्तेतूर, पी.ओ. मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर 575 030, कर्नाटक में संपन्न कंपनी की 26वीं वार्षिक महासभा में अपनी मौजूदगी दर्ज करता/करती हूँ।

_____ _____

**सदस्य / प्रॉक्सी का नाम (मोटे अक्षरों में)** **सदस्य / प्रॉक्सी के हस्ताक्षर**

नोट: कृपया यह उपस्थिति पर्ची भरकर उसे सभा गृह के प्रवेश द्वार पर सौंपें।
*इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले निवेशकर्ताओं के लिए लागू।


# मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

**पंजीकृत कार्यालय:** मुडपाडव, कुत्तेतूर पी.ओ. मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर – 575030, कर्नाटक

CIN: L85110KA1988GOI008959


## प्राक्सि फार्म : MGT 11

*[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन)नियम, 2014 के नियम 19(3) का अनुसरण करते हुए]*

**26वीं वार्षिक महासभा 13, सतंबर, 2014**

| | | | |
|---|---|---|---|
| सदस्य का/के नाम:<br>पंजीकृत पता: | | ई–मेल आईडी:<br>फोलियो सं/ग्राहक आईडी:<br>डीपी आईडी: | |

मैं/हम, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के ..... शेयरों के सदस्य होने के नाते इनको

1. नाम:.....
   पता:.....
   ई–मेल आईडी:.....
   हस्ताक्षर: .....,अथवा ये उपलब्ध न हो तो
2. नाम:.....
   पता:.....
   ई–मेल आईडी:.....
   हस्ताक्षर: .....,अथवा ये उपलब्ध न हो तो
3. नाम:.....
   पता:.....
   ई–मेल आईडी:.....
   हस्ताक्षर: .....,अथवा ये उपलब्ध न हो तो

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार, 13 सितंबर, 2014 को अपराह्न 4.00 बजे होने वाली कंपनी 26वीं वार्षिक महासभा में और यहां नीचे उल्लिखित उन संकल्पों के संबंध में अगर किसी तारीख तक स्थगन किया गया हो तो उस तारीख को, मेरे / हमारे लिए और मेरी/हमारी तरफ से मेरे/हमारे प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित होकर मतदान करने नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

| साधारण कारोबार के लिए संकल्प | | पक्ष में | विरोध में | प्रवरित रहना |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 मार्च 2014 तक का लेखा परीक्षित तुलन पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि लेखा विवरण, उसकी अनुसूचियाँ और उस पर निदेशक मंडल, लेखा परीक्षकों और भारत के महा लेखा नियंत्रक और लेखा परीक्षक की रिपोर्टों पर विचार कर उनको अपनाना। | | | |
| 2 | डॉ. पी कल्याणसुंदरम् के स्थान पर, जो आवर्तन के आधार पर कार्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले हैं और पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश रखते हैं, निदेशक नियुक्त करना। | | | |
| 3 | श्री बी.के. नामदेव के स्थान पर, जो आवर्तन के आधार पर कार्यालय से सेवानिवृत्त होनेवाले हैं और पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश रखते हैं, निदेशक नियुक्त करना। | | | |
| 4 | वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी के लेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए भारत के नियंत्रक–महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान तय करना और/ अथवा निर्धारित करना। | | | |

| विशिष्ट कारोबार के लिए संकल्प | | पक्ष में | विरोध में | प्रवरित रहना |
|---|---|---|---|---|
| 5 | श्री डी के सर्राफ़ (डीआईएनः00147870) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना। | | | |
| 6 | कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि और कंपनी के बहिर्नियमों में संशोधन करना। | | | |
| 7 | कंपनी के अंतर्नियमों के नियम 4 में परिवर्तन करनाः | | | |

आज के दिन ..... .....2014 को हस्ताक्षर किए गए

₹1 का राजस्व स्टांप लगाएं

_____
सदस्य के हस्ताक्षर

_____
प्रॉक्सी धारक(कों) के हस्ताक्षर

**नोटः**

1. प्रभावशाली होने के लिए यह प्रॉक्सी फार्म विधिवत् रूप से भरकर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, महासभा की शुरुआत से 48 घंटे पहले जमा कराना होगा।
2. अपने संदर्भ को सूचित करना वैकल्पिक है। अगर आप किसी संकल्प अथवा सभी संकल्पों के सामने पक्ष में, विरोध में अथवा प्रविरत रहना, स्तंभ खाली छोड़े तो आपके प्रॉक्सी को उसी तरह से मतदान करने का हक होगा जैसे वह ठीक समझे।
3. प्रॉक्सी नियुक्त करने का यह मतलब नहीं है कि कोई सदस्य, अगर वह चाहे तो खुद आकर महासभा में भाग नहीं ले सकेगा।

# एमआरपीएल का निष्पादन

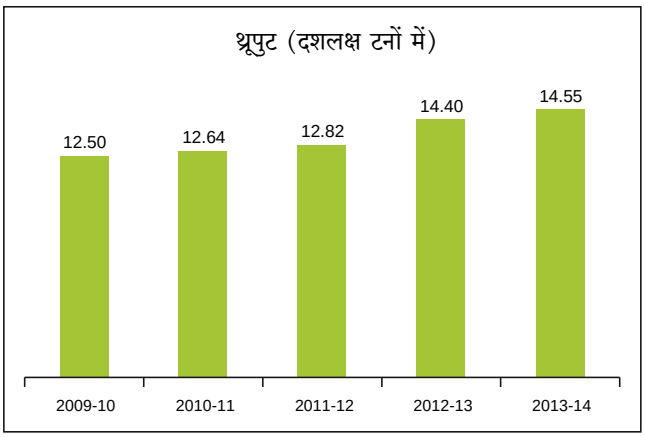


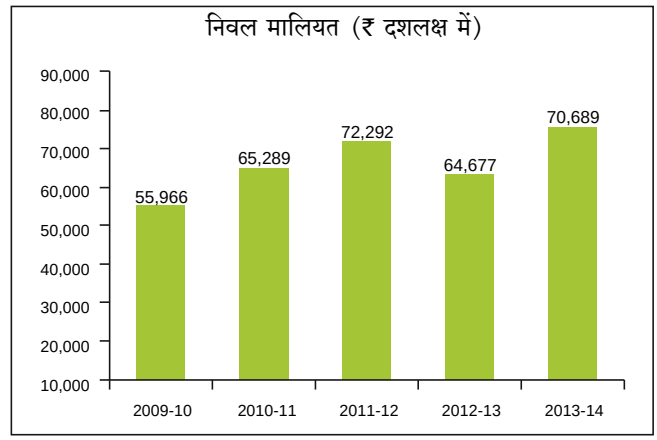


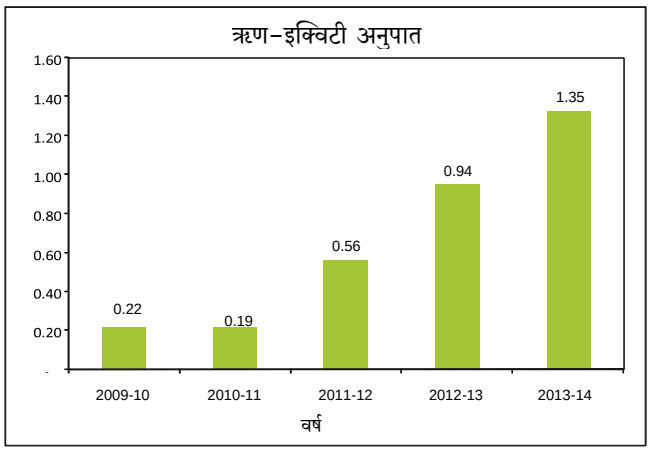


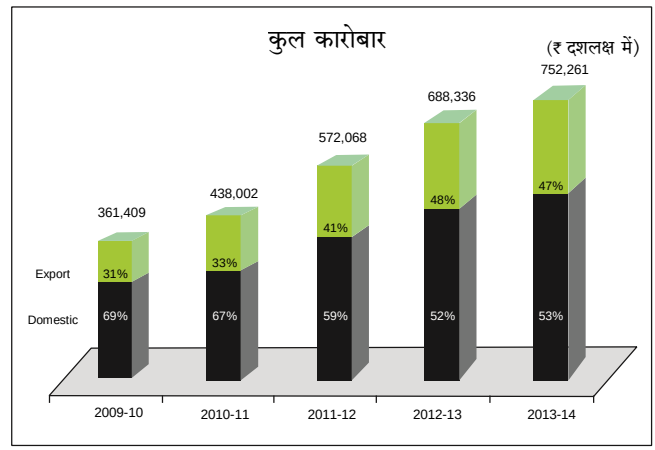

एमआरपीएल ने 24वीं पीएसपीबी अंतर यूनिट शतरंज टूर्नी की मेज़बानी की

एसपीएम और बूस्टर पंपिंग केंद्र का उद्घाटन

भूतपूर्व मंत्री, पीएण्डएनजी, भारत सरकार के डॉ. वीरप्पा मोइली, एमआरपीएल मंडल के सदस्यों के साथ चर्चा करते हुए

**मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेलिकल्स लिमिटेड**
CIN : L85110KA1988GOI008959
पंजीकृत कार्यालयः कुत्तेतूर पी.ओ.
मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर-575-030
फोनः सं. (91-0824) 2270400 ई-मेलः mrplmlr@mrplindia.com
**www.mrpl.co.in**